खण्ड-219, अंक-3
गुरूवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(23 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २३ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबू राम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरंनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहापुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रफनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री,
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री,
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २३ फरवरी, १९६१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कृषि संबंधी अनुदानों का व्यय

*१—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा **श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कृषि, शिक्षा, उद्योग, पशुपालन, बागवानी, समाज कल्याण, हरिजनोत्थान, गन्ना विकास, जूट विकास, कपास विकास तथा मकान बनाने की मद में कितना धन व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक कितना-कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय सदस्यों की मेज पर आवश्यक तालिका प्रस्तुत है जिसमें कृषि के अन्तर्गत दिये गये आंकड़ों में बागवानी, गन्ना, जूट तथा कपास विकास के निर्धारित एवं व्यय होने वाले धन भी सम्मिलित हैं।

(देखिये नत्थो 'क' आगे पृष्ठ २६० पर)

*२—**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार का इरादा दूसरी योजना की शेष अवधि में शेष रकम व्यय कर देने का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नियोजन आयोग द्वारा प्रति वर्ष हर मद के लिये रकम (ceiling) निर्धारित की जाती है और राज्य सरकार उसी के अनुसार व्यय करती है। अतएव शेष रकम व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३—**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रदेश में कितनी रकम व्यय करने का लक्ष्य था और कितनी रकम व्यय की गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये नियोजन आयोग द्वारा कोई रकम (ceiling) शुरू में निर्धारित नहीं की गई थी, परन्तु योजनाकाल में लगभग १५१ करोड़ रुपये व्यय हुए थे ।

[२३ फरवरी, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले में बाढ़ प्रभावित गावों को सहायता

*१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछली बाढ़ में कितने गांव, तहसील महाराजगंज (गोरखपुर) के उत्तरी भाग में बड़ी गन्डक, घोबहा नाला, भौरहिया नाला, चन्दन नदी, झरही नदी, छोटी गन्डक, खेखड़ा नाले की बाढ़ से प्रभावित हुये हैं ? क्या सरकार कृपया ऐसे गांवों की सूची व उसमें हुए नुक्सान तथा की गई सहायता का विवरण भी सदन के सम्मुख रखेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जिला गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के उत्तरी भाग में जो ग्राम प्रश्न में उल्लिखित नदियों तथा नालों में आई हुई पिछली बाढ़ से प्रभावित हुये हैं तथा उनमें जो नुक्सान हुआ है उसकी एक तालिका संलग्न नत्थी† 'क' पर दी गई है ।

पीड़ितों की सहायता जो की गई है उसका विवरण संलग्न† नत्थी क–१ में दिया गया है ।

*२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोहिण तथा उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से गोरखपुर जिले में १९६० की बरसात में किन-किन गांवों को कितनी क्षति हुई तथा उसमें सरकार द्वारा कितनी सहायता की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—सम्बन्धित क्षति-ग्रस्त ग्रामों के नाम तथा उनमें हुई क्षति का ब्योरा संलग्न नत्थी† 'ख' में दिया गया है ।

पीड़ितों को सहायता जो की गई है उसका विवरण संलग्न नत्थी† ख–१ में दिया गया है ।

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बाढ़ में राप्ती और उसकी सहायक नदियों से गोरखपुर जिले की फरेंदा, बांसगांव तथा सदर तहसीलों में कितने गांव क्षति-ग्रस्त हुये तथा सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—आवश्यक सूचना संलग्न नत्थी† 'ग' में दी गई है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश, गोरखपुर को प्रश्नकर्त्ता की तरफ से एक खत लिखा गया था बाढ़ के दौर के बाद जिसमें तात्कालिक और दीर्घकालीन सहायता के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे ? यदि हां, तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इसके लिये नोटिस की जरूरत है। इस समय मेरे पास कोई इत्तला नहीं है ।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, यह तीनों प्रश्न तीन तहसीलों से संबंधित हैं इसलिये इसका खयाल रखा जाय । इसमें जो सहायता दी गई है उनके फिगर्स देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । ७२ गांवों में बाढ़ आना स्वीकार किया गया है और उनमें केवल १७ मन २० सेर चना, ४ मन २० सेर गुड़, दो मन नमक, ३० टिन तेल तथा २४ दर्जन दियासलाई आदि बांटी गई है । तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह सहायता की मात्रा किस आधार पर निर्धारित की जाती है और क्या यह पर्याप्त है ?

---

† नत्थियां छापी नहीं गयीं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जरूरतमंदों को दी गई ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बांस गांव तहसील में प्रति परिवार दो रुपये के हिसाब से गल्ला दिया गया तो सदर तहसील में लोगों को किस हिसाब से दिया गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से जिलाधीश ने दिया होगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ७२ गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं जहां लगान को ससपेंड किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने १४ तारीख का जो विवरण-पत्र दिया है उसको देख लें तो मालूम हो जायगा । वैसे जब फाइनल असेसमेंट आयगा तो देखा जायगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतायेगें कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में कितने मकानों को क्षति पहुंची और कितने आदमियों को कितने धन की सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मकानों के लिये सब्सीडी जो दी जाती है तो पहले कच्चे मकानों के लिये २५ रुपये और पक्के मकानों के लिये ५० रुपये दी जाती थी, लेकिन अब कच्चे मकानों के लिये ५० रुपये और पक्के मकानों के लिये १०० रुपये के हिसाब से दी है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन गांवों में ७५ और १०० नये पैसे का नुकसान दिखाया गया है वहां भी खरीफ की मालगुजारी वसूल हो रही है ? क्या वह इसको रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वसूली होती होगी तो खरीफ की होती होगी । छट के बाद रबी की वसूली नहीं होती ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेगें कि खरीफ में जो बाढ़ आई थी और उसमें जिन गांवों में ७५ तथा १०० नये पैसे की क्षति बताई है उन में भी अमीन जा रहे हैं और वसूली कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके रोकने के लिये आदेश निकालेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना मुझे नहीं है । आदेश निकालने की मैं जरूरत नहीं समझता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । पिछली बाढ़ जो जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर में आई थी यह उस समय का सवाल है और मंत्री जी रबी की बात कर रहे हैं । उसका सवाल नहीं है बल्कि खरीफ में जहां नुक्सान ७५ और १०० नये पैसे का हुआ है वहां वसूली हो रही है तो....

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया कि उनके पास खबर नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, अगर आज्ञा हो तो हम बता दें जिससे गलतफहमी दूर हो जाय ।

जिन पर ५० से ऊपर का नुकसान है वह नियमानुकूल उनको दिया जायगा, लेकिन अभी वह फाइनल नहीं हुआ है । फाइनल आयेगा तो देखा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि उनकी वसूली इस वक्त हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी इत्तला हमें नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न को सूचना मानकर अविलम्ब जांच करवा करके सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना देने में क्या दिक्कत है ?

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नियम के मुताबिक जब एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं से रिलीफ दी जा रही हो उसी समय वसूली चलती रहे इसके लिए नियम के अनुसार कोई रुकावट तो नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे इसकी सूचना नहीं है कि जहां-जहां छूट होने वाली है वहां वसूलयाबी हो रही है ।

श्री भीखालाल—मैंने अभी प्रश्न किया था कि कितने मकानों को क्षति पहुंची और मकानों को बनाने के लिए सब्सिडी क्या दी गयी, माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया कि सब्सिडी देने का रेट यह है । पक्के मकानों के लिए १०० रुपये और कच्चे मकानों के लिए ५० रुपये। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को सूचना है या नहीं कि कच्चे मकान जो पूरे गिर गये हैं, उनके लिये ५–१० रुपये सब्सिडी दी गयी है क्या वह इसकी जानकारी करके सब्सिडी बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—३ हजार ३ सौ ८५ मकानों को क्षति पहुंची है और जो अहेतुक सहायता दी गयी है मकानों के लिए तथा और बाकी जो सहायता है वह ४ लाख ८२ हजार रुपये की है । तकावी अलग है जो कि ३ लाख ५० हजार ६ सौ १० रुपये है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अगर यह सही है कि जिन क्षेत्रों में ७५ नये पैसे से ज्यादा का नुकसान हुआ हो, उन क्षेत्रों में देय धन की वसूली मुल्तवी होनी चाहिए, तो क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीश, गोरखपुर से यह जानकारी करने की कृपा करेंगे कि वहां क्यों नहीं मुल्तवी की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने पहले कह दिया कि वसूली हो रही है या नहीं, नोटिस देने पर पता लगाऊंगा ।

*४–६—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ५४–५६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*७–९—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

चकबन्दी कमिश्नर द्वारा बस की खरीद

*१०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—चकबन्दी योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण का ज्ञान देने के सम्बन्ध में २८ अप्रैल, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३० के उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चकबन्दी आयुक्त ने २ मोटर बसें खरीद ली हैं ? यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक की कीमत क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी केवल एक बस की चेसिस (chassis) खरीदी गई है जिसे बाडी (body) बनाने के लिये रोडवेज वर्कशाप भेजा गया है। चेसिस (chassis) का मूल्य २१,९२९ रुपये है।

*११—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोटर व्यवस्था के पूर्व शिक्षण के हेतु जो व्यवस्था प्रचलित थी, उसके मुकाबले अब मोटर बस की व्यवस्था से खर्च में कितनी बचत प्रतिवर्ष या प्रत्येक प्रशिक्षण में होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक बस का प्रयोग नहीं किया जा सका है। अतएव बचत का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मोटर बसों के खरीदने के लिए कितने टेंडर आये थे और वे किन-किन कम्पनियों के थे?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २१ हजार ६२६ रुपये लागत बतायी गयी है, क्या यह ठीक है?

श्री अध्यक्ष—वह कैसे बतायेंगे कि ठीक नहीं है?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्लेरिकल मिस्टेक तो नहीं हो गयी है?

श्री अध्यक्ष—आप सजेस्ट करें कि कोई मिस्टेक है। वह कैसे कह दें?

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि जितने पर मोटर बसेज खरीदी गयीं, इससे कम कीमत पर मोटर बसेज मिलने वाली थीं और टेंडरों के मुताबिक, वह नहीं खरीदी गयीं और यह खरीदी गयीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कंसालिडेशन कमिश्नर ने खरीदा है। उसकी इत्तला नहीं है कि इससे कम के टेंडर थे।

श्री मदन पांडेय—एक व्यवस्था का प्रश्न है। सवालात का जवाब देने के लिए मंत्रिगण आते हैं। ऐसी मोटी-मोटी बातें, जिनकी सम्भावना होती है कि प्रश्न किये जायंगे, उनके लिए क्या यही व्यवस्था रहेगी कि टालने का जवाब देते रहेंगे कि हमें सूचना चाहिए?

श्री अध्यक्ष—अगर टेंडर के बारे में प्रश्न पूछना था, तो मूल प्रश्नों में रख देना चाहिए था। इसमें सिर्फ यह पूछा है—"यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक की कीमत क्या है?" तो यह कभी खयाल नहीं हो सकता था कि कोई टेंडर कम था, जिसके लिए उनको जवाब देना होगा।

अब यह अगर इनको पूछना था तो इसमें एक प्रश्न और कर देते क्योंकि उन्होंने दो ही प्रश्न दिए हैं, यद्यपि तीन प्रश्न वह पूछ सकते थे। उसमें वह यह पूछ सकते थे कि क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कम टेंडर आये थे और उन्होंने ज्यादा पर खरीदा, यह अगर वह पूछ लेते तो मंत्री जी यह सब बातें इन्क्वायर करा लेते।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाडी बनाने के लिए किसी प्राइवेट फर्म को दिया गया है और अगर प्राइवेट फर्म को दिया गया है, तो उसका एस्टीमेट मांग लिया गया था कि कितने में बनेगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ट्रांसपोर्ट के वर्कशाप को दिया गया है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १८ अप्रैल से पहले जो शिक्षण व्यवस्था चल रही थी जब कि वह बिना मोटर के थी, तो अब मोटर आ जाने से उनकी क्या एफिश्यैंसी बढ़ी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें ट्रेनीज को एक तहसील से दूसरी तहसील ले जाना पड़ता था और जहां चकबन्दी होती थी वहां दूसरे जिले में ले जाना पड़ता था इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मोटर कंसालिडेशन कमिश्नर ने खरीदी है उसको कितने दिन हो गये बाडी बनने के लिए गये हुए?

श्री रामस्वरूप यादव—दिसम्बर १९ सन्, ६० में चेसिस खरीदी गई और तब से बाडी बनने के लिए गई है।

उन्नाव जिले में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*१२—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला उन्नाव, तहसील सफीपुर के किन-किन गांवों में इस वर्ष बाढ़ एवं अधिक वर्षा से फस्लों को हानि हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न अनुसूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६१-२६२ पर)

*१३—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गांवों के किसानों को क्या सुविधायें दी गई हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षति-ग्रस्त ग्रामों के किसानों को सहायतार्थ जो सुविधायें दी गईं वे इस प्रकार हैं :—

(क) १५,००० रु० बीज के लिये तकावी बांटी गई।

(ख) ५०० रु० भूमिहीन किसानों को मकान बनाने के लिये कर्जा दिया गया।

(ग) ५,००० रु० मकान बनाने के लिये हाउस सब्सिडी बांटी गई।

(घ) ५०० रु० की कीमत का गुड़ और चना बाढ़-पीड़ितों को बांटा गया तथा १२५[कम्बल बाढ़ पीड़ितों, असहाय व अपाहिजों को बांटे जा रहे हैं।

*१४—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन गांवों को कितनी धनराशि की छूट मालगुजारी में दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संलग्न अनुसची में दिये गये क्षति-ग्रस्त ग्रामों में खरीफ १३६८ फसली की मालगुजारी में करीब ६८,७४९ रु० की सहायता देने का अनुमान है। सहायता के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुकूल छूट स्वीकृत की जायेगी।

*१५-१७—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—[१० मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १०-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रधान, गांव सभा, कमलसागर का प्रार्थना-पत्र

*१८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या आख्या प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां। अभी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, कमलसागर, जिला आजमगढ़ के लिए भवन-निर्माण कराना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वहां के प्रधान ने सरकार के पास और उनके हेल्थ आफिसर के पास इस तरह का वचन दिया है कि यदि यहां पर अस्पताल का भवन बनाया जायगा तो वहां से ५ हजार रुपया नकद और एक एकड़ से ज्यादा जमीन वह मुफ्त देंगे?

श्री धर्मसिंह—जी हां। वह बात उन्होंने कही है और यह भी कहा है कि बाद में इसकी सूचना मैं दे सकूंगा कि रुपये का या दो एकड़ जमीन का प्रबन्ध हो सका या नहीं, निश्चयपूर्वक यह उन्होंने बाद के लिए लिखा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि ग्राम सभा के प्रधान की ओर से इस प्रकार की सहायता प्रदान कर दी जाय, उन्हें, तो क्या अग्रिम वर्ष में भवन बनाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—सन् १९६०-६१ के धन का जहां तक सम्बन्ध है उसमें कोई प्राविजन नहीं हो सकेगा क्योंकि उसमें कोई एलाटमेंट ही नहीं है। १९६२-६३ में इस पर विचार किया जा सकेगा बशर्ते कि जो ग्राम सभा के प्रधान हैं, वह उन शर्तों को पूरा कर दें जैसा कि वह कहते हैं।

मेडिकल कालेज, लखनऊ के अध्यापक एवं विद्यार्थी

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में सन् १९४८ में कितने छात्र एवं अध्यापक थे और सन् १९६० में कितने छात्र एवं अध्यापक हो गये थे ?

श्री धर्मसिंह—किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में सन् १९४८-४९ में छात्रों की संख्या ६२१ एवं अध्यापकों की संख्या ५९ थी और १९६०-६१ में छात्रों की संख्या ९८५ एवं अध्यापकों की संख्या १४८ हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज में जो अध्यापक सन् १९४८-४९ में रखे गए थे उनमें अधिकांश करीब ४८ ऐसे अध्यापक और कर्मचारी हैं जो बी० एम० बी० एस० को पढ़ाने के लिए रखे गए थे ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८-४९ में बी० एम० बी० एस० के लिए जो अध्यापक रखे गए थे, क्या यह सही है कि टूड़ियागंज में उसकी पढ़ाई होने के बावजूद भी ये सब मेडिकल कालेज में ही मौजूद हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ अध्यापक बी० एम० बी० एस० की शिक्षा देने के लिए अवश्य रखे गए थे। कुछ का कार्यकाल खत्म हो गया है और कुछ अभी तक चल रहे हैं। सरकार ने किंग जार्ज मेडिकल कालेज की एथारिटीज तथा विश्वविद्यालय को लिख रखा है कि चूंकि बी० एम० बी० एस० के छात्र अब वहां पढ़ते नहीं हैं इसलिए उन जगहों पर जो लोग रखे गए थे उनकी जगह खत्म होनी चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि टूड़ियागंज में जो बी०एम० बी० एस० की पढ़ाई हो रही है वहां पर मेडिकल कालेज के अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते हैं बल्कि बलरामपुर के ही डाक्टर वहां पढ़ाने जाते हैं और उनको अलग से भत्ता दिया जाता है और मेडिकल कालेज में जो अध्यापक हैं उनको अलग से तनख्वाह देनी पड़ती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि जो टूडियागंज में आयुर्वेदिक अस्पताल है उसमें जो बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको अब शिक्षा देने के लिये जो मेडिकल कालेज के अध्यापक रखे गये थे वह शिक्षा देने नहीं जाते हैं और उनको बलरामपुर अस्पताल के कुछ डाक्टर, जिनको अनाटामी और फिजियालोजी के विषय पढ़ाना होते हैं, वहां जाते हैं और सरकार उनको कुछ थोड़ी धनराशि आनरेरियम के रूप में प्रदान करती है। जो डाक्टर, जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि बी० एम० बी० एस० की शिक्षा प्रदान करने के लिये मेडिकल कालेज में रखे गये थे, उनमें से कुछ अध्यापक वहां मेडिकल कालेज में विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं। सरकार की ओर से विश्वविद्यालय को बराबर यह कहा जाता रहा है कि अब बी० एम० बी० एस० की शिक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दी जाती है तो उनकी जगह विश्वविद्यालय खत्म कर दे और सरकार जो अनुदान विश्वविद्यालय को देती है इस कालेज को चलाने के लिये, उन जगहों की तनख्वाह के लिये, वह अनुदान नहीं देगी।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि जब बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थी मेडिकल कालेज में एबजार्व किये गये थे उस समय सरकार के साथ एक अन्डरस्टेंडिग हुई थी कि जब कम से कम विद्यार्थी इतनी मात्रा में रह जायेंगे बी० एम० बी० एस० के मेडिकल कालेज में और उस कम से कम जरूरी मात्रा रहने के बाद बी० एम० बी० एस० का स्टाफ नहीं रहेगा और उनको बी० एम० बी० एस० की कोई सेपरेट ग्रान्ट नहीं देगी ? क्या यह सही है कि उस अन्डरस्टेंडिग के हिसाब से उसने काम नहीं किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। यूनिवर्सिटी ने उस अन्डरस्टेंडिग के मुताबिक कार्य नहीं किया है और अब भी जितनी दफा विश्वविद्यालय को सरकार की तरफ से लिख कर गया है, विश्वविद्यालय ने उसको माना नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि बी० एम० बी० एस० के छात्रों को पढ़ाने के लिये जिन अध्यापकों को नियुक्त किया गया था, उनके अनुभव और योग्यता को देखते हुये यह आवश्यक समझा है कि वे बी० एम० बी० एस० के छात्रों को पढ़ा सकते हैं उनकी पोस्ट को कन्फर्म कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रश्न है वह उठता नहीं है। बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थी अब कोई विश्वविद्यालय में नहीं हैं। जहां तक विश्वविद्यालय ने स्टाफ के बारे में जो कार्य किया है उसके विषय में हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन बहुत-सी बातें विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, जो मेडिकल कालेज के उन अध्यापकों के विषय में हैं, जिनके विषय में यहां पर सवाल किये जाते हैं, मैंने कई बातें सुन रखी हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि जो अध्यापक मेडिकल कालेज में बी० एम० बी० एस० के छात्रों को पढ़ाते थे और अब वहां बी० एम० बी० एस० के छात्र नहीं पढ़ते हैं, तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, यही अध्यापक जाकर बी० एम० बी० एस० के छात्रों को पढ़ायें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— विश्वविद्यालय जिन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है वह उन व्यक्तियों की नियुक्ति के ढंग से भिन्न है। जो बी० एम० बी० एस० की शिक्षा देने के लिये आयुर्वेदिक कालेज में अध्यापक रखे जाते हैं उनकी नियुक्ति तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो बी० एम० बी० एस० की शिक्षा देने के लिये आयुर्वेदिक कालेज में रखा जायगा, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति से और उसकी सलाह से रखा जाता है और रखा जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय— क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे अध्यापक और कर्मचारी मेडिकल कालेज में हैं जो इस वक्त अधिक हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संख्या तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता, लेकिन कुछ व्यक्ति जो कि बी० एम० बी० एस० को पढ़ाते थे वह तो हमारे हिसाब से अधिक हैं ही। इस विषय में विश्वविद्यालय की तरफ से यह मांग है कि चूंकि मेडिकल कालेज का स्तर और उसके विभागों का स्तर ऊंचा होता जाता है। इसलिये उन्हें कुछ अधिक अध्यापक-गण दिये जायं। परन्तु अभी तो हमने इस बात पर विचार नहीं किया है, जब हम उसको जांच लेंगे तो उस समय देख लेंगे। इस समय जो अधिक अध्यापक हैं उनके विषय में भी हम अपने निर्णय बदल सकेंगे। अभी तो सरकार ने जो निर्णय किया है वह यह है कि बी० एम० बी० एस० को पढ़ाने के लिये जो अध्यापक रखे गये थे और जिनके लिये अब मेडिकल कालेज में हमारे हिसाब से कोई कार्य नहीं है, उनकी जगहें खत्म की जायं।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उन्हें जानकारी नहीं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री गौरीशंकर राय—एक सेंटेंस में मैं पूछ लूंगा। जो बी० एम० बी० एस० के अध्यापक बच जाते हैं उनके सम्बन्ध में यह हुआ कि उनको रिएप्वाइंट कर लिया गया और मेडिकल कालेज के कुछ अध्यापकों की यह शिकायत आयी है कि बी० एम० बी० एस० के अध्यापकों को एब्जार्ब करने के लिये एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने उनको रिएप्वाइंट न करके, उनकी सीनियरिटी को मानकर, बी० एम० बी० एस० की सर्विस को मिला कर उनको वहां रखने की कोशिश की है। अगर यह शिकायत सही है तो सरकार उस पर क्या कर रही है और क्या कर सकती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जाब्ते से ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। लखनऊ के नागरिक होने के नाते से बहुत-सी बातें सुनता हूं और उनमें यह बात भी सुनने में आयी है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है।

कसारा में आयुर्वेदिक औषधालय न खुल सकना

*२० श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या कसारा, जिला आजमगढ़ में राजकीय औषधालय वित्तीय वर्ष १९६०–६१ तथा वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में खोलने का विचार है?

श्री धर्मसिंह—इस प्रस्ताव पर वार्तमन वित्तीय वर्ष में विचार किया गया किन्तु दूसरे स्थानों पर आवश्यकता अधिक होने के कारण ग्राम कसारा में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका। अगले वितीय वर्ष में इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति, आजमगढ़ ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करके १९५६ में ही भेजा था कि वहां एक अस्पताल खोला जाय और १९६० में माननीय न्याय मंत्री जी जो हैं इस वक्त के, उन्होंने आश्वासन दिया था हाउस में कि अस्पताल खोला जायगा, यदि हां, तो अब तक वहां अस्पताल न खुलने का क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह—यह बात ठीक है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि १९५६ से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। न्याय मंत्री जी ने क्या कहा था इसको तो देखना पड़ेगा। जहां तक अस्पताल खोलने का सम्बन्ध है वे और जगह खोलने पड़े क्योंकि और दूसरी जगह की आवश्यकता अधिक थी इस स्थान के मुकाबले में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति, आजमगढ़ ने इसे सर्वप्रथम स्थान दिया था और आजमगढ़ में और कहीं कोई अस्पताल न खोल कर अन्य जगहों पर अस्पताल खोले गये और यहां नहीं खोला गया?

श्री धर्मसिंह—जहां तक चिकित्सालय खुलने का सम्बन्ध है, उस स्थान पर जहां अस्पताल खुलता है, वहां के लोग भवन और कुछ पैसा आदि का प्रबन्ध करते हैं और जहां इस प्रकार की सहूलियत मिल जाती है उस स्थान को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यहां ऐसा नहीं हुआ इसलिये यह स्थान थोड़ा पिछड़ गया है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जब तय करें कि वहां अस्पताल खोला जायगा या नहीं तो माननीय न्याय मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उसको भी मद्देनजर रखेंगे ?

श्री धर्मसिंह— देख लिया जायगा कि क्या आश्वासन दिया है और उस पर विचार कर लिया जायगा।

खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय, कानपुर से टीन व लोहे की स्वीकृति

*२१—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय, कानपुर द्वारा १ जनवरी, १९६० से १५ नवम्बर, १९६० तक के बीच ऐसी कितनी दरख्वास्तें टीन व लोहे की अस्वीकृत की गयीं, जिनमें संबंधित क्षेत्र या तहसील के विकास अधिकारी या तहसीलदार की सिफारिशें थीं ?

श्री धर्मसिंह—ऐसा कोई आवेदन-पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया। केवल उन लोगों के आवेदन-पत्र दाखिल दफ्तर कर दिए गये जो निर्धारित समय के अन्दर परमिट लेने नहीं आए।

*२२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय, कानपुर द्वारा कितना लोहा व टीन अलग-अलग शहर को व देहात को उक्त समय में दिया गया तथा कितनी दरख्वास्तें शहर के तथा कितनी दरख्वास्तें देहात के लोगों की अस्वीकृत की गईं ?

श्री धर्म सिंह—शहर तथा देहात को जो लोहा व टीन दिया गया उसका विवरण निम्नलिखित है:

	लोहा			टीन		
	ट०	ह०	क्वा	ट०	ह०	क्वा०
देहात	१३९	४	०	८४	१०	२
शहर	४४१	३	३	२०८	७	०

अनावश्यक मांग वाले आवेदन-पत्रों को छोड़ कर शहर और देहात का कोई भी आवेदन-पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया।

*२३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की जनता के लिये उन्होंने टीन व लोहे का विशेष कोटा केन्द्रीय सरकार से मांगा है ताकि बाढ़-ग्रस्त लोगों को आवश्यकतानुसार टीन व लोहा दिया जा सके ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। ४,५०० टन नालीदार चादर और ५०० टन काली चादर केन्द्रीय सरकार से मांगी गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि देहात के लोगों को परमिट लेने के लिये आने में कठिनाई होती है और व्यय भी होता है और इस कारण पहले यह व्यवस्था थी कि उनको परमिट उनके घरों पर भेज दिये जाते थे किन्तु अब इस प्रथा को बन्द कर दिया गया है जिसके कारण वे अपने परमिट समय से नहीं ले पाये, क्या यह सही है ?

श्री धर्मसिंह—अब यह तो देखना पड़ेगा कि पहले क्या व्यवस्था थी, हमारे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि यह परमिट उनको घरों पर भेजे जाते थे और अब वह पद्धति बदल गयी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनको परमिट मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर वे जाते तो उनको जरूर मिल जाते।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस बात को जानते हुए कि उनको परमिट लेने के लिये आने में खर्चा भी करना पड़ता है और तकलीफ भी होती है, सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेगी, चाहे वह व्यवस्था अब तक न भी रही हो, कि उनके परमिट डाक द्वारा उनके घरों पर भेज दिये जाया करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह जानकारी प्राप्त किये बिना कि पहले क्या व्यवस्था थी और उसको क्यों फिर बदला गया, इस समय कुछ कहना मेरे लिये सम्भव नहीं है। हां, अगर पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी कि परमिट उनके घरों पर भेजे जाते थे और उस व्यवस्था का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया गया होगा, तो जो सुविधा दी गयी थी उस पर विचार किया जायेगा और कोई कारण नहीं कि पहले वाली पद्धति को जारी न किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—(जिला कानपुर)—श्रीमन्, इसको देखने से पता चलता है कि देहात को १३६ टन और शहर को ४४१ टन लोहा और इसी प्रकार से देहात को टीन ८१ टन और शहर में २०७ टन दिया गया। तो इस तरह से शहरों को यह सब देहातों की अपेक्षा कई गुना दिया गया जब कि देहातों की जन-संख्या शहरों से कहीं ज्यादा होती है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करने की कृपा करेगी कि देहातों को भी शहरों के अनुसार ही लोहा व टीन इत्यादि दिया जाया करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक देहात के लोगों को अधिक लोहा इत्यादि देने की बात है, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती, सरकार उस पर बिचार करने की चेष्टा करती है, परन्तु यह वितरण महज आबादी के अनुपात में नहीं होता है, वरन् आवश्यकताओं को देखकर ही यह प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनावश्यक दरख्वास्तों से उनका क्या तात्पर्य है? और उस हालत में जब कि दरख्वास्तें बी० डी० ओ० और तहसीलदार द्वारा रिकमेन्ड होकर आती हैं ?

श्री धर्मसिंह—जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उनकी कार्यालय में जांच होती है और उस जांच के बाद ही सरकार उन पर अपना निर्णय लेती है और उनको छांटती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-ग्रस्त इलाकों में लोहा और टीन के देने के लिये उसने कितने टन के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की थी और उसमें से उसे कितना मिला तथा इन बाढ़-ग्रस्त इलाकों में इसके वितरण के लिये जो व्यवस्था पहले थी, जो नियम पहले थे, वही अब भी हैं या उनमें कोई ढिलाई की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पूरा विवरण इस समय नहीं है कि कितना मांगा गया था और कितना मिला क्योंकि कई मर्तबा लिखा-पढ़ी करनी पड़ी थी, सूचना आने पर इसकी सूचना दी जा सकेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—दूसरा प्रश्न नियमों के बारे में भी पूछा था, नियम जो वितरण के संबंध में पहले थे वही हैं या उनमें कोई ढिलाई की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो परिपाटी इन इलाकों में वितरण की अब तक रही है, वही अब भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किन्तु उसमें भी आवश्यकता की जांच इत्यादि करने के बाद ही वितरण किया जाता है। परिपाटी वही लागू है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में जिन लोगों के प्रार्थना-पत्रों की चर्चा है, उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई थी ?

श्री धर्मसिंह—जैसी आवश्कता हो। इन्सपेक्टर इत्यादि के द्वारा भी होती है और आवश्यकतानुसार बी० डी० ओ० भी करते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की जांच की व्यवस्था केवल कानपुर में ही है या और जगहों पर भी है और जो इन्सपेक्टर जांच करता है उसको ज्यादा सही माना जाता है या जो तहसीलदार और बी० डी० ओ० जांच करते हैं उसको ?

श्री धर्मसिंह—इस समय सिर्फ कानपुर की रिपोर्ट मेरे पास है। जहां तक जांच का संबंध है, बी० डी० ओ० और तहसीलदार की रिपोर्ट भी कनसीडर की जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि दरख्वास्तें जो थीं उनकी जांच किस अधिकारी ने की है और क्या दखवास्त देने वालों से पूछ-ताछ की गई थी ?

श्री धर्मसिंह—जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें फिलहाल इन्सपेक्टर ही है।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि इतने हजार टन लोहा या चादरें केन्द्रीय सरकार से मांगी गईं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिली कितनीं ?

श्री धर्मसिंह—गवर्नमेंट आफ इंडिया से एडहाक एलाटमेंट में एक हजार टन जी० सी० शीट्स मिलने के लिये हैं।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ ऐसी दरख्वास्तें हैं जिनको बी० डी० ओ० और तहसीलदार, दो गजटेड आफिसर्स ने रिकमेन्ड किया, लेकिन सप्लाई इन्सपेक्टर ने रेजेक्ट कर दिया तो सप्लाई इन्सपेक्टर का फैसला फाइनल रहा या बी० डी० ओ० और तहसीलदार का ?

श्री धर्मसिंह—२१ के उत्तर में बता दिया गया है कि जो इस तरह की दरख्वास्तें आईं तहसीलदार इत्यादि के द्वारा उन पर विचार किया गया, रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन जो परमिट नहीं लेने आये उनके परमिटों को दाखिल कर दिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसी दरख्वास्तें रिजेक्ट नहीं की गईं और यह भी कहा कि जांच की जाती है और प्रश्न २२ में कहा कि अनावश्यक आवेदन-पत्रों को छोड़कर कोई अस्वीकार नहीं किये गये तो मैं जानना चाहता हूं कि आवेदन-पत्र जो अस्वीकार किये गये वह कितनी संख्या में थे और उन पर बी० डी० ओ० और तहसीलदार की सिफारिश थी या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—यह तो डिटेल्स की बात है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

रामपुर में शक्कर की सरकारी दूकान

*२४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि दिसम्बर, १९६० ई० में सीतापुर जिला सप्लाई कार्यालय को तहसील सिधौली (सीतापुर) के दक्षिणी कोणरी परगने के अन्तर्गत ग्राम रामपुर में शक्कर के फुटकर बिक्रेता नियुक्त करने के लिये आदेश भेजा गया है ? यदि हां, तो उपर्युक्त आदेश क्या है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। यह ज्ञात होने पर कि उक्त स्थान का फुटकर चीनी विक्रेता तीन माह से चीनी नहीं उठा रहा है, जिला पूर्ति अधिकारी को आदेश दिया गया कि वह शक्कर बटवाने के लिये समुचित व्यवस्था करें।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश टेलीफोन द्वारा दिया गया था या पत्र द्वारा ?

श्री धर्मसिंह—शुरुआत में टेलीफोन किया गया और बाद में कन्फर्मेशन लेटर भी भेजा गया था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—पंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के बाद जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री धर्मसिंह—उन्होंने जांच की धीरजमल जैन को नोटिस दी इस बात के लिये कि वह चीनी क्यों नहीं उठा रह हैं और साथ ही साथ जो० बी० डी० ओ० उस स्थान के थे उनसे कहा कि वह जांच करके भेजें कि किन कारणों से चीनी नहीं उठाई जा रही है और क्या तरकीब हो सकती है उसकी भी सूचना दें ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से किस अधिकारी ने टेलीफोन किया ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

कानपुर क्षेत्र में खाद्यान्न की खरीद का लेखा

*२५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि कानपुर के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रण अधिकारी ने जो १९५९-६० में ११ लाख मन गेहूं, ४ लाख मन चावल, ५ लाख मन दूसरे किस्म के अनाज खरीदे थे, उसका कोई लेखा (रिकार्ड) लेखा-अधिकारी के कार्यालय में नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं । यह सूचना निराधार है ।

*२६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को इस संबंध में रिटर्न भेजे जाने वाले कागजात जिन्हें ३१ अगस्त, १९६० तक भेजना चाहिये था, नहीं भेजे गये ? क्या इस संबंध में किसी गड़बड़ी की भी सूचना है और कागज तैयार कराने के लिये ९ जिलों से ३० इन्स्पेक्टर भी इस संबंध में सितम्बर, १९६० में बलाय गय थ ?

श्री धर्मसिंह—१९५९-६० के खरीदारी तथा वितरण का लेखा एवं लाभ तथा हानि का ब्योरा तैयार करने के लिये ३१ अगस्त तक की अवधि नियत की गई थी परन्तु इस अवधि के अन्दर यह वार्षिक ब्यौरे किसी भी रीजन में तैयार नहीं हो सके । बाद में अवधि बढ़ा दी गई और कानपुर में यह ब्यौरे सितम्बर में बन कर आ गए । हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है ।

इन ब्यौरों के संबंध में कुछ अतिरिक्त आवश्यक सूचना मांगी गई थी जिसे शीघ्रातिशीघ्र एकत्र करने हेतु इन्स्पेक्टरों को कानपुर बुलाया गया था ।

श्री ऊदल—३० अगस्त, सन् १९६० तक लेखा तैयार करने के आदेश देने तक लखा तैयार न होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—काम बहुत था । वह तो होते ही रहते हैं ।

श्री ऊदल—क्या निराधार का मतलब यह नहीं है कि उस समय तक लेखा तैयार नहीं कराया गया था और उसमें गड़बड़ी के कारण बाहर के इंसपेक्टर बुलाये गये ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है । उसके साथ और काम भी थे । कोई गड़बड़ी नहीं थी, जैसा कि उत्तर में कहा गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—वह कौन-सी अतिरिक्त सूचना थी जिसका ब्यौरा प्राप्त करने के बाद भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जब वह सूचना नहीं मांगी गयी थी तो कानपुर में ही ३० इन्सपेक्टर भेजकर कौन-सी सूचना एकत्र कराई गई ?

श्री धर्मसिंह—ऐ० जी० से कुछ आंकड़े मांगे जा रहे थे । वह सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में नहीं थे । कानपुर में ज्यादा होने के कारण दिक्कत हो रही थी, इसलिये टाइम बढ़ाया । इन्हीं सब चीजों को करने के लिये ये सब बातें की गईं ।

सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, रसरा के विरुद्ध हाई कोर्ट द्वारा आरोप

*२७—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता ह कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस देसाई ने २३ अगस्त, १९६० को रसरा (जिला बलिया), के सब-डिवीजन-मैजिस्ट्रेट के एक निर्णय को खारिज करते हुए उनके विरुद्ध जो निम्नलिखित स्ट्रिक्चर पास किया है उसकी प्रतिलिपि चीफ सेक्रेटरी को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी है :—

"The Sub-Divisional Magistrate passed the final orders before the applicant's written statement and evidence. He passed final orders on a date not fixed for the final disposal of the case. He went on with the case and passed the final orders even though he was intimated by the applicants that they wanted to apply for the transfer of the case from his court on account of want of confidence in him."?

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—जी हां ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री को यह भी पता ह कि माननीय जस्टिस महोदय ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि (The conduct of the wages rate requires severe action) यदि हां, तो सरकार ने उस मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मजिस्ट्रेट से एक्सप्लेनेशन मांगा गया था । वह आ गया है और उस पर डी० एम० से कमेन्ट मांगे गये हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—जहां हाई कोर्ट के जजेज सीरियस स्ट्रिक्चर्स पास करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाई कोर्ट के जजमेन्ट को ड्यू रेसपेक्ट दी जाय, सरकार ने कोई समय निर्धारित किया है कि उसके अन्दर डी० एम० के कमेंट्स आ जावें ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—समय का निर्धारण तो नहीं है, लेकिन आरोपों की गम्भीरता को देखकर जिलाधीश भी अपनी राय और जांच का तत्व सरकार के पास भेजने की जल्दी करते ही हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस केस में २३ अगस्त, सन् १९६० को माननीय जज ने कमेंट्स किये थे, तो क्या बलिया के डी० एम० से कमेंट जा चुके हैं और यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डी० एम० से कमेंट आ चुके हैं । एप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट में उनकी और कुछ और आरोपों की जांच हो रही है, उसके बाद विभाग की सिफारिश के साथ सब मामला मुख्य मंत्री को पेश होने वाला है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मुख्य मंत्री को पता है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने यही कहा था कि ऐसे स्ट्रिक्चर्स आम होते हैं और सरकारी कार्यवाही भी आम होती है । क्या वर्तमान मुख्य मंत्री जी उस पर कोई खास कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया है कि और भी चार्जेज हैं और वह कोई खास ही कार्यवाही कर रहे हैं ।

धाराचूला से कुछ अधिकारियों का स्थानान्तरण

*२८—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार जिला पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से केन्द्र को सौंपने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*२९—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री के पास ऐसी शिकायत आई है कि जिला पिथौरागढ़ के कुछ जिला स्तर के अधिकारियों की आपसी लड़ाई के कारण वहां कार्य म शिथिलता हो रही है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री इस व्यवस्था को ठीक करने का आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—शिकायत तो आई है परन्तु आपसी झगड़ों के कारण कार्य म किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आयी। इन समस्त शिकायतों पर छानबीन कर उचित कार्यबाही की जा चुकी है और अब आशा है कि वहां इस तरह की कोई बात नहीं उठेगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी प्रश्न २८ के सन्दर्भ में इन तीन बातों को देखते हुए ब्रीफ बयान देंगे, एक तो यह कि विधान परिषद में कल गृह मंत्री ने कहा कि बार्डर में हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्र विरोधी प्रचार कर रही है, दूसरे यह कि चीनी कम्युनिस्ट भेदिये भी वहां स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर रहे हैं और जनता की मांग पर आज भी वहां सेना नहीं भेजी गई है और प्रदेश के सीमान्त जिलों में वे नेफा पैटर्न लागू करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि उनका मतलब नेफा पैटर्न से है कि गवर्नर महोदय उन तमाम हिस्सों की देख-रेख करें, तो ऐसी कोई व्यवस्था करने का इरादा नहीं है। केन्द्रीय सरकार सुरक्षा की व्यवस्था करती है और यदि हमारी सहायता की आवश्यकता होती है तो हम वह करते ही हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि वह ऐसा सुझाव केन्द्रीय सरकार को दें कि नेफा की तरह, सीमान्त की समस्या की गम्भीरता को देखते हुए, वहां भी उसी प्रकार प्रशासन हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नेफा में तो ट्राइबल एरियाज हैं जिनकी अपनी समस्यायें होने के कारण वहां ऐसा प्रशासन है। यहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भीखालाल—माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिला-स्तर के अधिकारियों के आपसी झगड़े की शिकायतें आयीं हैं तो वे किस प्रकार की शिकायतें आयीं, क्या मंत्री जी इसका व्योरा देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह स्थान हैडक्वार्टर धाराचूला से कुछ दूरी पर है। पहले तो लोग वहां आया नहीं करते थे, लेकिन जब नये जिले बने तो वहां अधिकारी ज्यादा दौरा करने लगे और वहां के लोगों की उन्होंने कुछ गलतियां पायीं इससे कुछ धाराचूला के लोगों ने षड़यंत्र करके एस० डी० ओ० के खिलाफ शिकायत कर दी और आफिसरों में कुछ आपसी ग्रुपबाजी सी भी हो गई। अब कुछ लोगों का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है। अब वहां किसी को शिकायत नहीं है।

*३०—**श्री भीखालाल**—[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

भीमताल में पर्यटकों के बंगले में बिजली की आवश्यकता

*३१—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने भीमताल जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये अभी हाल में एक लाख बीस हजार रुपये की लागत से एक डाक बंगला बनवाया है ? यदि हां, तो क्या उसको पता है कि उसमें रोशनी का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण उसमें ठहरने वालों को बड़ी असुविधा होती है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि डाक बंगले में रोशनी की क्या व्यवस्था है ?

श्री मंगलाप्रसाद—लालटेन जलाई जाती हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त डाक बंगले में बिजली की रौशनी की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिसका यह बंगला है व वहां के जिलाधीश इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां शीघ्र ही बिजली की सुविधा मिल सके ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पर्यटकों को ज्यादा सुविधा प्राप्त हो सके और क्योंकि यह एक अच्छा स्थान है जहां बहुधा लोग आते रहते हैं, वहां के अधिकारियों के प्रयत्नशील होने के अतिरिक्त क्या सरकार भी कोई प्रयत्न कर रही है कि वहां जल्दी बिजली लग सके ?

श्री मंगला प्रसाद—जिलाधीश और सरकार में कोई बहुत फर्क नहीं है अगर वे प्रयत्न कर रहे हैं तो एक तरह से सरकार ही कर रही है ।

हड्डी से खाद बनाने के कारखाने

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हड्डी से खाद बनाने के कितने कारखाने चल रहे हैं ?

*३३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हड्डी से खाद बनाने के कितने कारखाने सरकारी चल रहे हैं तथा कितनों को खाद बनाने के लिये किस-किस रूप में कितना-कितना धन १९५९-६० में दिया गया ?

*३४—क्या यह सही है कि प्रदेश से हड्डी दूसरे प्रदेशों और विदेशों में भेजी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३५-३६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सूती, ऊनी वस्त्रों का उत्पादन

*३७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष सूती तथा ऊनी वस्त्रों का उत्पादन गतवर्ष की तुलना में कितना-कितना बढ़ा है या घटा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६३ पर)

गन्ने की उपज तथा खपत

*३८—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में गतवर्ष गन्ने की कितनी उपज हुई थी, कितने एकड़ में तथा उसकी खपत गुड़, खांडसारी तथा चीनी मिलों द्वारा किस प्रकार हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३९–श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०–६१ के सीजन में कितना गन्ना उत्पन्न होने का जिलेवार अनुमान है और प्रत्येक जिले की अनुमानित गन्ने की उपज की खपत का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६०–६१ सीजन में केवल चीनी मिलों के क्षेत्र के जिलों में गन्ने की अनुमानित उपज की सूचना सरकार के पास उपलब्ध है जो संलग्न तालिका में दी हुई है। इसकी खपत चीनी मिलों द्वारा तथा शेष गुड़, राब व खांडसारी और बीज आदि में होगी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६४ पर)

गन्ने की स्पेशल पर्चियां देने की व्यवस्था

*४०—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस प्रकार का कोई शासकीय आदेश इस वर्ष जारी हुआ है कि गन्ना उत्पादकों को विशेष परिस्थिति (शादी-गमी) में भी जिला स्तरीय अधिकारी गन्ने की स्पेशल पर्ची नहीं दे सकते ? यदि हां, तो उपर्युक्त अवसरों पर तुरन्त सहायता के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां । विशेष परिस्थितियों की संतुष्टि हो जाने के बाद गन्ना आयुक्त स्वयं स्पेशल पर्ची दिलाने का आदेश जारी करते हैं ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि वह कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं कि जिला अधिकारियों से यह अधिकार लेने के लिये आदेश जारी करने पड़े ?

श्री धर्म सिंह—जिला गन्ना अधिकारी और क्षेत्रसीमाकरण अधिकारी लोगों की एक मीटिंग हुई थी उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि इस तरह की आवश्यकता है । उन लोगों के निर्णय को कमिश्नर ने मान लिया । उन्हीं लोगों के निर्णय के अनुसार यह निर्णय लिया गया।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना आयुक्त तक कोई भी प्रार्थनापत्र आने में जितना समय लगता है उससे जल्दी यह काम जिला स्तर पर हो सकता है फिर क्यों यह अधिकार केन कमिश्नर को दिया गया है जिलास्तर के अधिकारियों से लेकर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला अधिकारियों की स्वतः यह मांग हुई कि यह अधिकार गन्ना आयुक्त ले लें क्योंकि कई बार जगह जगह पर नाजायज दबाव उन लोगों पर डाला गया था और कभी कभी नाजायज दबाव डालकर लोगों ने नाजायज पर्चियां ले ली थीं । इसलिये सम्मेलन में इस तरह का प्रस्ताव हुआ और उन्होंने सम्मेलन में मिलकर यह तय किया कि वह अधिकार गन्ना आयुक्त के पास रहे तो उस अधिकार का ज्यादा सदुपयोग हो सकेगा ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ओला पड़ने के कारण इस वर्ष एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है कि अगर वहां का गन्ना शीघ्र न लिया गया तो सूख जायगा ? तो क्या सरकार इस तरह से आदेश भेजने की कृपा करेंगी कि जिन क्षेत्रों में ओला पड़ गया है उन क्षेत्रों का गन्ना जल्दी से ले लिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि गन्ना आयुक्त का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जायगा तो गन्ना आयुक्त , अवश्य उस विशेष क्षेत्र के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कोई आज्ञा दे सकेंगे ।

जिलाधीशों को विधायकों से सम्पर्क रखने के आदेश

*४१—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५७ से अब तक समय समय पर इस प्रकार के कोई आदेश जारी होते रहे हैं कि जिलों के विभागीय उच्च अधिकारी विधायकों के लिखित पत्रों का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र लिखित रूप में दे दिया करें ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उपर्युक्त आदेशों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । यह आदेश गोपनीय प्रकृति के हैं। अतः इनकी प्रति सदन की मेज पर रखना लोकहित में न होगा ।

*४२—श्री शिवप्रसाद नागर (अनुपस्थित)—क्या विधायकों को मुलाकातों में प्राथमिकता देने के लिये भी कोई आदेश सरकार ने दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*४३—४५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट (जिला अलीगढ़)—[९ मार्च, १९६१ के लिय स्थगित किय गये ।]

जिला गजेटियरों पर व्यय

*४६—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिले का इतिहास (जिला गजेटियर) तैयार कराया गया है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर तयार हुआ और उसमें किस स्तर के व्यक्तियों से सहायता ली गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । प्रदेश के विभिन्न जिलों के गजेटियर तैयार कराये जा रहे हैं । इसके लिये विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों, संस्थाओं, पुस्तकों, रिपोर्टों आदि से सामग्री एकत्र की जाती है । विभागीय कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से इसके लिये सहायता व सलाह ली जाती है ।

*४७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी तक कितने जिलों का गजेटियर तैयार हुआ है और उस पर अभी तक कितना समय और पैसा खर्च हुआ ?

श्री राम स्वरूप यादव—अभी तक लखनऊ जिले का गजेटियर प्रकाशित हो चुका है । इसके अतिरिक्त फैजाबाद का गजेटियर प्रेस में है । बाराबंकी का प्रेस के लिये तैयार है और सीतापुर का गजेटियर शीघ्र ही प्रेस को भेजा जायगा । यह कार्य जिला स्तर पर अप्रैल, १९५५ में तथा सचिवालय में मई, १९५७ में प्रारम्भ किया गया था । अब तक इस पर ८,२५,००० रुपया व्यय हो चुका है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे यह जिला गजेटियर के तैयार करने का काम किसी कमेटी के तत्वावधान में हो रहा है ? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन से लोग सम्मिलित हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले तो जिला स्तर पर ही यह काम हुआ, लेकिन सन् १९५७ में प्रादेशिक स्तर पर एक कमेटी बनाई गई जिस के चेयरमैन श्री रामप्रसाद त्रिपाठी हैं और उसके मेम्बर हैं:—

१—पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एडिटर, सरस्वती, लखनऊ ।

२—पंडित श्रीराम शर्मा, एडिटर, विशाल भारत, आगरा ।

३—डाक्टर बाबूराम मिश्र, हेड आफ दि डिपार्टमेंट आफ इकोनामिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, पटना ।

४—डाक्टर गोविन्दचन्द्र पांडेय, हड आफ दि डिपार्टमेंट आफ ऐंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर ।

५—डाक्टर नरुल हसन, हेड आफ दि डिपार्टमेंट आफ मेडिएविल हिस्ट्री, अलीगढ़ युनिवर्सिटी, ।

६—डाक्टर विश्वेश्वर प्रसाद, हेड आफ दि डिपार्टमेंट आफ हिस्ट्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी ।

७—डाक्टर मुजफ्फर अली, हेड आफ दि डिपार्टमेंट आफ ज्योग्राफी, सागर यूनिवर्सिटी ।

८—डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल, इंडोलाजी डिपार्टमेंट, बनारस यूनिवर्सिटी ।

९—स्टेट एडिटर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, यू० पी०, मेम्बर सेक्रेटरी ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों और पुराने क्रान्तिकारियों से भी इस सम्बन्ध में सलाह ली गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने आपको बतलाया कि स्टेट के एडिटर स्टाफ की एक कमेटी बना दी गई है । वे जिले से सूचना मांगते हैं और जो उनको मशिविरा ेना चाहता है उन सब की सलाह भी लेते हैं ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस पर अब तक ८ लाख और कुछ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं, तो इस पर अन्दाजन कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है । सरकार की कोशिश है कि इस कार्य में जल्दी की जाय और इस पर ज्यादा खर्च न किया जाय ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी के पास कानपुर के पुराने क्रान्तिकारियों की ओर से यह शिकायत मिली है कि जिले का इतिहास तैयार करने में उनके प्रकार के लोगों से किसी प्रकार की कोई राय इस सम्बन्ध में नहीं ली जाती रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस समय ऐसी किसी शिकायत का ज्ञान तो मुझे नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गजेटियर कमटी क प्रेसीडेंट का एप्वाइंटमेंट कब हुआ और उन्हें तनख्वाह कितनी दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने बतलाया कि श्री रामप्रसाद त्रिपाठी इसके प्रेसीडेंट हैं और उनको तनख्वाह मिलती है ?

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गजेटियर्स के तैयार करने में जो कांग्रेस विरोधी स्वाधीनता संग्राम हुये हैं, उसकी सूचना किसके द्वारा और किस तरीके से मिली है और क्या सरकार का इरादा कोई ऐसी कमेटी बनाने का है जिसमें कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कमेटी में जो नाम दिये हुये हैं वे ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों के हैं जो इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास के सम्बन्ध में अन्वेषण करते हैं । श्री रामप्रसाद त्रिपाठी स्वतः इतिहास के अन्वेषणकर्त्ता हैं और एक विशेषज्ञ हैं । जिस प्रकार एक विशेषज्ञ पुस्तक लिखने के सिलसिले में अन्वेषण करके पुस्तकों को लिखता है इस प्रकार से इस गजेटियर के उन अध्यायों को जिन में क्रान्तिकारियों के विषय म इतिहास लिखना है वे भी सारे काम उसी तरह से संकलित करेंगे जैसे कि कोई अन्वेषणकर्त्ता या इतिहास का लिखने वाला विद्यार्थी या विशेषज्ञ करता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास तैयार करने के हेतु एक विभाग बनाया गया है तो फिर गजेटियर अलग से तैयार करने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गजेटियर में केवल स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों का ही इतिहास नहीं होता उस में तो सारे प्रदेश की सोशियो-एकनामिक कन्डीशन्स का संकलन और समावेश उसके विभिन्न अध्यायों में रहता है । इसलिये सिर्फ स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों की तारीख ही गजेटियर में नहीं होती ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि जिन विशेषज्ञों के द्वारा यह गजेटियर तयार किया जा रहा है उनका स्तर इतना अच्छा नहीं पाया गया है और उसमें हेरफेर की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने अबतक एक ही गजेटियर पूरा किया है और अन्य पूरे नहीं किये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार जो काम अभी तक हुआ है उससे सन्तुष्ट नहीं है, वह उसमें हेरफेर करना चाहती है और चाहती है कि जल्दी से उसका सम्पादन हो और कम खर्च में हो ।

श्री मदन पांडेय—माननीय मुख्य मंत्री जी के कथन से पूर्णतः सहमत होते हुये कि गजट में जिले की सब प्रकार की बातों का जिक्र होता है, मैं जानना चाहता हूं कि जो कमेटी प्रदेशीय स्तर पर बनी है वह हर जिले के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखे ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं है । तो क्या वह जिला स्तर पर ऐसी कमेटी बनायेंगे जिस में उस समय के स्वाधीनता संग्राम में और विभिन्न कालों में हिस्सा लेने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जो जीवित हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विशेषज्ञों का कर्त्तव्य होता है कि हर तरफ से जहां से भी प्रकाश मिले जानकारी बढ़ाई जाय और जहां से भी वह जानकारी बढ़ा सकें उसकी चेष्टा वह करते हैं और उस अनुभव की बुनियाद पर उस जानकारी को वह इन अध्यायों में प्रस्तुत करते हैं जहां उसकी आवश्यकता होती है ।

मड़ेपुर चकबन्दी कमेटी संबंधी आरोप

*४८—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार को पता है कि चकबन्दी कमेटी के हेतु १५ सितम्बर, १९६० को कानपुर जनपद की तहसील घाटमपुर के ग्राम मड़ेपुर के ग्राम प्रधान तथा ग्राम समाज के ११ अन्य सदस्यों को वारन्ट दिखा कर थाने पर चलने को कह कर तेजपुर ग्राम में एक फाटक में बन्द रख कर जबरन उनसे अंगूठा निशान लिया गया और इस प्रकार चकबन्दी कमेटी का निर्माण किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार को प्राप्त सचना के अनुसार यह आरोप निराधार है ।

बाराबंकी जिले में वृद्धावस्था पेंशन

*४९—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में सन् १९५९ व १९६० में वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने व्यक्तियों को पेन्शन दी गई ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—बाराबंकी में सन् १९५९ में ४६ और सन् १९६० में २३ प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन के लिये प्राप्त हुये । इनमें से क्रमशः १९ और ९ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत हुई ।

*५०—५१—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

नोट—तारांकित प्रश्न ४७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कानपुर जिले में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*५२—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६० में अतिवर्षा के कारण कानपुर जिले में कितनी जन व पशु हानि तथा गृह ध्वस्त हुए हैं ?]

श्री हुकुमसिंह विसेन—गत अक्तूबर मास में अतिवर्षा तथा बाढ़ के कारण कानपुर जिले में २५ मनुष्यों की तथा ४२८ पशुओं की मृत्यु हुई है। ४,४९६ मकान गिर गये और २९,३०४ मकानों को क्षति पहुंची।

*५३—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त अतिवर्षा की हानि की पूर्ति में सरकार ने कितनी सहायता लगान में छूट व अन्य अनुदान व तकावी के रूप में दी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षति-ग्रस्त ग्रामों में खरीफ १३६८ फसली की मालगुजारी व लगान में क्रमशः १,५५,१७८ रु० १७ नये पैसे और ९८६ रु० ७८ नये पैसे की छूट देने का प्रस्ताव है और नियमानुकूल जो छट दी जा सकती है वह दी जायेगी। पीड़ितों के सहायतार्थ २,००,००० रु० अहेतुक सहायता के लिये और ४,३६,६८० रु० तकावी विपत्तिकालीन व ऋण (मकान बनाने के लिये) आदि के निमित्त स्वीकृत किये हैं।

फांसी दण्ड की माफी

*५४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के न्यायालय द्वारा फांसी की सजा प्राप्त कितने व्यक्तियों की सजा दिनांक १-९-६० से दिनांक ७-१०-६० तक माफ की गयी है और जिन कैदियों की फांसी की सजा माफ की गयी है उनके नाम और निवास स्थान क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिनांक १-९-६० से ७-१०-६० ई० तक की तारीखों में किसी भी फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ नहीं की गई। अतः उनके नाम औ निवास स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता।

पी० एम० एस० (प्रथम) के कर्मचारियों की सिविल सर्जन के पद पर नियुक्ति

*५५—**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में पी० एम० एस० (प्रथम) के कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों को सिविल सर्जन के पद पर तरक्की दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—छः।

*५६—**श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की तरक्की देने का क्या आधार था, सीनियारिटी अथवा अच्छा काम ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तरक्की यू० पी० मेडिकल सर्विस (पुरुष शाखा) नियमों के नियम २५ (१) के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर दी गई।

*५७—**श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को उक्त प्रकार से तरक्की दी गयी है उनसे सीनियर कितने लोग पी० एम० एस० (प्रथम) में हैं और उनको तरक्की न देने का क्या कारण ह ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तरक्की पाने वाले अन्तिम व्यक्ति से ५६ व्यक्ति सीनियर हैं जिनको सिविल सर्जन के पद पर तरक्की नहीं दी गई।

इन व्यक्तियों में से १० व्यक्ति ५० वर्ष की अवस्था से अधिक होने के कारण, ५ एम० बी० बी० एस० डिग्री न रखने के कारण और दो १० वर्ष का पी० एम० एस० (प्रथम) में अनुभव न होने के फलस्वरूप उपर्युक्त नियम २५ (१) के अन्तर्गत चुनाव के पात्र नहीं थे। शेष ३६ अधिकारियों को जो इस चुनाव के लिये पात्र थे, विभागीय चुनाव समिति ने तरक्की पाने वाले अधिकारियों के मुकाबले में कम योग्य समझा।

सी० एल० आर० डी० के अन्तर्गत सीरदारों से लगान वसूली की व्यवस्था

*५८—**श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सी० एल० आर० डी० के द्वारा जो अधिवासी सीरदार बनाये गये हैं उनसे ८ वर्ष का लगान वसूल कर रही है? यदि हां, तो उसी भूमि का लगान जो भूतपूर्व खातेदारों से लिया गया है उनको क्या सरकार वापस करेगी अथवा उनको केवल प्रतिकर ही दिया जायेगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सी० एल० आर० डी० स्कीम द्वारा उन्हीं अधिवासियों को भू-अभिलखों में सीरदार दर्ज किया जा रहा है जिन्हें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सीरदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे परन्तु जो अभिलेखों में उस प्रकार दर्ज होने से रह गये थे। ऐसे सीरदारों से उस अवधि का जबसे कि वे कानूनन सीरदार हो गये हैं लगान इस प्रकार वसूल किया जा रहा है कि उन्हें अपने चालू वर्ष की मांग के साथ बकाया लगान में से केवल एक ही वर्ष का बकाया देना पड़े। अधिवासी भूमि का जो लगान भूतपूर्व खातेदारों से वसूल हो चुका है उसे यदि उनका अन्य कोई खाता है तो उसके लगान में मुजरा द्वारा अन्यथा नकद वापस किया जा रहा है। उनको नियमानुसार प्रतिकर भी दिया जा रहा है।

*५६-६०—**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह**—[६ मार्च, १६६१ के लिये स्थगित किये गये।]

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम का प्रवर्तन

*६१—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम किन-किन जिलों के स्थानीय निकायों (टाउन एरिया, म्युनिसिपलिटी, नोटीफाइड एरिया और महानगरपालिकाओं) पर लागू है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तक किसी नागर क्षेत्र में नागर जमींदारी विनाश अधिनियम, १६५६ लागू नहीं किया गया है।

*६२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में स्थानीय निकायों (टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया आदि) पर उपर्युक्त अधिनियम लागू नहीं है वह कब तक लागू हो जायेगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अधिनियम को लागू करने का कार्य सरकार तत्परता पूर्वक कर रही है।

*६३-६५—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—[६ मार्च, १६६१ के लिये स्थगित किये गये।

नैपाल से देवरिया गल्ला लाने में कथित असुविधा तथा केन डेवलपमेंट यूनियन, देवरिया से कुछ गांवों को अलग करने की प्रार्थना

*६६—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोई पत्र इस आशय का जनवरी, १९६१ में प्राप्त हुआ है कि देवरिया निवासियों को नैपाल से गल्ला लाने की जो सुविधा व मार्ग दिये गये हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं अतः उन पर पुनः विचार किया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*६७—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नैपाल से देवरिया गल्ला लाने में इस वर्ष मुख्यतः क्या-क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और उनके क्या-क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*६८—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रेमबलिया, मल्लूडीह, कुड़वा उर्फ दलीपनगर, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के गन्ना उत्पादकों से पिछले तीन वर्षों में कितने आवेदन-पत्र इस आशय के "कि उक्त गांव केन डेवलपमेंट यूनियन, देवरिया से निकाल कर केन यूनियन, कसया, जिला देवरिया के क्षेत्र में मिला दिया जाय" केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

अल्मोड़ा की अदालत में मैजिस्ट्रेट की गैरहाजिरी से असुविधा

*६९—**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**—क्या यह सही है कि १९६० में अल्मोड़ा की अदालत में कोई मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल हाजिर न रहने के कारण हवालात के रिमांड आर्डर रानीखेत से लिये गये और कई केसों में जमानतों के केस कई दिन तक रुक गये ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—केवल एक केस में रिमांड आर्डर रानीखेत से लिया गया। किसी अन्य केस में जमानत नहीं रुकी ।

झांसी में अदालती कागजों की कमी

*७०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि अदालतों में इस्तेमाल होने वाले फार्म सम्मन इन्फिसाल, सम्मन तनकीह तलब, सम्मन गवाह, नोटिस आम फेहरिस्त दस्तावेज, टेन्डर ३ व ४ पर्त, रुपया उठाने की दरख्वास्त, दरख्वास्त नकल, दरख्वास्त मुआइना तथा वाटर मार्क बहुत समय से झांसी में अप्राप्त हैं ? यदि हां, तो उनके सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

उर्सिला अस्पताल, कानपुर में मरीजा के साथ बलात्कार की कोशिश

*७१—**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उर्सिला अस्पताल, परेड, कानपुर में चक्षु विभाग के एक कम्पाउन्डर द्वारा एक युवती मरीज के साथ, १ सितम्बर से १८ सितम्बर, १९६० के बीच बलात्कार करने की चेष्टा करने सम्बन्धी शिकायत वहां के किसी अधिकारी को मिली है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इसकी जांच की जा रही है।

अल्मोड़ा जिले में बन्दोबस्त में गड़बड़ी की शिकायत तथा कुमायूं में अर्सिंचित वृक्षों के रेकार्ड में सुधार की प्रार्थना

*७२—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें दानपुर के सभापति व सरपंचों का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र सं० एल० एक्स० बी० आई०/७ पी० ओ०/ ८–६०, दिनांक १–१–६० के साथ मिला था जिसमें जिला अल्मोड़े में चल रहे बन्दोबस्त की गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार की शिकायतें की गईं थीं? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७३—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या न्याय मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ३४–३५, दिनांक ८–९–६० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों के क्रम में यह आज्ञा जारी करेंगे कि कुमायूं में जिन खेतों में फल के पेड़ हों पर पानी (सिंचाई) न लगता हो तो उन्हें उप्राऊ (अर्सिंचित) दर्ज कर बन्दोबस्ती रिकार्ड में सुधार कर दिया जाय?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—इस विषय में विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

डफरिन अस्पताल, कानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*७४—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डफरिन अस्पताल, परेड, कानपुर के अधिकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित मंत्री व राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के पास १ जनवरी, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उनमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे और उन पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी शिकायतों की संख्या ४ हैं। उनके मुख्य आरोप तथा उन पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

आरोप	की गई कार्यवाही
(१) चिकित्सकों की लापरवाही से श्री जे० एल० सुलतानिया के नवजात शिशु की मृत्यु।	जांच से ज्ञात हुआ कि आरोप गलत हैं।
(२) श्री यदुनाथ सिंह की पत्नी को उपचार में विलम्ब तथा उनके कई बार पूछने पर भी मरीज की दशा न बताया जाना।	जांच की जा रही है।
(३) श्रीमती शान्ती देवी के साथ प्रसव के समय दुर्व्यवहार किया जाना तथा ऐसा करने से रोकने पर उनकी माता को अभद्रता पूर्वक कमरे के बाहर कर दिया जाना।	जांच से यह ज्ञात हुआ कि आरोप निराधार हैं।
(४) श्री रामस्वरूप वर्मा एम० एल० ए० द्वारा लगाया गया आरोप : (क) एक स्त्री का गर्भ गिरने का गलत कारण बताना तथा उसको लगी हुई चोटों का प्रमाण-पत्र न देना। (ख) मरीजों से फीस लेकर अस्पताल में भर्ती। (ग) चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर अधिक ध्यान देते हैं जिसके फलस्वरूप निर्धन मरीजों की उपेक्षा होती है।	इन सब की जांच की जा रही है।

डफरिन अस्पताल, कानपुर के विरुद्ध शिकायत

*७५—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास अक्तूबर, १९६० में डफरिन अस्पताल, कानपुर के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें इस आशय की आई हैं कि वहां मरीजों के दाखिले में रुपया लिया जाता है और बाद में पुनः रुपया न देने पर निकाल दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसी एक शिकायत १५ अक्तूबर, १९६० को प्राप्त हुई है। इसकी जांच की जा रही है।

कलेक्टरियों का पुनस्संघटन

*७६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—कलेक्टरियों के पुनः संगठन के सम्बन्ध में दिनांक २६-२-१९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३, ११४ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना के लागू होने पर कुछ नये पदों का सृजन भी किया गया और कुछ पदों को उसी समय क्रमोन्नति कर के उन्हें स्थायी बना दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी में भेलूपुर अस्पताल भवन न बन सकना

*७७—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भेलूपुर अस्पताल, शहर वाराणसी का भवन निर्मित करने के लिये महानगरपालिका वाराणसी को सन् १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में कितना रुपया उसने अनुदान के रूप में दिया है या मंजूर किया था ? भवन न बनाने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भेलूपुर अस्पताल, शहर वाराणसी के भवन निर्माण हेतु महानगरपालिका, वाराणसी को सन् १९५६ से १९६० तक कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। धनाभाव ही भवन न बनने का कारण है।

*७८—**श्री ऊदल**—उपर्युक्त अस्पताल में कितने मरीज सालाना इलाज कराने के लिये आते है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपरोक्त अस्पताल में गत चार वर्षों में इलाज के लिये आए हुए रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

सन्	आउटडोर रोगियों की संख्या	इनडोर रोगियों की संख्या
१९५७	२१,५४३	१९
१९५८	२५,१०८	४
१९५९	२७,५८६	३
१९६०	२४,०६३	१०

मोहनलालगंज तहसील के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*७९—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें ग्राम हलीमाबाद, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के काश्तकारों का उक्त तहसील के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक १९-९-६० का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। यह शिकायती-पत्र जिलाधीश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेजा गया था। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायती-पत्र की प्रारम्भिक जांच की जा चुकी है और शिकायतें अंशतः सत्य प्रतीत होने पर जिलाधीश ने संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

चकबन्दी विभाग में अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के लोग

*८०--**श्री भीखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में चकबन्दी विभाग में ३१-८-६० को निम्नलिखित पदों पर कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे थे और उनमें से प्रत्येक में अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या क्या थी और प्रत्येक पद के लिये कितनी शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है :

(१) चकबन्दी अधिकारी,
(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी,
(३) चकबन्दी कर्ता,
(४) लिपिक व पेशकार,
(५) चपरासी व मिरदहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६५ पर)

*८१--**श्री भीखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में मालगुजारी वसूलने के लिये निम्नलिखित पदों पर ३१-८-६० को अलग-अलग कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनमें से प्रत्येक में कितने अनुसूचित व पिछड़ी जाति के कर्मचारी थे और प्रत्येक पद के लिये कितनी शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है:-

(१) नायब तहसीलदार ,(२) कुर्कअमीन ,(३) लिपिक, (४) चपरासी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २६६ पर)

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद में वर्क्स कांउसिल के प्रस्ताव

*८२--**श्री जवाहरलाल** (जिला इलाहाबाद)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट प्रेस, इलाहाबाद शाखा की वर्क्स काउन्सिल में अब तक किन-किन विषयों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गवर्नमेन्ट प्रेस, इलाहाबाद शाखा के वर्क्स काउन्सिल द्वारा अब तक कुल १९ विषयों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किये जा चुके हैं जिनकी एक सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

*८३--**श्री जवाहरलाल**--उक्त सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों पर अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त सर्वसम्मति से पारित इन प्रस्तावों पर जो कार्यवाही अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है उसका विवरण सूची †नं० २ में दिया गया है जिसकी भी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इन पर सरकार द्वारा किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

---

† सूची छापी नहीं गयीं।

अतारांकित प्रश्न

पी० एम० एस० के कर्मचारियों की सिविल सर्जन के पद पर नियुक्ति

१—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिन पी० एम० एस० (१) के कर्मचारियों को १९६० में सिविल सर्जन बनाया गया है, उनमें से कितने के कार्यों पर हाई कोर्ट ने स्टिक्चर पास किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल एक पी० एम० एस० (प्रथम) अधिकारी पर ।

२—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० एम० एस० (१) वालों की तरक्की, पेन्शन आदि के सम्बन्ध में उनकी वार सर्विस पर ध्यान न देने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस पर पूरा ध्यान दिया गया है । लड़ाई से लौटे हुये चिकित्सा अधिकारियों को उनकी वार सर्विस का फायदा वेतन छुट्टी तथा पदोन्नति के निमित्त राजाज्ञा संख्या ३५४/वी०—६२/४६, दिनांक ३ जून, १९४७ तथा संख्या ५७५/वी०—९९६/६४, दिनांक २६ मई, १९४९ के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०३६-आर० जेड/१—क—६१०—६०, दिनांक २६ दिसम्बर, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) तृतीय तथा चतुर्थ (संशोधन) आज्ञायें*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय ,मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा (१) के अन्तर्गत दी गयी तथा नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ५२०-म-आ-३/ (संशोधन)-११ ग-८१-कार्य-६०, दिनांक २० जनवरी, १९६१ तथा संख्या ५२० -म-आ -४-(संशोधन)/११-ग—८१ कार्य ६०, दिनांक २० जनवरी, १९६१ के अधीन क्रमशः प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (तृतीय) (संशोधन) आज्ञा, १९६० तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (चतुर्थ) (संशोधन) आज्ञा, १९६० की उक्त धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० पंचायतराज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७५९-प/३३—२८ (२)-६१, दिनांक १० फरवरी, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

* छापे नहीं गये ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम–वी–टी–आर-ए–एम–५—४० १२–बी/३०–९ (६०)–एच–५९, दिनांक, १२ दिसम्बर, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत तराई क्षेत्र में गन्ने के मूल्य में कटौती के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार मेरे पास २ सूचनायें आयी थीं जिनमें से मैंने श्री झारखंडे राय की सूचना को स्वीकार किया है जिसके अनुसार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। यह इस प्रकार है:

"नैनीताल तराई में गन्ने की कीमत का ७५ प्रतिशत जबरदस्ती कोआपरेटिव कर्जे में किसानों से काटा जा रहा है। किसान स्वतः खुशी से ३५ प्रतिशत देने को तैयार हैं परन्तु उनकी कोई सुनवायी नहीं हो रही है। गन्ने के दाम का १५ प्रतिशत छिलाई और ढुलाई में खर्च होता है। इस प्रकार किसानों के पास केवल १० प्रतिशत ही बचता है जिससे किसान न खेती करा सकता है न अन्य कार्य कर सकता है।

इस व्यवस्था के प्रति तराई क्षेत्र के गन्ना-काश्तकारों में घोर क्षोभ व्याप्त है।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।"

माननीय सहकारिता मंत्री आज आप वक्तव्य देंगे या और किसी रोज ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—कुछ समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप कल देंगे या सोमवार को ?

श्री मंगलाप्रसाद—मैं चाहता हूं २७ तारीख को रख दें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है २७ तारीख को आप जवाब दें।

जिला उन्नाव में भुवनेश्वर मेले में डाकुओं द्वारा लूट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय गृह मंत्री इस विषय पर एक वक्तव्य देंगे जिसमें ५,००० की मेले की भीड़ में लूटमार हुई और उसके बीच पुलिस थाना रहते हुये भी यह वाकया हुआ।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, जिला उन्नाव में भुवनेश्वर का मेला हो रहा था। इस मेले में बहुत से दूकानदार और तिजारती लोग भी अपनी दूकानें लगाए थे। बंजारे लोग जो जानवर बेचने का काम करते हैं वह भी इस मेले में आये थे। ११–२–१९६१ की शाम को करीब ७ बजे जब कि बंजारे लोग अपना खाना पका रहे थे, १० या १५ आदमी लाठी और भालों से लैस हो कर आए और सर्वश्री करीम, निवासी अलीगंज, जिला एटा, जहूर, निवासी जरीला, जिला अलीगढ़ तथा बाबू, निवासी गौतम, जिला अलीगढ़ पर हमला किया और उनका कथन यह है कि डाकू लोग करीम से १,००० रु०, बाबू से ४,००० रु० तथा जहूर से ६,२०० रु० लूट कर ले गये।

---

* छापे नहीं गये।

मेले में एक पुलिस चौकी थी जो घटनास्थल से लगभग १०० गज की दूरी पर थी। सूचना पाते ही पुलिस के सिपाही घटनास्थल पर पहुंचे परन्तु उस समय तक हमला करने वाले व्यक्ति जा चुके थे । तीनों व्यक्ति करीम, बाबू व जहूर को चोटें आयीं। इनमें से करीम और जहूर बेहोश हो गये और तीनों को पुलिस की चौकी पर लाया गया और बाबू जो होश में था, उससे कहा गया कि वह घटना को बतावे परन्तु बाबू ने कहा कि वह पुलिस को कोई रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं है बल्कि वह अपना सारा नुकसान मेले के प्रबन्धकों से वसूल करेगा। बहुत कहने पर भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। इस पर चौकी के इन्चार्ज कान्स्टेबिल ने जनरल डायरी में घटना की एक रिपोर्ट सवा सात बजे शाम को दर्ज की जिसमें कथित लूटे गये धन का भी जिक्र कर दिया। रिपोर्ट की कापी उसी समय थाना सफ़ीपुर भेजी गई और घायल व्यक्तियों से कहा गया कि वे इलाज के लिये बारी खेरा अस्पताल चलें परन्तु उन्होंने उन्नाव अस्पताल जाना चाहा। अतएव एक सिपाही के साथ वे उन्नाव अस्पताल भेजे गये। वहां वे लोग रात्रि के ११·२५ पर दाखिल हुए। अस्पताल के डाक्टर ने उनका इलाज किया। बाबू, जो होश में था १३-२-६१ को डिसचाज किया गया। करीम भी १३–२–६१ की शाम को होश में आया और १५-२-६१ को अपने आप ही अस्पताल से चला गया। जहूर को १३-२-६१ को ही होश आया और वह १४-२-६१ को अस्पताल छोड़कर चला गया। करीम को ६ चोटें आई थीं जिनमें से ५ साधारण और १ ग्रीवस थी। यह सब चोटें कुंद भाले से पहुंचाई गई। जहूर को ७ चोटें आयीं जिनमें से १ ग्रीवस थी जो तेज धार के भाले से पहुंचाई गई थी। बाबू को तीन चोटें आईं जो साधारण थीं और कुंद भाले से पहुंचाई गईं थीं।

सूचना मिलते ही एस० ओ०, सफीपुर घटनास्थल पर ११-२-६१ की रात्रि को ९ बजे पहुँचे। चूंकि संबंधित व्यक्तियों ने कोई रिपोर्ट लिखाने से इंकार किया था इसलिये एस० ओ० ने कांस्टेबिल की रिपोर्ट पर धारा ३९५ आई० पी० एस० के अन्तर्गत थाने पर केस रजिस्टर किया।

तीनों घायल व्यक्ति बगैर डाक्टर से पूछे अस्पताल से चले गये थे और उन्होंने घटना की रिपोर्ट भी किसी पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को नहीं दी थी। पुलिस को भी अब तक इन तीनों व्यक्तियों में से कोई भी नहीं मिल सका है। मामले की जांच जारी है और कोशिश की जा रही है कि इन व्यक्तियों का पता लगाकर इनके बयान ले लिये जायं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या गृह मन्त्री बतलायेंगे कि जिस तरह से वे लोग रिपोर्ट लिखाना चाहते थे उस तरह से रिपोर्ट लिखने से पुलिस ने इन्कार किया या १०० गज की दूरी पर चौकी होने के बावजूद भी पुलिस का कोई सहयोग इन पीड़ित व्यक्तियों को नहीं मिला या किसी अन्य कारण से रिपोर्ट लिखाने से इन्कार किया गया?

श्री चरणसिंह—मैं तो अर्ज कर चुका हूं कि दो आदमी उस वक्त बेहोश थे। बाबू साहब ही होश में थे। उन्होंने कहा कि मेले के जो आर्गनाइजर्स हैं उनसे वे नुकसान वसूल कर लेंगे, इसलिये मैं कोई रिपोर्ट लिखाना नहीं चाहता। इसके बाद वे कांटैक्ट नहीं हो सके हैं क्योंकि अस्पताल में जहां पुलिस उन आदमियों को ले गई थी वहां से वे डाक्टर की मर्जी के खिलाफ चले गये और एस० पी० व डी० एम० को उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—इस बात को ध्यान में रखते हुये जहां यह संगीन घटना हुई है, तीन व्यक्ति मारे गये, दो आदमी बुरी तरह से मारे गये और बेहोश थे और १०० गज पर पुलिस चौकी थी ऐसे वाक्ये की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो सके इसके लिये क्या माननीय मंत्री जिले के बाहर के किसी विशेष अधिकारी द्वारा जांच करायेंगे कि पुलिस क्यों इतनी निष्क्रिय रही कि १०० गज की दूरी पर होकर भी वह कुछ न कर सकी?

श्री चरणसिंह—१०० गज के फासले पर पुलिस जरूर थी, लेकिन २ मिनट तक घटना रही। सैकड़ों आदमी मौजूद थे जिस वक्त उनको लूटा गया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई

[श्री चरण सिंह]

और जाहिर है कि उनको अपनी आउट-पोस्ट पर लाया गया। सवा ७ बजे रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। फौरन शफीपुर थाने पर भी एक कांस्टेबिल भेज दिया। १०० गज पर एक वाक्या हो रहा है और २ मिनट कायम रहता है तो पुलिस का कोई दोष इस मामले में मैं नहीं समझता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इस पुलिस चौकी में कितने कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल थे और उस झगड़े के वक्त कोई कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल मेले में तैनात था या नहीं?

श्री चरणसिंह—पुलिस की आउट-पोस्ट में ३ या ४ कांस्टेबिल थे और आर्म्ड गार्ड जिसकी बाबत श्री गोविन्द सिंह बिष्ट ने उस रोज माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि वह कहीं भेज दिया गया था और उस समय वहां मौजूद नहीं था यह बात भी गलत है, गार्ड मौजूद था और इनमें एक हेड-कांस्टेबिल भी मौजूद था।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेले के अन्दर कोई तैनात था या नहीं?

श्री चरणसिंह—मेले में कौन-कौन था और कितने-कितने गज पर था यह नहीं मालूम है, लेकिन वह आउट-पोस्ट ही उस मेले में थी और वे आउट-पोस्ट में मौजूद थे।

श्री गौरीशंकर राय—आमतौर से यह शिकायत होती है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। यह अस्वाभाविक प्रक्रिया है कि पुलिस तो मदद करना चाहती है लेकिन पीड़ित आदमी मदद नहीं लेना चाहता है। इस अस्वाभाविक प्रक्रिया को देख कर क्या पुलिस मन्त्री एक कमेटी बनायेंगे पुलिस अधिकारियों के अलावा जो यह जांच करे कि किन परिस्थितियों में इन लोगों ने पुलिस की सहायता लेना मुनासिब नहीं समझा और जो पुलिस के पास जाने में दरेग समझते हैं?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मैं किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय गृह मन्त्रीजी कृपा करके बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि दो व्यक्ति बुरी तरह से घायल थे और बेहोश हालत में जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, तो पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को भी सूचना दी थी कि उनकी हालत चिन्ता-जनक है और उनका डाइंग डिक्लेरेशन ले लिया जाय?

श्री अध्यक्ष—वह तो कह रहे हैं कि अच्छे होकर वहां से निकल कर चले गये।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, जब बयान नहीं दे सकते थे तो ऐसी हालत में नार्मल प्रोसीजर यह है कि पुलिस डाइंग डिक्लेरेशन ले।

श्री अध्यक्ष—डाइंग डिक्लेरेशन तो तब लेते हैं जब मरने का डर हो।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, वे बेहोश थे।

श्री अध्यक्ष—तो क्या बेहोश होने से ही मर जाते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—चोटें संगीन थीं, यह माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में स्वयं कहा है।

श्री अध्यक्ष—हां, यह बतायें माननीय मन्त्री जी कि क्या ऐसी स्थिति थी कि वे मर जाते?

श्री चरणसिंह—ऐसी स्थिति नहीं थी क्योंकि वे दोनों के दोनों १३ तारीख की शाम को होश मे आ गये थे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि बाबू साहब होश में थे, तो वह जिस तरह की रिपोर्ट लिखाना चाहते थे पुलिस ने लिखा नहीं था और गोलमाल लिखना चाहती थी क्या इसीलिये उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो पूछा जा चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्नाव या सफीपुर के कोई साहब सदन में नहीं हैं?

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह रिपोर्ट किस की है कि दो मिनट में सब काम हो गया ?

श्री अध्यक्ष—सूचना देते हुये अगर आप प्रश्न पूछें तो ज्यादा अच्छा हो। यह तो आप जिरह कर रहे हैं। आपको स्वयं क्या कोई जानकारी इस मामले की नहीं है?

श्री खजानसिंह चौधरी—जानकारी तो मुझे सब कुछ है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय मन्त्री जी को क्या यह पता है कि बाबू ने इस वाकये के बाद सरकार के पास एक इस आशय का प्रार्थना-पत्र भेजा है कि इस डकैती में पुलिस भी शामिल थी इस वजह से उसने रिपोर्ट लिखाने से इंकार कर दिया था?

श्री चरणसिंह—मेरे पास तो कोई इस तरह का प्रार्थना-पत्र आया नहीं है। यह हो सकता है कि आया हो और मैंने पढ़ा न हो, मेरी डाक में हो लेकिन अब तक मेरी नोटिस में आया नहीं है। अगर माननीय मित्र की नोटिस में है कि उन्होंने मुझे भेजा है तो मैं बहुत अनुग्रहीत होऊंगा अगर वे मुझसे बात कर लें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—जिन लोगों को चोटें लगी थीं और अस्पताल में दाखिल कराये गये थे उन्होंने डाक्टर को क्या बयान दिया कि किस तरह से उनके चोटें लगीं? श्रीमन्, मैं इतना और अर्ज कर दूं कि नियम के अनुसार जब इंजरी का केस किसी अस्पताल में जाता है तो डाक्टर के लिये लाजिमी है कि जिसके चोट लगी हो उसका पूरा बयान लिखें।

श्री चरणसिंह—मुझको तो यह इल्म नहीं है कि डाक्टर का भी यह फर्ज है कि बयान लिखे। डाक्टर तो केवल चोटें देखता है और चोटें किस किस्म की हैं या किस तरह के वेपन से आई हैं यह लिखता है और यह डाक्टर की रिपोर्ट में मौजूद है। आपकी इजाजत से मैं यह बतला दूं कि जितनी तूल-तबील इस मामले को दी जा रही है असल में उतना है नहीं। वह इससे जाहिर है कि उन्नाव से केवल दस मील की दूरी पर यह मेला लगता है और हर जिले में अखबार निकलते हैं किन्तु किसी अखबार तक में इसकी चर्चा नहीं हुई।

श्री भीखालाल—गृह मन्त्री जी ने अभी बताया कि इसकी सूचना किसी अखबार में नहीं आई तो मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि इसकी सूचना "स्वतन्त्र भारत" अखबार में छपी है। चूंकि यह स्थान १० मील शहर से दूर नहीं है और पुलिस की चौकी वहां है उसके होते हुये ऐसी गम्भीर घटना हुई है इससे काफी सनसनी जनता में है। तो क्या इसको देखते हुये वे सी० आई० डी० पुलिस द्वारा इसकी जांच करवायेंगे कि जिससे इसका रहस्योद्घाटन हो सके ?

श्री चरणसिंह--मैंने जैसा अर्ज किया कि तहकीकात हो रही है। इसमें केवल एक गलती है वह एस० ओ० की है और वह यह कि जब वह मौके पर पहुंचे ९ बजे तो उनका फर्ज था कि वे अस्पताल में जाते और वहां उन लोगों के बयान लेते, वैसे वह लोग बयान देने से पहले ही इन्कार कर चुके थे, और उस बयान को जो स्पेशल रिपोर्ट कहलाती है सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास भेजते। लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। इसलिये उनका जवाब तलब हो रहा है और कार्यवाही की जा रही है जो उचित है लेकिन मौके पर जो पुलिस थी उसका कोई दोष जो फैक्ट्स मेरे पजेशन में हैं उनको देखते हुये नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि वह ३९५ में रिपोर्ट दर्ज हुई है तो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन दोनों में से कोई घटना पर या अस्पताल मे जाने का कष्ट किये?

श्री चरणसिंह--यह तो मैंने अर्ज किया कि एस० ओ० ने रिपोर्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को नहीं भेजी। इसलिये उससे जवाब तलब किया जा रहा है।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--मंत्री महोदय ने बताया कि ७ बजे घटना हुई और एस० ओ० मौके पर ९ बजे पहुंचे तो इन दो घंटों तक वह कहां रहे जब कि यह चौकी सौ गज के फासले पर ही थी, वे कहां थे और क्या कर रहे थे?

श्री चरणसिंह--एस० ओ० चौंकी पर नहीं थे, वे सफीपुर थाने गये हुये थे। लेकिन चौकी पर जो सिपाही वगैरह थे, पहुंच गये थे जैसा मैंने कहा।

हारकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीटयूट तथा स्टेट हेल्थ बोर्ड की परामर्शदात्री समितियों के लिए एक-एक सदस्य के निर्वाचन होने की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट की परामर्शदात्री समिति में एक सदस्य चुना जाने को था। उस पर श्री एस० जी० दत्त चुने गये।

दूसरे, स्टेट हेल्थ बोर्ड के लिये श्रीनाथ भार्गव जी चुने गये हैं।

नियम ५३ के अन्तर्गत श्री प्रतापसिंह के प्रश्न के संबंध में सूचना

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मैंने श्रीमन्, दफा ५३ में एक प्रश्न दिया था...

श्री अध्यक्ष--मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है। उसमें बहुत-सी बातें निकलेंगी जो कि मैं समझता हूं कि यहां सदन के लिये भी ठीक नहीं है क्योंकि आप ऐसी चीजें कहेंगे जिससे सदन में गरमागर्मी ज्यादा हो सकती है दूसरे उससे जो नतीजे निकलेंगे उससे शायद विदेशी लोगों का ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि यह चर्चा गैर मामूली होगी।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन, मैंने तो डेवलपमेन्ट के बारे में रखा है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन उस विषय को आपने सीमित नहीं रखा है पंचमांगी भी रखा है। लेकिन मैंने उसमें आपको सूचना देने के लिये कह दिया है कि इसके बारे में आप मुझसे पहले बातें कर लें।

मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--अब श्री राजनारायण जो जो प्रस्ताव उपस्थित करेंगे मन्त्रि-परिषद् पर अविश्वास प्रकट करने वाला उसके लिये अभी तक यही प्रथा रही है कि समय निर्धारण

होता था। वैसे साधारण प्रस्तावों के लिये प्रस्तावक को २५ मिन्ट और बाकी लोगों को १५ मिनट और मन्त्रियों को जो उत्तर देते हैं उनके लिये २५ मिनट का समय नियमानुसार रहता है। सन् ५८ में अविश्वास का प्रस्ताव जब आया तो प्रस्तावक को २५ मिनट, मन्त्री जी जिनको जवाब देना था उनके लिये ४० मिनट का समय था और बाकी मन्त्रियों और बाकी विरोधी दलों के नेताओं के लिये २० मिनट था और सदस्यों के लिये १५ मिनट था। सन् १९५९ में प्रस्तावक के लिये ३० मिनट था और बाकी नेताओं को २५ मिनट, और मुख्य मन्त्री के लिये जो जवाब देने वाले थे उनके लिये यह कहा गया था कि जितना समय वह चाहते हैं उन्हें मिलेगा क्योंकि २ रोज की बहस होगी तो उनको अधिक समय जवाब देने के लिये मिलना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने ५० मिनट या १ घंटे के करीब समय लिया होगा। तो यह समय निर्धारण हुआ था। अब आप इस वर्ष के लिये क्या चाहते हैं?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हमारा निवेदन यह है कि पहले तो जो प्रस्ताव आये हैं उनमें कोई विषय वर्णित नहीं रहे हैं और अब की आप देखते हैं कि २१ विषयों का चार्जशीट हमारा है। एक-एक प्वाइंट पर यदि आप दो-दो मिनट भी लें तो ४२ मिनट हो जाते हैं और इसके बाद १०-५ मिनट ऐसे हों जो सम्यक् दृष्टि से हम यह बतला सकें कि हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को क्यों रख रहे हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसके अन्दर ही खत्म कर दें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—पहले मैं उनकी बात पर निर्णय दे दूं इसके बाद आप कहें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, हम आसानी कर देंगे। एक दिन राजनारायण जी को दे दिया जाय और एक दिन मुख्य मन्त्री जी को दे दिया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उनकी सलाह उचित है। यह रानीखेत में बैठ गये हैं और यहां भी बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—पहले मैं यह कह रहा हूं कि....

श्री गौरीशंकर राय—आप सब के सुझाव ले लीजिये....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठिये।

श्री गौरीशंकर राय—आप जबर्दस्ती बोलने को सुनते हैं .....

श्री अध्यक्ष—जो उन्होंने कहा उसके लिये मैं कह रहा हूं ....

श्री गौरीशंकर राय—आपके कहने पर। रोज वह ऐसा करते हैं और रोज आप एलाऊ करते हैं तो इस तरह से कैसे सदन का काम होगा?

श्री अध्यक्ष—उस तरह से तो आप भी कह चुके हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान् जी, यह भी कोई तरीका है। कोई नेता है तो उसके नये चेले भी बोला करें। नताओं के यह नये चेले श्रीमन्, चैन नहीं लेने देते हैं। श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि १५ मिनट सदस्यों के लिये, २० मिनट नेताओं के लिये और २० मिनट मन्त्रियों के लिये दिये जायं ताकि हम लोगों को भी मौका मिल सके।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठिये।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, हम लोग अन्धेरे में रहते हैं और आपको पता नहीं लग पाता कि पीछे वाले क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण जी ने यह कहा कि उनका प्रस्ताव २१ प्वाइन्ट्स का है। लेकिन उस दिन जो चर्चा हुई थी और जब बहस हुई थी तो दूसरा प्रस्ताव छोटा लेकिन ज्यादा व्यापक कहा गया था।

श्री गौरीशंकर राय--आपकी समझ में आये तब न।

श्री अध्यक्ष--मेरी समझ में आ गया था। पारसाल जो प्रस्ताव लाया गया था वह ऐसा ही था और उसके लिये २५ मिनट रखे गये, लेकिन यह संकुचित है इसलिये आप शायद सोचें कि २५ मिनट के बजाय २० मिनट ही राजनारायण जी को दिये जायं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि सदन के नियम के अनुसार प्रस्तावक महोदय को २५ मिनट मिलने चाहिये। मेरी राय में यदि इस नियम में ढील दी जाय तो बजाय समय कम करने के और बढ़ाया जाना चाहिये। माननीय नेता समाजवादी दल ने जैसा कहा है लेकिन मैं उनकी याददाश्त के लिये निवेदन कर दूं कि १९५७ में भी बहुत से कारणों के साथ प्रस्ताव आया था। यदि आप उसको देख लें तो समय निर्धारण में आसानी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रजा-समाजवादी पार्टी का सवाल है उसको किसी किस्म की इस नियम में निलम्बन करने की या रियायत की जरूरत नहीं है।

माननीय नेता समाजवादी दल को यह बड़ा गर्रा है और मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह आज ही नहीं दो बार पहले कह चुके हैं कि प्रजा समाजवादी दल का उम्मीदवार रानीखेत में बैठ गया, लेकिन प्रजा समाजवादी ही वह पार्टी है जो मौजूदा मुख्य मन्त्री को, दो बार चुनाव लड़ कर, हरा चुकी है।

श्री राजनारायण--एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठें।

श्री राजनारायण--यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--आपने चूंकि जिक्र कर दिया, तो जवाब देंगे।

श्री राजनारायण--मेरा....

(इस समय प्रजा समाजवादी दल की ओर से "बैठ जाइये, बैठ जाइये" की आवाजें आने लगीं तथा जोर-जोर से डेस्कें पीटी जाने लगीं जिसके प्रत्युत्तर में समाजवादी दल की ओर से भी डेस्कें जोर जोर से पीटी गईं।)

श्री राजनारायण--अगर आप चाहेंगे कि गुंडई से हमें दबा दें तो असम्भव है।

(सदन में बराबर शोर होता रहा।)

श्री अध्यक्ष--बैठक को मुझे स्थगित करना पड़ेगा। शान्त हो जायं, कृपा करके।

श्री राजनारायण--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--मैंने आपको जवाब दे दिया वह बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण--तो मुझे स्पष्टीकरण का मौका होगा।

श्री अध्यक्ष---वह बाद में कहिये। (श्री त्रिलोकी सिंह से) बताइये, आप क्या कहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह---मुझे अफसोस है कि मेरे किसी कथन से यहां भ्रम पैदा हुआ और सदन की कार्यवाही में कुछ अड़चन पैदा हुई। मैं कभी यह नहीं चाहता था। लेकिन जहां तक मुझे याद है आज भी कहा गया और एक दिन और कहा गया था कि प्रजा समाजवादी दल का उम्मीदवार रानीखेत में बैठ गया। इस कथन का असर जो मुझ पर पड़ा वह मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। उन्होंने यह इस नीयत से कहा कि प्रजा समाजवादी दल भाग गया, उस चुनाव से। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय नेता समाजवादी दल यदि कोई बात कहते हैं तो उसके बारे में उन्हें सुनने की क्षमता होनी चाहिये (व्यवधान)। मौके और बेमौके दोनों। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे मेरे हाथ पैर कमजोर हों, लेकिन मौके बेमौके, इस सदन में या इस सदन से बाहर जिन साहब को हिम्मत हो वह आकर बात कर लें, उसका जवाब पायेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनका यह कहना कि प्रजा समाजवादी दल यहां भी बैठ जायगा यह बहुत बड़ा लांछन है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि १२ मार्च को हम यह भी देख लेंगे कि मौदहा में प्रजा समाजवादी दल के उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे और समाजवादी दल के उम्मीदवार को रानीखेत में कितने वोट मिलेंगे।

श्री राजनारायण---स्पष्टीकरण कर लूं।

श्री अध्यक्ष---आपके ऊपर हमला तो नहीं किया।

श्री राजनारायण---मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि मौदहा में कितने वोट मिले थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह चुनाव लड़ा गया था सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर, डाक्टर लोहिया और राजनारायण के नाम पर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर लड़ा होता तो उसमें जमानत जब्त हो गई होती।

श्री अध्यक्ष---यह बात ठीक नहीं है। यह प्रश्न एक्सप्लेनेशन का नहीं है। आप कृपा करके बैठें। आपने उनके ऊपर रानीखेत के चुनाव के बारे में आक्षेप किया तो उसका उन्होंने जवाब दे दिया, आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया।

श्री राजनारायण---यह हमला नहीं है कि वहां देख लेंगे ? मौदहा और लखनऊ का तो कह दिया, लेकिन मलिहाबाद कहां चला गया ?

श्री अध्यक्ष---आप फिर हमला कर रहे हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि प्रस्तावक को आध घंटा, नेताओं को २०, २० मिनट, और मन्त्रियों को २० मिनट। उनके अलावा जिनको आप समझें उनको कुछ आप ज्यादा दे दें। बाकी के लिये १५ मिनट हैं ही।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पारसाल जो प्रस्ताव किया गया था वह काफी उचित था कि प्रस्तावक को आध घंटा दिया गया था और अन्य नेताओं के लिए २५ मिनट इसलिए रखा था कि २५ मिनट प्रस्तावक को देते हैं, तो नेताओं को, जो अपनी-अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, अपने विचार रखने का समुचित मौका मिलना चाहिये इसलिये २५ मिनट दिये और करीब-करीब वह प्रस्ताव पर दस्तखत करने से प्रस्तावक भी होते हैं, हालांकि एक को कह दिया जाता है, कि वह पेश कर दे इसलिये २५ मिनट दिये गये हैं। बाकी लोगों के लिये नियम के अनुसार १५ मिनट मिलेंगे।

मन्त्रियों के लिये जिन मन्त्रियों के विभाग के लिये आक्षेप किया गया हो तो उनको थोड़ा बहुत कहने का अधिकार और सदस्यों से ज्यादा होना चाहिये, इसलिये मैं समझता हूं

[श्री अध्यक्ष]

उनको २० मिनट काफी होंगे। बाकी मुख्य मन्त्री हैं उनके लिये पारसाल भी निर्धारण नहीं था। लेकिन वे आखिर में सबका जवाब वह देंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि करीब-करीब ५० मिनट या १ घंटा के करीब समय उनको आखिर में मैं दे दूंगा। राजनारायण जी को जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा कुछ थोड़ा-सा समय अधिक दे देना चाहिये तो मैं यह देखूंगा कि ३० मिनट से भी पांचेक मिनट यदि भाषण वह खत्म न कर पाये तो उसके लिये मैं विरोधी दल के नेता के सुझाव के अनुसार समय दे दूंगा।

श्री राजनारायण---यह सदन वर्तमान मन्त्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि---

(१) सरकार ने अलाभकर जोत (६।। एकड़ तक) के किसानों की लगान माफी नहीं किया।

(२) सरकार ने उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी को हटा कर राष्ट्रभाषा हिन्दी को कार्यान्वित नहीं किया।

(३) सरकार ने कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों की न तो फीस ही माफ की और न शिक्षा ही अनिवार्य किया।

(४) हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के हितार्थ सरकार ने अभी तक बैकवर्ड कमीशन की रपट लागू न करके पिछड़े तबके का अहित किया है।

(५) सोशलिस्ट पार्टी की न्याय युक्त संतुलित दाम नीति को कार्यान्वित न कर सरकार ने जीवनोपयोगी सामग्री को महंगा होने दिया है और इस प्रकार जनता पर संकट बढ़ा।

(६) न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव न कर सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में संविधान तथा कानून की अवहेलना करायी है।

(७) गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये अन्न, सेना तथा शिक्षक सेना का निर्माण न कर सरकार ने गरीबी तथा बेकारी को बढ़ाने में सहायता की है।

(८) प्रदेश की उच्चतम आमदनी और खर्चा को एक हजार के अन्दर नियोजित करने की मांग को सरकार ने ठुकराया है।

(९) जिला परिषदों का अविलम्ब बालिग मताधिकार के आधार पर सरकार ने चुनाव करने में उदासीनता दिखायी है।

(१०) मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के ऊपर सदन में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये जांच समिति बैठाने की मांग की अब तक सरकार ने उपेक्षा की है।

(११) अनावश्यक ढंग पर मन्त्रि परिषद् की संख्या बढ़ा कर सरकार ने जन-धन का सदुपयोग नहीं किया।

(१२) अधिकतम जोत सीमा अधिनियम को लागू करने में अनावश्यक ढंग पर विलम्ब करके किसानों का अहित किया गया है।

(१३) जिस ढंग पर वर्तमान मन्त्रि परिषद् का गठन हुआ है उससे जनतांत्रिक प्रणाली को धक्का लगा है।

(१४) ग्राम पंचायतों का निष्पक्ष चुनाव कराने में सरकार असफल रही है।

(१५) प्रदेश में विदेशी पंचमांगियों की गति विधि तथा प्रचार को रोक सकने में सरकार असमर्थ रही है।

(१६) संतुलित पूरक बजट पेश कर गरीबों के कर भार को कम करने में सरकार असमर्थ रही है।

(१७) पुलिस प्रशासन को जनतान्त्रिक ढंग पर विकेन्द्रित करके ग्राम पंचायतों के हाथ में पुलिस शक्ति हस्तान्तरित करने की ओर सरकार ने कदम नहीं उठाया, फलस्वरूप प्रदेश में चोरी, डाका, कत्ल, राहजनी बढ़ी है।

(१८) बाढ़ में ढहे मकानों को बनवाने के लिये भी सरकार ने कोई सुनियोजित योजना नहीं रखी जिससे आज तक बहुत से गरीब बे घरबार हो गये हैं।

(१९) सम्पूर्ण कुमायूं डिवीजन तथा उत्तराखंड के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोई सुनियोजित योजना सरकार ने आज तक पेश नहीं की जिससे वहां के भूमिहीनों तथा बेकारों और गरीबों के लिये घोर निराशा का वातावरण छाया है।

(२०) प्रदेश के श्रम को सुनियोजित करके श्रम के महत्व को प्रतिष्ठित करने की चेतावनी की सरकार ने पूरी उपेक्षा की है।

(२१) जनतन्त्र में शान्तिपूर्ण, अहिंसक सिविल नाफरमानी (सत्याग्रह) को वैध मान कर सरकार ने समता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र तथा समाजवाद को प्रतिष्ठित करने के लिये समुचित कदम नहीं उठाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने अविश्वास के प्रस्ताव को आपकी आज्ञा से सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। मैं इस बात के गौरव को सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर लेना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार पिछली सरकार की गलतियों, खामियों और दोषों की ओर अपनी पैनी दृष्टि रखी है उसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी ने इस सरकार की भी कमियों, खामियों और दोषों की ओर अपनी पैनी दृष्टि रखी है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सरकार की ओर से अक्सर बहाना आता रहता है कि यह सरकार दो महीने से बनी है मगर इस सरकार के जितने मन्त्रिगण हैं वह सब पुराने हैं और पहले से चले आ रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री भी जो आज मुख्य मन्त्री के पद पर विद्यमान हैं वह सन् १९५७ के पूर्व लगातार इस सरकार के कर्मठ मन्त्री के रूप में रह चुके हैं और सरकार की योजनाओं से परिचित हैं। इसलिये सरकार की ओर से यह बहाना समय-समय पर जो सदन में प्रस्तुत होता रहता है कि मौका दिया जाय, मौका दिया जाय, यह उचित नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को और अन्य लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि इस सरकार के ऊपर केवल इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इसको मौका नहीं मिला, कोई रियायत करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, मैं एक-एक प्वाइंट को लेकर आपकी आज्ञा से इस सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत होना चाहता हूं।

पहली बात अलाभकर जोत के सम्बन्ध में है कि उनका लगान माफ किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार असफल रही है अपने वादों को पूरा करने में। अगर जमींदारी उन्मूलन रपट को देखा जाय जिसके उपाध्यक्ष माननीय उपनेता सदन थे जो आज यहां पर विद्यमान हैं, उसमें यह कहा गया है पेज ५४७ पर कि हम सिफारिश करते हैं कि पुरानी परम्परा से चलती आने वाली दरें निम्न रूप से घटा दी जायं:—

१ एकड़ तक के लिये ६ आना प्रति रुपया। १ एकड़ से ४ एकड़ तक ४ आना प्रति रुपया। ४ एकड़ से ६ एकड़ तक २ आना प्रति रुपया और ६ एकड़ से १० एकड़ तक १ आना प्रति रुपया। यह जमींदारी उन्मूलन समिति की रपट है जिसके अध्यक्ष पन्त जी थे और उपाध्यक्ष हुकुमसिंह जी थे। चरणसिंह जी और अजितप्रसाद जैन और दूसरे सज्जन इसके सदस्य थे। मैं पूछना चाहता

[श्री राजनारायण]

हूं कि आज सरकार के पास क्या औचित्य है? सरकार जब सदन से यह सिफारिश करती है कि ६ आना हर हालत में लगान घटाना है और १ एकड़ से ४ एकड़ तक ४ आना घटाना है तो हम कहते हैं कि ६।। एकड़ वाले सभी किसानों का लगान माफ कर दिया जाय। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिसको यह सरकार करना चाहे तो न करे। मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी, जो भतपूर्व मुख्य मंत्री थे, इस सदन में यह चर्चा जब चली, तो उन्होंने कहा था कि हम इसका अन्दाजा करेंगे। इस बात का फैसला करेंगे कि यह लगान है या किराया है। मैं उसी बात को पुनः रखना चाहता हूं। चाहे यह लगान हो चाहे किराया हो किन्तु जिस किसान के पास, जिस गरीब के पास कुछ खाने के लिये नहीं है, वह अपनी जमीन से पैदा करके अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन नहीं जुटा सकता है और ऐसे किसानों पर यह सरकार अगर कर लगाती है तो क्या यह उनके खून को नहीं चूसती है? जो भरपेट भी भोजन नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज ६।। एकड़ वाले किसानों का लगान यदि यह सरकार माफ नहीं करती है तो यह सरकार उन गरीबों के रक्त को चूसती है।

दूसरा तर्क हमारा भाषा के सम्बन्ध में है। भाषा के सम्बन्ध में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि यह सरकार इन बातों की पूर्ति न करके पूज्य बापू महात्मा गांधी का नाम लेना चाहती है। मैं उन्हीं के वाक्यों को दोहराना चाहता हूं। वे कहते हैं कि न्यायालयों की भाषा हम चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा हो, अंग्रेजी न रहे। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मुकदमे की हकीकत तीन बटे चार पैरवी है और अपनी जबान में, अपनी भाषा में हम अपने मुकदमे की पैरवी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो मुकदमें की हकीकत जितनी अच्छी तरह से समझता है वह मुकदमे की पैरवी उतनी अच्छी तरह से कर सकता है। उच्च न्यायालय में अगर कोई अपने मुकदमे की पैरवी करना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि तुम अंग्रेजी में बोलो, हिन्दी में न बोलो। यह कहां का न्याय है? यह राष्ट्र का अपमान है और मैं समझता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा का अपमान है। अगर कोई उच्च न्यायालय में हिन्दी नहीं बोल पाये तो यह समाज के साथ राष्ट्र का अपमान है।

इसी सम्बन्ध में गांधी जी आगे कहते हैं कि "वास्तविक शिक्षा विदेशी भाषा के माध्यम से हो नहीं सकती क्योंकि शिक्षा वही है जो आपकी अन्तर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके और यह काम विदेशी भाषा द्वारा होना असम्भव है। मेरी पक्की राय है कि भारतीय पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान मिलना चाहिये। उर्दू को मैं हिन्दी की एक शैली मानता हूं। गुजराती, हिन्दी और मराठी में मैं बहुत बड़ा अन्तर नहीं मानता हूं। मारवाड़ियों से मेरा हिन्दी प्रचार द्वारा सम्पर्क हुआ। अमृतसर कांग्रेस में प्रवासी भारत वासियों का दुखड़ा मैंने खुले अधिवेशन को हिन्दी में सफलतापूर्वक सुनाकर अपना विश्वास दृढ़ कर लिया था कि हिन्दी ही राष्ट्र भाषा हो सकती है। असहयोग आन्दोलन के पारिभाषिक शब्द हिन्दी में गढ़े गये जो १९२० में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में व्यवहार किये गये, व्यवहार में लाये गये। हिन्दी का प्रचार और प्रसार सहज और सरल है। यदि अन्य प्रान्तों ने हिन्दी न अपनायी तो यह देश का दुर्भाग्य होगा और उनका भी होगा। मैंने शुरू से ही यह माना है कि जो माता-पिता अपने बालकों को आरम्भ से अंग्रेजी पढ़ाना और लिखाना सिखा देते हैं वे उनका और देश का द्रोह करते हैं।"

इंडिया क्लब में श्रीमन्, आप को मालूम होगा उस समय महात्मा गांधी जी ठहरे हुये थे, जब वे कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गये थे। वहां उस समय लार्ड कर्जन का दरबार लगा हुआ था। गांधी जी ने लिखा है कि इस दरबार में बहुत से राजे-महाराजे उस दरबार में शामिल होने के लिये इंडिया क्लब में ठहरे हुए थे। पहले तो वह धोती या अपने और कपड़े पहनते

थे लेकिन जब दरबार में जाना हुआ तो उस समय उन के लिये गांधी जी ने जो वाक्य लिखा है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं और वह इसलिये कि लोग यह न समझें कि उन से कड़ा वाक्य कोई दूसरा कह सकता है। उनका वाक्य है कि जब गांधी जी ने उन से पूछा कि यह खानसामा जैसी पगड़ी, पट्टी वगैरह क्यों? तो उत्तर मिला महाराजाओं और राजाओं की ओर से हम में और खानसामा में क्या आप कोई फर्क समझते हैं? वे हमारे खानसामा हैं और हम लार्ड कर्जन के खानसामा हैं। मैं माननीय गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि वे किस के खानसामा हैं? वे जनता के खानसामा बनना चाहते हैं या किसी अंग्रेज के? क्यों उन्होंने उच्च न्यायालय में हिन्दी को प्रतिष्ठित नहीं कराया? क्यों देश का धन रानी एलिजाबेथ के स्वागत में अपव्यय किया जा रहा है? क्यों यहां के लोगों को उस से वंचित किया जा रहा है? इसी प्रकार एक और दरबार किया जाता है काशी विश्वविद्यालय में शिलारोपण के अवसर पर। श्रीमन्, उस समय के लिये उन्होंने लिखा है कि उस समय के राजा महाराजाओं की वेशभूषा स्त्रियों को ही शोभा दे सकती थी। यह गांधी जी का वाक्य है। उस समय वहां लार्ड हार्डिग थे। उन्होंने लिखा कि मैं समझता था कि ये आभूषण वे स्वेच्छा से पहनते होंगे, परन्तु मुझे अब मालूम हुआ कि ऐसे समारोहों पर ऐसे कीमती वस्त्र पहन कर आना उनके लिये लाजमी था। जेल जाने से यह सब पढ़ने को मिल जाता है यह तो फायदा रहता ही है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो आज महारानी एलीजाबेथ का स्वागत किया जा रहा है, क्या महात्मा गांधी का वाक्य वहां चरितार्थ होगा? अभी काशी नरेश के यहां वह पधार रही हैं। करीब तीन लाख रुपया उनके स्वागत में खर्च होगा। पुरानी अंग्रेजी सभ्यता, भूषा, वेश का प्रबन्ध किया जायगा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—आप काशी नरेश को बीच में क्यों ले आये? आप दूसरों पर हमला न करें।

श्री राजनारायण—महारानी को बुलाने के लिये वह जिम्मेदार हैं इसलिये मैं कहना चाहता था। माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी, मुख्य मंत्री के रूप में यह समझ लें कि जनता की मांगों को वह पूरा नहीं कर सकते अगर रानी के स्वागत में अपार धन बर्बाद किया जायगा। इसलिये गांधी जी ने जो एक और वाक्य कहा है उसे मैं दोहरा देना चाहता हूं—"धन और सत्ता मनुष्य से क्या-क्या पाप और अनर्थ नहीं कराते"। और आज माननीय गुप्ता जी की सरकार धन और सत्ता की लोलुपता में बहुत ही बुरी प्रकार से ग्रस्त हो गयी है। धन और सत्ता की लोलुपता ने उसको ग्रहण कर लिया है, ग्रस लिया है। आगे मैं दूसरी बात पर आऊंगा लेकिन चूंकि लोगों के दिलों में शंका होगी इसलिये कह दूं.....

श्री अध्यक्ष—आपके १५ मिनट हो गये हैं।

श्री राजनारायण—नहीं श्रीमन्, अभी तो ५ मिनट नहीं हुए।

कक्षा ८ तक की फीस के लिये यहां पर माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब का भाषण है। अगर देखा जाय उसे तो उसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि "कक्षा ८ तक की फीस विद्यार्थियों की माफ करने की इच्छा सरकार की है"। मैं पूछना चाहता हूं गुप्ता जी से कि जब सरकार ने मान लिया है कि इस के लिये कार्यवाही की जायगी तो उसे कार्य रूप में क्यों नहीं लाया गया? लिखा है, "याद होगा कि इस राज्य की प्राइमरी शिक्षा पहले से ही हर एक के लिये मुफ्त की गयी है। यह इसलिये किया गया है कि आहिस्ते-आहिस्ते इस प्रणाली को आगे बढ़ाया जाय और आखिरी दर्जे तक की शिक्षा मुफ्त कर दी जाय। इस साल दर्जा ६ तक और आगे के सालों में ७ और ८ की भी मुफ्त होगी।"

श्रीमन्, सन् १९५७ में जब हमने आन्दोलन किया था, इस सरकार ने कई बातों का वायदा किया, मगर आज तक पूरा नहीं हुआ। श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि रानी विक्टोरिया तक धराशायी हुई थीं, यह हमारे आन्दोलन का फल था।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप इतने क्रोध में न बोलें। महारानी विक्टोरिया को इस समय आप कहां से ले आये, उनकी मूर्ति का जिक्र करते तो सही था।

श्री राजनारायण—हमारा उसी से मतलब था, हमने मूर्ति ही कहा था।

श्री अध्यक्ष—आपने मूर्ति नहीं कहा था, नहीं तो मैं आपको न टोकता। आप अपना वह शब्द वापस लें।

श्री राजनारायण—मैं उसे वापस लेता हूं। मूर्ति शब्द से ही मेरा मतलब था, उसे ठीक कर दिया जाय। उसे जोड़ लिया जाय।

इसके अतिरिक्त आप देखें कि बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं पूछ ा चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लिया गया। २९ जनवरी, १९५३ में यह कमेटी बनी, १८ मार्च, १९५३ में इसका उद्घाटन हुआ और सन् १९५५ में यह रिपोर्ट पेश हुई । राधा कमल मुकर्जी के अनुसार अब भी अगर देखा जाय तो करीब ३०.४ प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। देहात की सारी आबादी पर अगर ध्यान दिया जाय, जिसकी बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में चर्चा है, तो आपको मालूम होगा कि सरकारी सेवाओं में पहले वर्ग में २५ फीसदी, दूसरे वर्ग में ३३ १/३ फीसदी और तीसरे और चौथे वर्ग में ४० फीसदी उनके लिये जगह सुरक्षित होनी चाहिये और इसी के लिये उस रिपोर्ट में सिफारिश भी की गयी है। उस पर सरकार ने अभी तक क्यों ध्यान नहीं दिया? उनके लिये गृह-कुटीर उद्योगों की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी? उनके लिये मकानों की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी? उनके लिये पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी? उनके बच्चों के लिये उच्चतम पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी? अगर इस सरकार ने उस बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को माना होता तो आज यह सभी प्रकार की व्यवस्थायें हो गयी होतीं। सरकार ने उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। इसलिये हम इस सरकार पर अविश्वास प्रकट करते हैं।

इसके बाद हमारा ५वां प्वाइंट है संतुलित दाम नीति का। इस सरकार ने संतुलित दाम नीति को नहीं अपनाया है जिसके कारण रेलवे मजदूर हड़ताल, रोडवेज मजदूर हड़ताल, तनख्वाह तथा महंगाई भत्ता की बढ़ोत्तरी की मांगें, पी० डब्ल्यू० डी० की हड़तालें तथा और सभी प्रकार की हड़तालें होती रही हैं। यह क्यों हुई हैं? इसका मुख्य कारण संतुलित दाम नीति का अभाव है। सोशलिस्ट पार्टी ने इसके लिये बार-बार मांग की है कि जीवनोयोगी जो भी कारखानों द्वारा माल बनता है वह लागत से डेढ़ गुनी कीमत से ज्यादा दामों पर नहीं बिकना चाहिये। क्या सरकार ने उसके अनुसार दामनीति बनाई है? नहीं बनाई। जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट में भी यह सब बातें लिखी हैं, मगर इस सरकार ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और उन सिफारिशों की उपेक्षा ही की है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर तनिक भी इस सरकार के हृदय में गरीबों के प्रति दया होती तो वह एक संतुलित दाम नीति को बनाती। अगर सरकार ने यह सब किया होता तो इतनी हड़तालें न होतीं।

अब मैं छठे प्वाइंट पर आता हूं जो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के अलगाव से सम्बन्धित है। राजकीय लोक सेवाओं के लिये न्याय पालिका को कार्य पालिका से अलग रखने का सुझाव हमारे संविधान में दिया हुआ है। मगर अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। ला कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है, उसमें लिखा है —

"In Uttar Pradesh in some districts judicial officers (Criminal) are not entrusted with executive duties but the supervision of their work and their promotions rest with the executive."

ला कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात को लिखा गया है। मगर आज भी न्याय पालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया है। जब-जब भी हमने इसके लिये मांग की यही

कहा गया कि वह स्वतंत्र है, यह भी स्वतंत्र है, दोनों अलग-अलग हैं मगर ऐसी बात नहीं है। रामस्वरूप वर्मा जी का केस हमारे सामने है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो जाती है, सेशन कोर्ट से वह मंजूर होती है। दूसरी मिसाल हमारे सामने, डाक्टर अवधेशकुमार की है। श्रीमन्, असेम्बली की तनख्वाह में से इनके जुर्माने की कटौती की जाती है। मुझे जहां तक याद है, माननीय टंडन जी ने एक बार कहा था कि माननीय सदस्यों को जो यहां पर वेतन आदि मिलता है वह एक तरह का पुरस्कार है और किसी भी डिग्री या कुर्की की कटौती उसमें से नहीं की जायेगी मगर आज भी सरकार असेम्बली के मेम्बरों के वेतनों में से जुर्माने की रकम को वसूल करती है। आज भी इस सरकार को ऐसा करने में शर्म नहीं है।

श्रीमन्, संविधान निर्माण परिषद् में जब बहस चल रही थी तो मेम्बरों ने यह कहा था कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के अलगाव के लिये तीन साल की अवधि नियत कर दी जाय। किन्तु हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए यह कहा था कि ३ साल की अवधि न रखी जाय, और उन्होंने इसको स्पष्ट किया था कि तीन साल का वायदा मत रखो क्योंकि राज्य सरकारें तीन साल के वायदे के पूर्व ही ऐसा कर देंगी, इस पर उस समय विधान निर्मात्री परिषद् ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि १२-१२ वर्ष व्यतीत हो गये, १३ वर्ष हो गये, आज तक न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव क्यों नहीं किया गया। अगर सरकार नहीं करती तो यह उसका निकम्मापन है।

अब मैं सातवें प्वाइंट पर आता हूं। सोशलिस्ट पार्टी ने कहा है कि ढाई-तीन लाख जो बिना काम के हैं उनको अन्न की सेना में भरती करके नयी जमीन तोड़ने के कार्य में लगाया जा सकता है। वह जमीन को तोड़ें और अन्न पैदा करें। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और उनको काम भी मिल जायगा। आज प्रदेश में अपार अशिक्षा फैली हुई है। हम कहना चाहते हैं कि शिक्षक सेना क्यों नहीं बनाई जाती। जो आज शिक्षित बेकार हैं उनको सरकार भरती करे, उनके खाने-पीने की व्यवस्था करे, कुछ गांव उनके जिम्मे करे और उनसे कहे कि तुम इन लोगों को शिक्षित करो ताकि लोग शिक्षित होकर अपने भावों का उद्गार तो कर सकें। लेकिन इस सरकार ने ऐसे साधु सम्मत सुझाव को भी अमान्य कर दिया इसलिये इसके खिलाफ अवश्य अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये।

श्रीमन्, हमारी मांग थी कि एक हजार से अधिक किसी की आमदनी नहीं होनी चाहिये। मैंने दो दिन पूर्व रोडवेज और पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों को सलाह दी कि तुम अपनी लड़ाई का रुख मोड़ दो और यह मांग करो कि चीफ इंजीनियर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ढाई सौ या दो सौ से अधिक न पायें। जब जब कर्मचारी अपनी मांग रखते हैं तो सरकार कहती है कि पैसा कहां है, पैसा नहीं है। तो फिर इन अफसरों को ढाई हजार और तीन हजार क्यों खिलाया जाता है। उनकी भी तनख्वाह कम करो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जितनी डिसपैरिटी (असमानता) इस प्रदेश में है वह दुनिया के किसी कोने में नहीं है। हमारी यह मांग है कि यह डिसपैरिटी दूर होनी चाहिये।

अब जहां तक जिला परिषदों के चुनाव का सम्बन्ध है, इस सिलसिले में शर्म की कालिख कौन पोते अपने चेहरे पर? लेकिन कुछ लोगों को पोतना चाहिये। केवल एक सोशलिस्ट पार्टी है जिसने डंके की चोट पर सन् १९५७ से कहा कि जिला परिषदों का चुनाव अविलम्ब होना चाहिये। मैं कानपुर में जेल में था तो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी मुझसे मिलने गये थे और उन्होंने मुख्य मंत्री से कहा कि हमारी पार्टी का यह सुझाव है, इसको मानो। मुख्य मंत्री ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ कर सभी पार्टियों की सलाह से मैं काम करता हूं। उस समय माननीय विचित्रनारायण जी ने कहा था कि हम जनतन्त्रवादी हैं, नेता विरोधी दल ने सुझाव दे दिया कि इस गर्मी में चुनाव नहीं कराना चाहिये अभी जिला परिषदों का.....

कई सदस्य--कारपोरेशन के लिये कहा गया था।

श्री राजनारायण—कारपोरेशन ही सही। इसी सदन में उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ कर अन्य पार्टियों की सलाह से हम कार्य कर रहे हैं। इसलिये शर्म की कालिख किसी को अपने चेहरे पर पोतनी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पोते और उसके अधिकारी पोतें। मेरी मांग है कि चुनाव होना चाहिये, फौरन होना चाहिये और आज होना चाहिये। माननीय कैलाश प्रकाश जी ने कह दिया कि १९६२ के बाद चुनाव होगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता रानीखेत में हमारे हाथ में शक्ति दे मुख्य मंत्री को हराकर जिनकी ओर से कहा गया हम चुनाव नहीं करायेंगे और यह दिखा दें कि प्रदेश की जनता चुनाव के लिये तैयार है लेकिन सरकार चुनाव को टाल रही है, १४ वर्षों से टाल रही है, १९६२ का चुनाव जीतने के लिये टाल रही है।

श्रीमन्, मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में मेरा दसवां प्वाइंट है। इनके सम्बन्ध में क्यों न जांच बैठाई जाय। मुझे अफसोस है मैं कहना नहीं चाहता मगर जो खुद सताया हुआ हो उसको ज्यादा सताने से कोई फायदा नहीं है। मैं कर्तव्य से प्रेरित होकर कहना चाहता हूं कि हमें पार्लियामेंट से हमारे मित्र जगदीश अवस्थी जी ने लिखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल किया कि धीरज लाल शाह ऐण्ड कम्पनी बाम्बे में है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको ठेका दिया है, कमलापति जी ने अपनी एफीडेविट में कहा है, यह कम्पनी कौन कम्पनी है और कब बनी थी?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप किसी का नाम न लें।

श्री राजनारायण—अच्छा, नाम नहीं लेता। भूतपर्व गृह मंत्री ने अपने शपथ-पत्र में लिखा था, श्री जगदीश अवस्थी को जो जवाब मिला था उसका अंश पढ़ रहा हूं—

"With reference to your notice question on the subject noted above (copy enclosed), I am directed to state that the Ministry have intimated that there appears to be no company by the name Dheeraj Lal Shah and Co., (Bombay)."

मैं जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से जो जवाब दिया गया है कि धीरजलाल शाह ऐन्ड कम्पनी नामक कोई कम्पनी नहीं है तो फिर यह सरकार बताये कि उसने किस कम्पनी को ठेका दिया? ऐसा काम करने वाली सरकार क्या नालायक सरकार नहीं है, क्या लायक है? मैं श्री गोविन्द नारायण जी का नाम नहीं लूंगा। यहां के चीफ सेक्रेटरी और ६ अन्य बड़े-बड़े आफीसरों जिनमें वर्तमान चीफ सेक्रेटरी, भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी आदि शामिल हैं, उनके खिलाफ हमने इस सदन में चार्ज लगाया था जिसके लिये माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जांच करने का वायदा किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह जांच हुई? इसी प्रकार से गांवों को ऊंचा करने के नाम पर अपनी पाकिटों को ऊंचा किया गया और गांवों को ऊंचा नहीं किया गया, क्या इसकी जांच हुई? अगर नहीं हुई तो अब फौरन हो, तत्काल हो। वर्तमान मंत्रिमंडल ने इसकी तत्काल जांच क्यों नहीं की?

इसके अलावा मैं इस बात को कतई पसन्द नहीं करता हूं कि जिस रूप में और जिस तरह से वर्तमान मुख्य मंत्री को यहां बैठाया गया है, प्रजातन्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री को इस तरह से यहां बैठाकर जनतन्त्र की हत्या की गयी है। कोई भी जनतन्त्र का विद्यार्थी सत्ता और शक्ति का विकेन्द्रीकरण चाहता है लेकिन अगर कोई आदमी किसी पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो क्या वह सर्वगुण सम्पन्न हो जाता है और अगर अध्यक्ष नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता? यह कहां की व्यवस्था है? कौन-सा वह जनतंत्र का विद्यार्थी होगा जो यह कहेगा कि एक ही व्यक्ति के हाथ में संगठन की शक्ति और शासन की सत्ता दे दी जाय। सोशलिस्ट पार्टी इन दोनों के मिलन को तानाशाही की व्यवस्था करना समझती है। इस प्रकार से इस प्रदेश में आज तानाशाही है।

अब देखिये कौंसिल सदस्यता से २० तारीख को भाटिया साहब का इस्तीफा आता है, २३ तारीख को गुप्ता जी का नामांकन होता है, २८ तारीख को भाटिया साहब के त्याग-पत्र की बात गजट में निकलती है यह कहां का न्याय है ? उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २३२ और २३३ को देखा जाय तो २३२ में लिखा है—

"(१) कोई सदस्य जो परिषद् में अपने स्थान से त्याग-पत्र देना चाहे, अपना त्याग-पत्र सभापति को प्रस्तुत करेगा।

(२) किसी सदस्य से, उसके हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना प्राप्त कर लेने पर कि उसने परिषद् में अपने स्थान का त्याग कर दिया है, सभापति यथाशीघ्र, परिषद् को सूचित करेंगे कि सदस्य ने परिषद् में अपने स्थान का त्याग कर दिया है।"

अब २३३ दफा कहती है—

"२३३—परिषद् की सदस्यता के समस्त रिक्त स्थान, उन स्थानों को छोड़कर जो सदस्यता की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप रिक्त हो गये हों, सचिव द्वारा गजट में अधिसूचित किये जायेंगे और अधिसूचना की प्रतिलिपियां निर्वाचन आयोग तथा राज्यपाल को रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये कार्यवाही करने के हेतु भेजी जायंगी।"

लेकिन यहां भाटिया साहब ने २० तारीख को इस्तीफा दिया। वह गजट कब हुआ ? एलेक्शन कमिश्नर को कब भेजा गया ? कब राज्यपाल को भेजा गया ? इस्तीफा सभापति को दिया गया या नहीं दिया गया, इनके संबंध में कौंसिल के हमारे सदस्यों ने बार-बार सवाल किये लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गयी। २३ तारीख को माननीय गुप्ता जी कौंसिल में नामजद कर दिये गये और भाटिया का गजट होता है २८ तारीख को। यह क्या है ? क्या धरती हिल जाती और गगन फट जाता, अगर गुप्ता जी कौंसिल में नामांकित होकर न आ जाते ? यह बिलकुल अशोभनीय और अमर्यादित चीज हुई है। इस तरह की चीज कभी भी नहीं होनी चाहिये थी। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी रानीखेत में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे विरोधी दल के नेता महोदय भी मुझे धमकी देते हैं कि देख लेना जितना वोट उनको मिला था उतना सोशलिस्ट पार्टी को नहीं मिलेगा। तो मैं बड़ी नम्रता के साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मामले में हमारा साथ दें और हम मिल करके मुख्य मंत्री को हरावें। यह धमकी का सवाल यहां कैसे आया और क्यों धमकी दी गयी ? इस धमकी का माने तो यह है कि वे गुप्ता जी से मिले हुए हैं और उनको जिताना चाहते हैं। जरा देखें तो कि यह कैसी व्यंजना है ? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मौदहा में जो चुनाव हुआ . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप सरकार को छोड़ दूसरी पार्टी के बारे में नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण—खैर, रानीखेत के चुनाव का प्रश्न सामने है, उसी पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों की ओर से वहां के सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव कार्य में बाधा पड़ती है। वहां कांग्रेस पार्टी की ओर से यह प्रचार किया जाता है कि गुप्ता जी को वोट दो क्योंकि अगर गुप्ता जी को वोट नहीं भी दोगे तो भी वे मुख्य मंत्री तो बने ही रहेंगे क्योंकि वे कौंसिल में नामांकित सदस्य हैं। वे हारें या जीतें मुख्य मंत्री तो बने ही रहेंगे। ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी आज अपनी कौंसिल सीट से इस्तीफा दें और वे यह घोषणा करें कि अगर रानीखेत की सीट से हार गये तो मुख्य मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि वहां का जनमत जो है इस तरह के प्रचार से प्रभावित हो रहा है और इस बात में सन्देह हो रहा है कि वहां चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकेगा। तो चुनाव निष्पक्षता से कराने के लिये गुप्ता जी को चाहिये कि वे इस्तीफा दें और लड़ें और तब मजेदार बात होती।

[श्री राजनारायण]

मैं क्या कहूं आज मैं श्री त्रिलोकीसिंह की जगह पर नहीं हुआ, वरना मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे देता और गुप्ता जी को चुनौती देता कि वे लखनऊ से लड़ें और तब पता पड़ता कि कौन कितना प्रिय है।

एक सदस्य—आप बनारस से ही इस्तीफा देकर उनको खड़ा कर दीजिये।

श्री राजनारायण—बनारस से वे हार जायेंगे तो यही कहेंगे कि वह हमारा कार्य-क्षेत्र नहीं रहा। लेकिन लखनऊ तो इनका कार्य क्षेत्र है . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं फिर कहता हूं कि आपको गुप्ता जी से लड़ना है तो लड़ें, अन्य विरोधी पार्टियों से क्यों लड़ते हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वहां तो हम इनका साथ देंगे।

श्री गौरीशंकर राय—इनको सरकार के विरुद्ध तो कुछ कहना नहीं है, हम लोगों के विरुद्ध ही कहने दीजिये।

श्री राजनारायण—बहुत हो गया। तो श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस बात को कहना चाहता हूं और गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे कांग्रेस की सीट से इस्तीफा दे दें और इस बात की आज घोषणा करें कि अगर वे रानीखेत में हार गये तो मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप इधर उधर न भटकें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ग्राम पंचायतों के चुनाव में समय पर वोटर लिस्टें बदली गयीं, पुराने ग्राम पंचायत के सदस्य भी वोटर में नहीं रखे गये, सभापतियों के पर्चे फाड़ डाले गये, नामांकन के दिन दूसरे न्याय पंचायतों से चोरी में सजा सुना दी गयी, नाबालिग वोटर बनाये गये और बालिगों की उम्र कम कर दी गयी या हटा दिया गया। तो इस तरह से वहां भ्रष्टाचार हुए।

जहां तक संदिग्ध देश भक्ति की बात है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जो अराष्ट्रीय है और वह कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी केवल उत्तरी सीमा पर ही नहीं बल्कि नेपाल से मिले हुए जो गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी के जिले हैं उन सब जिलों में भी इस पार्टी के गुप्तचर हैं जो अपने को जयचन्द नहीं कहते बल्कि विभीषण के रूप में लोगों से कहते फिरते हैं कि चीन हमें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये आ रहा है, यहां की पूंजीवादी व्यवस्था से विमुक्त करने के लिये आ रहा है। सरकार को चाहिये कि वह इस तरह के प्रचारों का खंडन करे, अहिंसात्मक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करे लेकिन सरकार वह भी नहीं कर रही है। इस प्रकार एक तरह से सरकार के ऊपर मैं राष्ट्र द्रोह का लांछन लगाता हूं। श्रीमन्, अब पुलिस के तो दो-दो आई० जी० रखे जायेंगे और शिक्षा विभाग से लोग हटाये जायंगे। स्पेशल पद पर से उस पुराने बुड्ढे डा० हैकरवाल को हटा दिया गया—जो कि समझदार पढ़े-लिखे आदमी थे—उन बेचारे बुड्ढे आदमी को हटाया गया लेकिन पुलिस में दो-दो आई० जी० रखे गये हैं। सरकार कहती है कि हम अफसरों को घटा रहे हैं तो फिर २ आई० जी० क्यों रखे जा रहे हैं। अगर श्री सम्पूर्णानन्द जी की भर्त्सना जातिवाद के लिये हुई है तो उसी जातिवाद के लिये गुप्ता जी की भी भर्त्सना हो सकती है यह उनको समझ लेना चाहिये।

बाढ़ में जो मकान गिरे हैं उनके विषय में आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई। मैं चाहता हूं कि जिन गरीबों के मकान गिरे हैं उनको सरकार अपनी ओर से बनवाने का प्रबन्ध करे।

इसके अतिरिक्त संपूर्ण कुमायूं डिवीजन के उत्थान के लिये एक कार्यक्रम पेश करते हैं। आज वहां पर भोजन की बहुत कमी है, वहां पर फलों की खेती बढ़ाई जा सकती है जैसे सेव है, अखरोट है, अंगूर है, आलू, खूबानी, आड़ू आदि। यह चीजें ४ से ६ हजार फिट की ऊंचाई पर अधिक होती हैं। वहां पर गरीबों के लिये छोटे उद्योग धन्धों को क्यों नहीं विकसित किया जाता? वहां पर खड़िया मिट्टी, सोपस्टोन, कागज का काम, कत्था, लीसा, सीसा, तांबा आदि का विदोहन होना चाहिये, लाइम सीमेन्ट बनाने का पत्थर वहां मौजूद है लेकिन कोई भी सीमेन्ट का उद्योग वहां नहीं खोला गया है। वहां पर सोतों पर टैंक बनाकर पानी की व्यवस्था की जा सकती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसी तरह से काठगोदाम में गोला नदी पर पुल टूटा पड़ा है जिससे वहां सिंचाई और आवागमन का प्रबन्ध खराब हो गया है। बिजली, नदियों को बांध कर बनाई जायं, जैसे पिंडर नदी, गेंधीछरी, नयार बांध, खोहनदी, राम गंगा, भागीरथी हैं इन पर आसानी से बिजली के पावर हाउस बनाये जा सकते हैं।

आज तक गन्ने की बिक्री की कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई है और किसानों को आज भी वही परेशानी है। उचित दाम ही गन्ने के नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से जो हमारी वन सम्पदा है उसको नष्ट किया गया है। आज इंधन की भारी समस्या प्रस्तुत हो गई है। सरकार की तरफ से स्टार पेपर मिल सहारनपुर को ७ पैसे मन लकड़ी दी गई है और जो वहां के रहने वाले हैं, वन के निकट बसने वालों को लकड़ी का संकट उत्पन्न हो गया है।

नागजाला बन बंजर भूमि में १०० हरिजन परिवार जो ९ वर्ष से काबिज थे उनको भूमिहीन बना दिया गया। उसके विषय में माननीय पंत जी ने आश्वासन दिया था लेकिन फिर भी आज तक वह भूमि उनको नहीं मिली और उसी वन विभाग में पंडित जमुना दत्त, श्री बलवन्त सिंह, श्री मोहन सिंह को सात-सात एकड़ से ५०–५० एकड़ तक जमीन दी गई है।

इसके अतिरिक्त कुमायूं में विश्वविद्यालय बनाने की पुरानी मांग है। वह बनाया जाय और वहां बहुधंधी स्कूल भी खोले जायं। वहां प्राइमरी स्कूलों का हाल यह है कि ६०–६० विद्यार्थियों को एक-एक अध्यापक पढ़ा रहा है। वहां पर एक पंत हाई स्कूल, देवामल पट्टी में खुला था लेकिन अब तक उसको सरकार की ओर से पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल सका है। वहां पर अस्पतालों का भी समुचित प्रबन्ध नहीं है और वहां प्राइवेट डाक्टर भी नहीं जाते। जो भूमि का ब दोबस्त वहां हुआ है उसमें भी तरह-तरह की धांधले-बाजी हो रही है और तीन-तीन पुश्त के जो पुराने कृषक थे उनका कब्जा हटाया गया है।

चिमटा से आनखाल---मिखिया सेन और आनखाल से पुनुवाधोखन सड़क अगर बना दी जाय तो ५०० गांवों का भला हो सकता है। वहां पहले श्रमदान से १२ मील की सड़क बनी थी लेकिन वह भी टूट गई। राम गंगा पर अवनेड़ी पुल और बदन गढ़ नदी तथा देवता गधरी पर पुल बनाना आवश्यक है क्योंकि रामनगर मंड़ी बरसात में अलग हो जाती है और कोई रास्ता नहीं रहता। दडमाड से मिखियासेन तक कोई पुल नहीं वहा पहुंचने के लिये २२–२३ घाट तैर कर पुल पार करने होते हैं। तनकपुर से गरुड तक रेलवे लाइन होना आवश्यक है।

श्रम विभाग की सरकार पूरी तवज्जह नहीं दे रही है। मजदूरी सब को समान मिलना चाहिये और बहुत अधिक या ड्योढ़े से अधिक मजदूरी में अन्तर न होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो रहा है।

श्री राजनारायण---बस एक मिनट में दो एक बात और कहने दें। मैं चाहता हूं कि मालिक अस्थायी और स्थायी का अन्तर मिटा दें और उनको कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य दें कि वह जीवनोपार्जन कर सकें, मजदूरों के परिवारों के लिये भी बोनस, बीमे का प्रबन्ध हो। उनको दवादारू समय से मिले और इसी तरह की व्यवस्था खेत मजदूरों के लिये

[श्री राजनारायण]

भी की जाय । आज भी स्वदेशी काटन मिल के कपड़ा कर्मचारी असहाय अवस्था में हैं और रोडवेज कर्मचारी व बुनकरों का ध्यान रखा जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी आवाज को बुलन्द करता हूं और ईमानदारी से सरकार का ध्यान प्रदेश की जनता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । हमने यह अविश्वास का प्रस्ताव केवल प्रचार के लिये यहां नहीं रखा है बल्कि हमारे हृदय में और हमारे दिल में यह बात जम गई है कि इस सरकार को तत्काल हटाना है और यहां से जाना है तभी प्रदेश की ग्रसित जनता का भला होगा और मेरी प्रार्थना है कि सदन इस प्रस्ताव को पास करे ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)––अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसका विशेष कारण यह है कि यदि प्रस्ताव इस रूप में पास हो भी जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा ? मैं पूछना चाहता हूं माननीय विरोधी दलों के नेताओं से कि आज विरोधी पक्ष की जो स्थित है, क्या वह इस स्थिति में हैं कि यदि यह प्रस्ताव पास हो जाय तो इस प्रदेश के शासन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें सकें ? मुझे अफसोस है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से विरोधी पक्ष अपना काम करता रहा है उससे कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने को यह प्रमाणित नहीं किया कि वह कोई भी जिम्मेदारी का काम लेने के काबिल है। माफ करेंगे विरोधी पक्ष के मेरे साथी, मेरे उसमें बहुत से मित्र हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूं और वह मेरे साथ आन्दोलनों में जेल भी गये हैं, लेकिन जनतन्त्र की प्रगति और सफलता तभी सम्भव है जब कि विरोधी पक्ष सुदृढ़ हो, मजबूत हो और रचनात्मक आधार पर काम करे । विरोधी पक्ष के तीन काम माने जाते हैं–– पहला तो यह कि विरोधी पक्ष सरकार के सामने एक आल्टरनेटिव पालिसीज प्रोग्राम जिससे प्रदेश की इकोनामी अच्छी हो सके ऐसी शुद्ध शिला प्रस्तुत करे । मुझे खेद है कि आज तक बजट के भाषणों में कमी भी विरोधी पक्ष की तरफ से कोई भी चित्र बजट का, जो उसकी राय में होना चाहिये , नहीं पेश किया गया ।

दूसरा काम उनका होता है कि वह जनता को जनतंत्र के प्रयोग में शिक्षित करें चुनाव में और दूसरे अवसरों पर मुझे खेद है कि विरोधी पक्ष उस परीक्षा में भी सफल नहीं हुआ । हमारा देश बड़ी कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है । जब देश आजाद हुआ तो उसके सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें थी, जैसे बेकारी की, भुखमरी की और उसके बाद बढ़ती हुई आबादी की समस्या थी ।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीपाल सिंह पीठासीन हुए)

क्या आपको मालूम है कि इस प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १३.८ प्रतिशत आमदनी बढ़ी है लेकिन खेद यह है कि यहां की आबादी भी १३.४ बढ़ी है जिसका मतलब यह हुआ है कि जो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हमने प्रगति की उसको बढ़ती हुई आबादी ने खा लिया । आंकड़े इसके हैं माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य इसका अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं ।

तीसरा कार्य यह होता है विरोधी पक्ष का जब सरकार का पक्ष अगर निर्बल हो, उसकी नीतियां खराब हों और उस पर अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद वह अपनी सरकार बनाये । मैं पूछना चाहता हूं आज विरोधी पक्ष इस स्थिति में है। क्या वह आल्टरनेटिव सरकार बना सकता है ? यदि नहीं, तो परिणाम यह होगा कि या तो प्रेसीडेन्ट रूल हो या कैआस हो । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं केवल इस आधार पर, जो महत्वपूर्ण है, कि विरोधी पक्ष के और प्रस्तावक महोदय के भी कार्य इस तरह के हैं जिनसे विरोधी पक्ष एक सबल पक्ष नहीं बन सका । और उसके कारण यहां के जनतंत्र के प्रयोग में जो कमजोरियां आयी है वे विरोधी पक्ष सुसंगठित न होने के

कारण हैं। अब मैं कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूं जिनका कि उल्लेख माननीय राजनारायण जी ने किया। हमारे देश के लिये यह बड़ी आवश्यक बात है कि हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त हो। हमने उसे विधान में राष्ट्र भाषा का स्थान दिया है। यह बड़े खेद की बात है कि बहुत से स्थानों पर जहां हिन्दी होनी चाहिये थीं वहां आज भी हिन्दी का स्थान नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उसका जिम्मेदार कौन है?

न्यायालय के संबंध में बहुत कहा गया। मैं जरा राजनारायण जी से कहूंगा कि वह जरा विधान को देख लेते और हमें बताते कि इस सरकार का न्यायालयों में हिन्दी रखने का कोई अधिकार है और उसका कोई उत्तरदायित्व है या नहीं। प्रदेश की सरकार को इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में हिन्दी में कार्य हो, हिन्दी में जजमेंट हों। केवल संसद और राष्ट्रपति उसे स्थान दिलवा सकते हैं और उसको वहां प्रभावी बना सकते हैं।

यह प्रश्न अवश्य है कि हमें हिन्दी को आगे बढ़ाना है लेकिन जिस तरह से आप हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं उसकी प्रतिक्रिया ही होगी। आप हिन्दी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज उसके लिये मेनटेलिटी बदलनी होगी। एक अस्पताल में मैं गया। मेरे चोट लग गयी थी। मैंने डाक्टर को कहा" नमस्कार"। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया और वे उसे ही ज्यादा गौरवपूर्ण उत्तर समझते थे"गुड़ मार्निंग सर"। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि हिन्दी को उचित स्थान दिलाने के लिये उन्होंने पार्टी में क्या कार्यक्रम उपस्थित किये हैं।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की समस्यायें केवल आन्दोलनों से या नारों से हल नहीं हो सकती। उसके लिये कुछ ठोस तथा रचनात्मक कार्य करने की आवश्यकता होती है। आप शायद यह समझते हैं कि केवल कुछ थोड़े से आन्दोलनों से तथा नारेबाजी से देश की समस्यायें हल हो सकेंगी। इसके लिये खून पसीना एक करके जुटना होगा तब देश की समस्यायें हल होंगी।

आज क्या हुआ हमारे देश के जब टुकड़े हुये होंगे। तब हुये होंगे। लेकिन इस भाषावाद ने हमारे देश के न जाने कितने टुकड़े कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें विरोधी पक्ष ने क्या हिस्सा लिया। पंजाब, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र में क्या हुआ जहां हिन्दी तथा अन्य प्रदेशीय भाषाओं का आन्दोलन छिड़ा? मैं पूछता हूं क्या केवल नारेबाजी तथा आन्दोलनों से हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त हो जायगा। उसके लिये ठीक नीति का अवलम्बन करना होगा और हिन्दी को उस स्तर पर लाना होगा जिससे वह देश की राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर सके। आप कहते हैं कि न्यायालयों में हिन्दी होना चाहिये। मैं भी कहता हूं कि होना चाहिये लेकिन न्यायालयों में हिन्दी हो उसके लिये क्या-क्या तैयारी होनी चाहिये इसके ऊपर आपने कभी सोचा है? केवल सरकारी मशीन पर निर्भर रहने से काम नहीं बनेगा। हिन्दी को आपको ऊंचा उठाना होगा, तभी हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हो सकेगा, आन्दोलन तथा नारेबाजी से नहीं। मैं मानता हूं कि शिक्षा अनिवार्य और फ्री होनी चाहिये और उसके लिये सरकार के जो भी साधन मिल सकें वे सब उसमें लगाये जाने चाहिये। परन्तु क्या केवल पैसे से ही शिक्षा का स्तर जम सकेगा? आज न तो हमारे पास शिक्षक ही हैं न परसोनल हैं। हमें शिक्षा के ठोस फाउन्डेशन की तैयारियां करनी हैं इसलिये हम केवल उसका एक्सटेंशन ही न करें बल्कि कंसालिडेशन भी करें और अगर सरकार शिक्षा का और एक्सटेंशन कर के उसको कंसालिडेट ही करे और उसका स्तर ऊंचा करे तो मैं समझता हूं कि देश की यह भी एक समस्या है जिसका हल होगा।

विकेन्द्रीकरण और जनतंत्र की बातें मैं बहुत सुनता हूं लेकिन आज मैं उस देश की पार्टियों की बात कह सकता हूं और बड़ी नम्रता से कह सकता हूं कि आज जनतंत्र का सही और सच्चा प्रयोग जितना कांग्रेस में होता है उतना देश की किसी अन्य पार्टी में नहीं होता है। आज सोशलिस्ट

[श्री देवकीनन्दन विभव]

पार्टी में लोहिया साहब के आर्डर्स क्या होते हैं ? दूसरी पार्टियों में भी आज कौन लोग हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं ? लेकिन कांग्रेस में तो मेरा खयाल है कि बहुत से लोग यह कहने लगे हैं कि यह डेमोक्रेसी का अतिक्रमण है। लेकिन हमने एक प्रयोग किया है और मैं इस बात को मानता हूं कि आज हिन्दुस्तान में जितनी डेमोक्रेसी है शायद दुनियां के किसी दूसरे देश में उतनी डेमोक्रेसी नहीं है। यह सही है कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, लेकिन आप चाहते हैं कि पुलिस पंचायतों के अधिकार में दे दी जाय। मैं भी यह स्वीकार करता हूं लेकिन क्या जिस इंस्टीट्यूशन को हम नीचे स्तर पर ला रहे हैं यानी पंचायतें उनको हमने उतना सफल बनाया है जितना कि उनको होना चाहिये ? क्या हमने जनतंत्र की परम्परायें वहा स्थापित की हैं जिनके आधार पर ही हम उनको सफल बना सकते हैं ? क्या आज यह सही नहीं है कि गांव गांव में जाति का नारा उठाया जा रहा है। क्या यह सही नहीं है कि हर गांव में पार्टियां बन गयी हैं जो जनतंत्र के आधार पर नहीं बल्कि किसी दूसरे आधार पर बनी हैं। जो लोग विकेन्द्रीकरण का नारा उठाते हैं वे यह देखें कि कौन-सी परिस्थितियां हैं, कौन-सा वातावरण है जिसको हम देश में पैदा कर के उन छोटी छोटी रिपब्लिक्स को जिनका हमारा स्वप्न रहा है मजबूत बना सकते हैं। आज तो हम क्षणिक लाभ के लिये, पार्टीगत फायदे के लिये ऐसे-ऐसे काम करते हैं जिनसे कि आधारभूतशिला हमारे नीचे से निकलती जाती है। अगर दुनिया में जनतंत्र की रक्षा करनी है तो हिन्दुस्तान में हमें उसकी रक्षा करनी होगी और अगर आज की परिस्थिति में कोई डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकता है तो वह है कांग्रेस। इसलिये हमको कांग्रेस को मजबूत बनाना है। हो सकता है कि कुछ गलत आदमी आज कांग्रेस में आ गये हों उनको हमें पर्ज करना होगा। इसलिये जो लोग जनतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं इस देश में उनका काम यह है कि वे कांग्रेस को मजबूत करें। दूसरे, विरोधी पक्ष भी ऐसी परम्परायें स्थापित करे कि आज नहीं तो आगे चलकर वह कांग्रेस के स्थान को ग्रहण कर सके। क्योंकि देश में जनतंत्र तभी सफल हो सकता है जब विरोधी पक्ष सबल हो और वह जब आवश्यकता हो तब देश के शासन को अपने हाथ में ले सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--श्री अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अहसानमन्द हूं कि इस इस्तगासे पर आपने मुझे भी बहस करने का मौका दिया। मेरी परेशानी आज यह है कि अभी जो मुस्तगीस का बयान हुआ तो मुलजिमान के खिलाफ वे अपने केस को जैसा साबित करना चाहिये था नहीं कर सके। खैर, उस बयान से श्रीमन्, अपना ताल्लुक कम है मगर इस्तगासे में जो दादरसी चाही गयी है मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस मौजदा मंत्रिमंडल पर अविश्वास इस सदन का है उसके लिये जो प्रस्ताव किया गया है उससे मैं सहमत हूं। मेरी पहली दलील इस अविश्वास की यह है कि अभी माननीय विभव जी ने अपना भाषण दिया और उन्होंने फरमाया और बड़ी दुहाई दी कि कांग्रेस से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन, कोई डेमोक्रेटक आर्गेनाइजेशन हिन्दुस्तान में नहीं है। जो स्पीचें सुनने को मिलीं, पहली स्पीच में तो यह मालूम हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी के मंच से कोई साहब बोल रहे हैं और दूसरी से यह मालूम हुआ कि मानों कांग्रेस पार्टी का कोई प्लेटफार्म है उससे कोई साहब बोल रहे हैं।

प्रश्न यह है कि क्या यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ? एक मामूली सी बात है कि जो आदमी ८५ हजार या ९० हजार के एलेक्टोरेट से जीता वह तो लीडर आफ आपोजीशन बना बैठा रहे और जो उसके मुकाबिले में हार गया वह मुख्य मंत्री बन बैठे। यह कैसा डेमोक्रेसी का मखौल है ? जो दो-दो दफा हारे वह मुख्य मंत्री और जो उसके मुकाबिले में जीतकर आये वह आपोजीशन लीडर, सारे संसार के डेमोक्रेसी के इतिहास में कहीं भी यह चीज देखने को नहीं मिलेगी कि जो डिफीटेड कैंडीडेट हो वह मुख्य मंत्री बन जाय और जो जीता हुआ हो वह लीडर आफ आपोजीशन बन कर बैठे, ऐसी डेमोक्रेसी हमारे कांग्रेस के दोस्तों को मुबारक हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा कारण यह है कि आज ८ मंत्रियों में से ४ मंत्री लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर हैं। बाह् री डेमोक्रेसी। सारी दुनिया में जहां जहां लोअर चैम्बर्स हैं और अपर चैम्बर्स हैं कहीं आप को नहीं मिलेगा कि ८ आदमियों की गवर्नमेंट हो और उसमें से ४ आदमी अपर हाउस के हों। जिस असेम्बली के ४३१ मेम्बर हों उसमें से केवल ४ मेम्बर मंत्रिमंडल में बैठें और उसको कहा जाय कि यह डेमोक्रेटिक मंत्रिमंडल है।

इसके अतिरिक्त जो दुहाई अभी विभव जी ने दी मैं उसकी अन्दरूनी बात में तो नहीं जाना चाहता लेकिन मेरा मत यह है कि आपोजीशन की जिम्मेदारी यही नहीं है कि वह सिर्फ गवर्नमेंट को देखें। उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि वह रूलिंग पार्टी के इंटरनल कान्फ्लिक्टको भी देखे और उनको बताये कि अगर तुम रूलिंग पार्टी बनना चाहते हो तो अगर तुम युनाइटेड नहीं होगे तो इस प्रदेश जिस पर तुम शासन करना चाहते हो वह बरबाद होगी और मैं आपोजीशन के एक सजग मेम्बर के नाते अपने दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं कि वे अपने होश दुरुस्त करें। उत्तर प्रदेश बड़ी चीज है और उनकी कांग्रेस पार्टी छोटी चीज है, यह कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। इसलिये श्रीमन्, मेरा निवेदन यहहै कि यह अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो लोग जनतांत्रिक सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं, चाहे वह इधर के बैठनेवाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, जहां डेमोक्रेसी का सवाल है उसकी हिन्दुस्तान में रक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिये यह निहायत जरूरी है कि यह सरकार अपने स्वरूप को डेमोक्रेटिक बनाये और अगर वह नहीं बना सकती है तो उसको इन गद्दियों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

दूसरी बात श्रीमन्, इसके सिलसिले में यह है कि जुडीशियरी और ऐक्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिये। माननीय विभव जी ने एक बात कही थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे यहां डेमोक्रेसी उसी समय पनपेगी जबकि ऐक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी में कांफ्लिक्ट खत्म हो जायगा। अगर जुडीशियरी और ऐक्जीक्यूटिव में कांफ्लिक्ट चलता रहेगा तो श्रीमन्, यह विश्वास कीजिये कि आयन्दा आने वाले १०० वर्ष तक हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार कांस्टीटयूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसपिल्स दिये हुये है उनके मुताबिक काम करे और हिन्दुस्तान में जो बहुत पुराने जमाने से आवाज बुलन्द की जाती रही है कि जुडीशियरी और ऐक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो तो उसे सरकार को करना चाहिये। इसके करने में आखिर क्या मुश्किल है। दलील तो यह दी जाती है कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां पर परफेक्ट सेपरेशन है लेकिन कहीं नहीं है। यह बात गलत है और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि जो जुडीशियस मैजिस्ट्रेट है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत होता है तो उसको अगर हाईकोर्ट के मातहत कर दें तो क्या मुश्किल है। इसी तरह से आपके डिप्टी कलेक्टर्स दौरों में तारीखें मुकर्रर करते हैं और बहुत से लोग पहुंचते हैं और वह मुकदमे नहीं करते हैं। इसके करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक कलम में ऐसा कर सकते हैं। अगर सरकार में हिम्मत हो तो एक मिनट में जुडीशियरी और ऐक्जीक्यूटिव का सेपरेशन किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इंसाफ को करप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट के सिस्टम को खत्म किया जाय।

मान्यवर, तीसरी चीज मैं इस सिलसिले में जो कहना चाहता हूं वह अंतरिम जिला परिषद् की है। कल इस सदन में इस पर बड़ी बहस हुई। जब मुख्य मंत्री जी आये तो उन्होंने बड़ा भारी स्टेटमेंट दिया इससे यह उम्मीद थी कि उनका कोई अच्छा स्वरूप होने वाला है। लेकिन जैसा इसका विकृत रूप आया है उसमें एक बात जरूर हो सकती है कि कांग्रेस के वह सिपाही जो अभी तक जमीन में लेटे हुये थे और उठ नहीं पा रहे थे, उनको चेयरमैनशिप मिल जाय प्रेसीडेन्ट शिप मिल जाय लेकिन डेमोक्रेसी पनपनेवाली नहीं है। अंतरिम जिला परिषद् के चुनाव के सिलसिले में विधेयक सरकार की ओर से इस आदरणीय सदन में लाया गया है और इस हाउस ने जिसको पास किया है, उसके बारे में मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक नामीनेटेड ऐलीमेंट बना रहेगा तब तक यह निरा मखौल होगा।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा इस बात पर गौर करें। इस वक्त यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं और उपनेता सदन भी बैठे हैं, वह भी गौर करें कि क्या इस प्रदेश में रूल आफ ला है। क्या इस प्रदेश में आज इस बात की परिस्थिति है कि यदि कोई आदमी शासक दल का कोई जुर्म करता है तो क्या वह प्रोसीक्यूट हो सकता है, क्या उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है और बरअक्स इसके अगर सरकार इस बात में दिलचस्पी रखती है और उनके फिगर्स सरकार कलेक्ट करना चाहती है तो यह बात उत्तर प्रदेश में बिलकुल साबित है। जब से नये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मेरे जिले में कहा जाता है कि जानते नहीं हो कि चरणसिंह जी गृह मंत्री हो गये है। गृह मंत्री और मुख्य मंत्री के दोस्त कलेक्टर से फरमाते हैं कि जानते नहीं हो कि गुप्ता जी मुख्य मंत्री हो गये हैं,चरणसिंह जी गृह मंत्री हो गये हैं। पहले वाली सरकार में और इस सरकार में बेसिक डिफरेंस है। पहले वाली सरकार अफसरों को करप्ट करती थी, यह सरकार पब्लिकमैन को करप्ट करती है। यह बड़ी खतरनाक परिस्थिति है जब कि पब्लिक मैन करप्ट हो जाय। वह सरकार बड़ी खराब थी, लेकिन वह करप्ट करती थी पब्लिक सर्वेंट को और यह सरकार करप्ट करती है पब्लिकमैन को। अगर यह बात हिन्दुस्तान में पनप गयी तो हिन्दुस्तान के पब्लिक मैन का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान के पब्लिक मैन का हुआ। ऐसी सूरत में मैं चाहूंगा कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात की चेष्टा करे कि वह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को तोड़ने की कोशिश न करे। अगर सजा हुई तो काटने दीजिये अपने आप कानून के हिसाब से जब छूटेंगे तक छूटेंगे। माननीय राजनारायण जी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वहां के चुनाव में मदद मांगी, चुनाव में हम मदद देंगे। खैर, उस प्रश्न को जाने दें।

श्रीमन्, पंचायत के एलेक्शंस हुए। मेरा दावा है कि इस चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश के २० लाख आदमी मतदान नहीं कर पाये। मेरे जिले में मामूली तौर से ३० हजार आदमी इस पंचायत के चुनाव में डिस्फ्रेंचाइज कर दिये गये। सारी फेमीलीज की फेमिलीज के नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं थे। जैसा मेरे जिले में हुआ वैसा आम तौर से हुआ है। सरकार को इस बात की सूचना मिलती रही। पंचायत अफसर बराबर जानते रहे, सेक्रेटरीज जिनकी नियुक्तियां पालिटिकल रीजंस से हुईं, वह जानते थे। कहा जाता है कि पंचायतें प्रजातंत्र की सबसे बड़ी इकाइयां हैं। लेकिन उनमें जो कुछ हुआ उनसे मालूम होता है कि पंचायतों का चुनाव सरासर मखौल है।

एक बात और निवेदन कर दूं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत से खंड हैं, लेकिन मैं केवल बन्देलखंड की बात कहना चाहता हूं। लगभग ३० लाख आदमी बन्देलखंड में रहते हैं। बुंदेलखंड में इन निवासियों में बहुत थोड़े से लोगों को छोड़कर बुन्देलखंड के निवासियों को इस सरकार के ऊपर कतई विश्वास नहीं है। जब से यह कांग्रेस सरकार कायम हुई है तब से बुन्देलखंड बराबर पक्षपात की चक्की में पिस रहा है। वहां किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज नहीं है। वहां के किसानों की बड़ी खराब हालत है। सही बात यह है कि बुन्देलखंड वाले यह सोचते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में रहने से हमारी यही हालत रही तो हमें उत्तर प्रदेश का अंग बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। बुन्देलखंड वाले अपनी तकलीफें बर्दास्त करें, इतनी गरीबी में जीवन बसर करें। यह सरकार किसी समय भी समाजवादी सरकार नहीं हो सकती। जब तक इंडियन पेनल कोट का संशोधन नहीं होगा तब तक समाजवाद आ नहीं सकता। श्रीमन्, यह बात अजीब तरह की मालूम होती है। पेनल कोड से समाजवाद का क्या सम्बन्ध है ?

समाजवादी व्यवस्था में पैसा मनुष्य का दास होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य पैसे का दास होता है। जरा हिन्दुस्तान के पेनल कोड को देखें— मिश्रण का आफेंस, पैसे से सम्बन्धित, थेफ्ट का आफेंस, पैसे से सम्बन्धित, ट्रेसपास का आफेंस, पैसे से सम्बन्धित। इसमें पुलिसवाले आयेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। एक बकरी की टांग तोड़ दी गई, ५० रुपये की होती है तो पुलिस वाले आकर हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन अगर आदमी की टांग तोड़ दी जाय तो कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी दशा में क्या यह कभी हो सकेगा

कि मौजूदा पेनल कोड के होते हुए देश में समाजवाद आये ? अगर समाजवाद लाने के लिए सरकार इच्छुक है तो वह ह्यूमैन वैल्यूज को उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान में स्थापित करे जिससे यह मालूम तो हो कि आजाद देश में रहने का कोई लुत्फ भी है ।

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान से माननीय मित्र राजनारायण जी का भाषण सुना और उसी सावधानी से अभी मेरे मित्र जो बोल के बैठे हैं उनकी बातों को सुनता रहा । मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलता भी नहीं किन्तु यहां पर अभी मेरे मित्र जो बोले हैं उन्होंने भी बड़े जोर से यह कहा कि जिस मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में विधान परिषद् के मेम्बर बैठे हों वह जनता के विश्वास का पात्र कैसे हो सकता है । तो मुझे लगा कि अगर मैं न बोलूं तो मेरे अन्दर एक हीनता और न्यूनता की बात आ जायगी और कदाचित् यह चार्ज लगेगा कि एक इन्फीरिआरिटी काम्प्लेक्स में आकर मैं सकुच गया और सहमकर बैठ गया, बोला नहीं । नहीं तो इस अविश्वास के प्रस्ताव में एक लम्बी तालिका २१ प्वाइंट्स की दी गई है और जहां तक मानव मस्तिष्क काम कर सकता है किसी एक सजीव व्यक्ति को मारने के लिए जितने सरफुल्ले के डंडे इस्तेमाल हो सकते हैं जो लगते ही स्वयं टूट जायं और कारगर न साबित हों, वह सब इसमें गिना दिए गए हैं ।

यह सरकार परम्परात्मक सरकार कांग्रेस की सरकार है । इसलिए इस सरकार पर एक अविश्वास प्रकट कर देना, यह बात तो समझ में आ सकती थी । यह सरकार अभी नयी आई । इसमें जो मंत्रिगण हैं वह बहुत से पुराने हैं और यह बात सही है वह पुराने मंत्रिमंडल में कल तक मंत्री थे, इस्तीफा देकर हट भी गए थे, कुछ वह शरीक हुए और सरकार आयी, सरकार का वैक्युअम तो नहीं हो सकता था । एक दल की सरकार है । दल के सामने समस्या आती रहती है । प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी भीतरी समस्याओं से आक्रान्त होते हैं । उनको अपनी उलझनें सुलझानी पड़ती हैं । प्रश्न यह है कि यह सरकार अपने दल की सरकार है । अगर इस दल की सारी नीति ऐसी दूषित है तो फिर जनता इस सरकार को बदल सकती थी । उसके सामने उन परम्पराओं का हमेशा एक चित्र रहा है जिन परम्पराओं के अधीन यह सरकार जनता की सरकार के रूप में बनी । अंग्रेज गये । कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मंत्रिमंडल केन्द्र में और प्रदेश प्रदेश में आये और चल रहे हैं । जो राजनीतिक दल हैं प्रजातंत्रीय प्रणाली में उनके सामने अपनी-अपनी भीतरी समस्यायें आया करती हैं । वह समस्यायें आयीं । इतिहास है---समाचारपत्रों में जो यहां की सरकार के बदलनें और नये रूप में आने की परिस्थिति हुई वह किसी से छिपी नहीं है श्रीमन् । अब प्रश्न यह है कि क्या कोई विधान परिषद् के सदस्य ऐसे अछूत हैं कि जो पावन मंत्रि-मंडल में बैठ नहीं सकते, मंत्रिमंडल में आ नहीं सकते । तो उसी परम्परा का हमने अनुकरण किया है ।

हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री, हमारे वर्तमान नेता दल के सम्बन्ध में कुछ बहुत-सी बातें उठाई गईं कि एक बार हारे और दो बार हारे । हम भूल जाते हैं कि ५१ बार लड़ाई में हारने पर भी विश्व के जनरल पैदा हुये हैं जिन्होंने संसार में इतिहास बनाया है । प्रजातंत्र में हारजीत मामूली अखाड़े की बात हुआ करती है । जो हारता है वह जीतने वाले को फिर हराता है । इन घटनाओं के पीछे एक शानदार इतिहास छिपा रहता है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से उनका यहां पर वर्णन करना उचित नहीं है । राजनीति में अपने सद्गुणों के कारण कोई आदमी गिरकर भी उठता है। जनता की निगाह में गिरना मामूली बात है । जनता जिसको चाहे राव करे और जिसको चाहे रंक करे । उसी जनता की मर्जी से यहां पर सब लोग सदन में आये हैं । जनता में जाने से हमारे नेता किसी तरह से हिचकेंगे नहीं । वह जनता के सामने जाने के लिये तैयार खड़े हैं । उनके लिये चैलेन्ज दिया गया कि क्या होगा । उसमें मालूम हो जायगा कि क्या होगा । उसमें यदि हमको जनता नहीं चाहेगी तो हम नहीं आयेंगे और जनता चाहेगी तो आयेंगे । हम यहां पर किसी की कृपा से नहीं बैठे हुये हैं । हम जनता की कृपा से यहां पर बैठे हुए हैं और उसी के बल पर हमारा केन्द्रीय संगठन है और उसी का आशीर्वाद हमारे केन्द्रीय संगठन को प्राप्त है । जब तक केन्द्रीय संगठन को जनता का

[श्री अलगूराय शास्त्री]

आशीर्वाद प्राप्त है तब तक हमारे हाथ में नेतृत्व है । जब भी हम जनता के सामने जायेंगे तो उससे यह कहेंगे कि अगर हम ठीक लगे तो आप हमसे काम लीजये और नहीं ठीक लगें तो हमसे काम न लिया जाय । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । मैं समझता हूं प्रजातंत्र में विरोधी दल को यह पूरा अधिकार हासिल है कि वह दो तरह से फंक्शन करे । एक तो यह कि सरकार की बेसिक कमजोरियों को बतलायें । जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं वह हमारी मौलिक त्रटियों को बतलायें और कमियों को हमारे सामने रखें । हम उनका आभार प्रकट करते हुये उन कमियों को स्वीकार करेंगे और उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे । जो विरोधीदल के सदस्यगण हैं मैं तो उनका बड़ा आभारी होता हूं कि वे उन जगहों में पहुंचते हैं, उन खराबियों को जानने की चेष्टा करते हैं जो हमारे तक पहुंच नहीं सकती हैं उनको हमारे तक पहुंचाने का वे प्रयत्न करते हैं । मैं यह समझता हूं कि वह ठीक ही करते हैं और उचित ही करते हैं। पलटू कवि ने कहा है :—

"निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय ।
पलटू निन्दक मर गया, सुन के दिया है रोय,
निन्दक नित निन्दा करे काम हमारा होय ।।"

तो जो त्रुटि बतलाने वाले हैं वह तो हमारे साथ बड़ा उपकार करते हैं । जिस चीज को हमारे तक पहुंचाने में सी० आई० डी० गुरेज करे उसको भी ये लोग जान लेते हैं और हम तक पहुंचाने का यत्न करते हैं । इस कारण मैं तो आभार प्रकट करता हूं और हमको आभार प्रकट करना चाहिये और उसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये । अगर यही समझते हैं कि इस सरकार को हटाना है तो उसी तरह से कीजिये जैसे लोकमान्य तिलक कहा करते थे । वह कहते थे कि यदि विदेशी सत्ता को हटाना है तो हर चीज में बुराई बतलाइये, हर चीज के लिये सरकार को अपराधी बनाइये ताकि जनता समझे कि यह काम लेने लायक नहीं है । अगर हमारे मित्र यह समझते हैं कि सरकार को हटाना है तो वह असत्य या सत्य, जाने या अनजाने ऐसी बातें कहने का अधिकार रखते हैं जिससे हम जनता के मत में गिरें, यहां से हटें और यहां न आयें । अगर इन्होंने जनता को समझा दिया और हमारे अवगुण बतलाते हुये ये सफल हो गये तो हम हट जायेंगे किन्तु यह याद रखिये कि जनता द्वारा हटाये जाने पर भी हमें दुख नहीं होगा । हम उस जनता से फिर जाकर यही कहेंगे कि :—

"सुनयि विटप प्रभु, पुहुप तिहारे हम,
राखियो हमें तो शोभा रावरी बढ़ावेंगे,
हरीषि के तजेंगे तो विलग न माने कछु,
जहां जहां जैहैं वहां तेरो यश गावेंगे ।
देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, काहू वेश में रहेंगे तऊ रावरे कहायेंगे ।"

माननीय सी० बी० गुप्त जनता की सेवा में डटे रहे और उस सेवा से जनता ने यह जान लिया कि यह नरपुंगव है, सेवक है । आज यह उभरता हुआ उदयगिरि से ऊपर आता हुआ सूरज दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे आकाश मंडल में आगया है और अब उसकी पापुलैरिटी को देखिये । जनता ने जो स्वागत किया है, अगर आंख बन्द किये हो तो दूसरी बात है वरना जन सागर से जो स्वागत उन्हें मिला है वह जनता का आशीर्वाद है। और उसके लिये रानी खेत की जनता के समक्ष यह हमारा नेता खड़ा है और हम स्वागत करते हैं अपने मित्रों का कि वे हमारे दोष दिखाकर हमारे दल के नेता को उस दल के नेता द्वारा पराजित करावें। हमको उससे कोई कमी न होगी। "गिर-गिर के उठे हैं हम, कभी उठ उठ के गिरे हम।" यह हमारे राजनीतिक जीवन का खेल है। हम इसे खेल समझते हैं। माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने यह कहा था कि हम चोर दरवाजे से नहीं आना चाहते। इसका अर्थ यह नहीं था कि वे उस सम्मानित सदन के लिये कोई अपमान जनक भावना रखते थे। इसका अर्थ था कि

सीधे साक्षात् चुन के एलेक्शन से आयें और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किये हों। किन्तु यहां तमाम वैधानिक अड़चने पैदा की गई थी कि बैठ नहीं सकते गवर्नर के भाषण में, आदि-आदि। आखिर भाषण की जिम्मेदारी किस पर है? वैधानिक अड़चनों को दूर करके जनता की सेवा करने का जो रास्ता निकाला गया है उसके लिये यह तमाम आक्षेप लगाये गये। १२ को चुनाव होने वाला है लेकिन तमाम आक्षेप लगते है कि इंट्रूडर हैं, यूजर्पस हैं। यहां तो चरण सिंह जी, जुगुलकिशोर जी, राममूर्ति जी, कैलाश प्रकाश जी, हुकुम सिंह जी, मंगलाप्रसाद जी, मुजफ्फर हसन जी सब विराजमान थे। कुछ दलगत उलझनों के कारण कोई वैधानिक नहीं, अपनी संगठनात्मक उलझनों के कारण कुछ समय के लिये हट गये थे। अब फिर आ गये हैं आपकी सेवा करने के लिये। यह मंत्रिमंडल जनता की सेवा करने की भावना रखता है और कोई इस के लिये कितना ही आक्षेप करे इसको बीट डाउन नहीं कर सकता हम से भूल हो सकती है, लेकिन सेवा की भावना में हमसे कोई आगे नहीं जा सकता।

कुमायूं का कुछ जिक्र किया गया है कि उसके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। हम आंकड़े रखते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं पड़ना चाहता। यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र की आबादी कुल एक प्रतिशत और पूरी आबादी की चार प्रतिशत हो, उस क्षेत्र में प्लान के पैसे का हम ६ प्रतिशत से अधिक और १० प्रतिशत से अधिक खर्च करने जा रहे हैं। पिछड़े हुये क्षेत्रों में, बुन्देलखन्ड का जिक्र हमारे माननीय भाई ने किया। पूर्वी जिले हैं, कुछ और पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, इन पिछड़े इलाकों की सेवा करने का विशेष ध्यान हमारी योजना में, प्लान में रखा गया है। उनको जितनी मात्रा वास्तव में मिल सकती है आबादी के हिसाब से उस से कुछ अधिक देने का प्रबंध है।

यही बात पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये और जातियों के लिये है और उस पर इसी प्रकार ध्यान दिया जा रहा है। जो योजनायें बनी हुई हैं उनमें आप देखे तो हर क्षेत्र में, इर्रीगेशन में, उद्योग धंधों में, सड़क के निर्माण में, पानी की व्यवस्था में, गरज कि हर एस्पेक्ट में पिछड़े इलाकों की जनता और पिछड़े वर्ग की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। कोई भी सरकार यदि पिछड़े इलाकों को, पिछड़े वर्ग की सेवा नहीं करती, सेवा करने की भावना नहीं रखती, कभी भी जनप्रिय नहीं हो सकती और जो जनप्रिय सरकार नहीं है वह टिक नहीं सकती। सरकार स्थायी होने के लिये आश्यक है कि उसमें जनता की सेवा की भावना हो। सरकार जब बनती है तो उस के पीछे यह भावना रहती है कि वह आकाश तथा पृथ्वी की तरह अचल हो। यह कामना कर के ही कोई शासन सूत्र अपने हाथ में लेता है और अगर ऐसा उसे करना है, यह कामना उसे पूरी करनी है तो एक बात उसे मान लेनी चाहिये कि प्रजा उसे चाहती हो। यह आवश्यक है उस के लिये। प्रजा अगर उसे न चाहेगी तो वह शासन टिक नहीं सकेगा। अगर प्रजा का प्यार उसे प्राप्त करना हैं तो जो पिछड़े हुए हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनकी सेवा करना उसका कर्त्तव्य होगा। इस ओर जो ध्यान दिलाया गया है उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं, लेकिन एक ही चीज इस अविश्वास के प्रस्ताव में हो सकती थी, जिसकी मैं आशा करता था और वह यह कहा जा सकता था कि यह सरकार ठीक ढंग से नहीं बनी है। और बातें तो ऐसी थीं जो कि अभी हाल ही में बजट के समय कही जा सकती थीं और इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता न थी। रोज रोज-अविश्वास के प्रस्ताव लाना उचित भी नहीं होता और न ही उससे जनता की सेवा ही की जा सकती है। शिक्षा की जहां तक बात है हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में है और उसके लिये हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और वह आज ही, आप चाहे तो, पूरा नहीं हो सकता। उसके लिये समय लगेगा और वह अवश्य पूरा होगा।

जहांतक जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन का प्रश्न उठाया गया मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता किन्तु मेरे पास आंकड़े है और मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने काफी जिलों में इस प्रकार का सेपरेशन किया है और दूसरे जिलों में हम कर रहे हैं। उस ओर हमारी सरकार का ध्यान है।

[श्री अलगूराय शास्त्री]

शिक्षा में प्राइमरी शिक्षा के लिये भी हमारी योजना है और निशुल्क शिक्षा भी हम बराबर जितना सम्भव है करते जा रहे हैं और एक योजना और हमारे सामने विचाराधीन है और वह यह है कि जो १५ हजार की आबादी के बड़े-बड़े गांव हैं वहां पर किसी प्रकार निशुल्क शिक्षा की जाय। तो क्या शिक्षा, क्या संरक्षण, क्या न्याय तथा अन्य विभाग सभी तरफ हमारी सरकार ने शानदार काम किये हैं और हमारी सरकार करती रहेगी। "प्रजानां विनयाधानात् रक्षणाद् भरणादपि" सरकार के यही तीन मुख्य कार्य हैं। हर सरकार को अपने यहां शिक्षा, रक्षा और भोजन की उचित व्यवस्था करनी चाहिये और हमारी सरकार ने इसको किया है।

अन्न के उत्पादन में भी क्रमशः बढोत्तरी हुई है। प्लानिंग की रिपोर्ट में उसका जिक्र है और उसको हमारी योजनाओं में प्रायरिटी भी दी गयी है। मेरे पास और आंकड़े भी हैं अगर मैं उसमें जाऊं तो काफी समय लगेगा। मूल्यों का स्तर भी बढ़ा है। यह सही है। किन्तु अन्न का अभाव नहीं है यह मानना पड़ेगा। आपको मालूम है कि हमने सस्ते गल्ले की दूकानों पर पहले जहां ६ यूनिट दिया, फिर उसको घटा कर ४ कर दिया और अब २ यूनिट ही देते हैं। अगर मूल्य न गिरते और अनाज सुलभ बाजार में न होता, तो लोग इसकी शिकायत करते। लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं हुई। तो इस ओर भी उन्नति हुई है।

हरिजनों के प्रश्न पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इस ओर भी काफी सुधार दिखाई देगा। हरिजनों की शिक्षा में कितना सुधार किया गया है। आप यह देखें कि हम कल क्या थे और आज क्या हैं। अगर आप सारे देश के आंकड़े देख लें तो आपको सारी पिक्चर सामने दिखाई देगी।

क्राइम्स की तरफ अगर आप देखें, तो बंगाल, पंजाब, बिहार आदि प्रान्तों की अपेक्षा हमारे यहां क्राइम्स कम ही हैं। हर क्राइम के बारे में हमारे आंकड़े दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कम हैं। अगर आंकड़ों की तरफ मैं जाऊंगा तो व्याख्यान का तारतम्य ही खत्म हो जायेगा। किन्तु मैं इसको चैलेञ्ज के रूप में कहना चाहता हूं कि सेवा के हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हमारा प्रदेश प्रगतिशील रहा है और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अग्रसर है। हमारे अन्दर कहीं भी जनता की सेवा करने से पीछे हटने की भावना नहीं आई है।

जहां तक इस सरकार के गठित होने का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार बिल्कुल विधिवत् रूप से गठित हुई है और एक शानदार व्यक्ति आज हमारा नेतृत्व कर रहा है और उसमें सेवा की भावना ही निहित है। वह व्यक्ति हमारा विनीत सेवक है और जनता की सेवा ही उसका मुख्य कर्तव्य रहा है। उनके जो अन्य साथी हैं वे भी जनता के सेवक ही हैं और जनता की सेवा ही करते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा और विश्वास भी दिलाऊंगा कि अगर आपकी तरफ से कुछ सुझाव आयेंगे तो हम उन सुझावों का अवश्य स्वागत करेंगे।

श्री प्रतापसिंह—कुछ जंगलात के बारे में भी कहिये।

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने तो सभी क्षेत्रों की ओर इशारा कर दिया है कि हम हर क्षेत्र की ओर कार्य कर रहे हैं और हर तरफ हमारा ध्यान है। और जंगलात के बारे में अभी तक आप लोगों ने कुछ कहा भी नहीं है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस ओर जो भी हम कर रहे हैं वह ठीक है और उससे आपको सन्तोष है।

एक बात परिषद् के सदस्यों को मंत्रिपरिषद् में शामिल करने के प्रश्न पर कही गयी, मैं समझता हूं कि वह एक गिरे हुये स्तर की बात है। परिषद् की बात को लेकर उस पर कुछ टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। इसमें कोई नियम के विपरीत कार्य नहीं हुआ है।

भाई राजनारायण जी ने हिन्दी के प्रश्न पर बहुत कुछ कहा। हमारे यहां हिन्दी का कितना विकास हुआ है और दिन प्रति दिन हो रहा है वह सब आपके सामने है। कांग्रेस सरकार ने इस पर अधिक जोर दिया है यद्यपि कुछ दूसरे लोग इससे नाराज भी हैं। हिन्दी के प्रसार की योजना हमारे सामने है और हम उस ओर काफी अग्रसर हैं। उर्दू के हटाने का भी सवाल नहीं है, उसके बारे में भी मैं कह चुका हूं। उर्दू को भी हमारे यहां संरक्षण मिलता रहेगा। उर्दू एक सजीव भाषा के रूप में इस देश में रहेगी। तो फिर सरकार की ओर से भाषा की नीति हो, चाहे सुरक्षा की नीति हो, हर जगह वह जागरूक है और अपना कार्य कर रही है। वह सर्वथा आपके विश्वास की पात्र है क्योंकि वह सब से अधिक उपयुक्त है और जनसेवी है और वर्तमान रूप की सरकार आपको मिलनी मुश्किल होगी। इसलिये मैं आपसे प्रस्ताव वापिस लेने की प्रार्थना करता हूं और यदि मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द निकला हो तो उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया है कि यह सरकार अभी दो महीना पूर्व ही स्थापित हुई है इसलिये इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ले आना उचित नहीं था। श्रीमन्, मैं यह बता दूं कि हमारी पार्टी इस बात को अच्छा समझती कि हम इस सरकार के कार्मों को कुछ दिनों तक और देखते और फिर उसके बाद हम यह निश्चय करते कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहिये अथवा नहीं लेकिन जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश का शासन सम्हालने के बाद यह घोषणा की कि हमारी वही नीतियां रहेंगी जो कि अब तक पिछली सरकार की रही हैं तो उसी दिन हमारी पार्टी ने इस बात का निश्चय कर लिया कि जितनी जल्दी से जल्दी मौका मिलेगा हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ले आयेंगे। वह निश्चय इसलिये था कि वह नीतियां जो १३ वर्ष तक इस प्रदेश के अन्दर लागू की गईं जिनका नतीजा यह रहा कि आज हमारा प्रदेश पूरे देश के नकशे में सब से पिछड़ा हुआ है। सरकार की जो नीतियां थी वह स्पष्टतया किसान विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां और पूंजीपत परस्त नीतियां थीं। इसलिये अगर वही नीतियां इस प्रदेश में लागू की जातीं हैं, उन्हीं के अन्तर्गत इस प्रदेश का शासन चलने वाला है तो जितनी जल्दी अविश्वास का प्रस्ताव आये उतना ही श्रीमन्, अच्छा है। श्रीमन्, हम देखें कि इस सरकार के आने के बाद हमारे प्रदेश और देश के लिये ही नहीं बल्कि जनवा दी परम्पराओं के लिये कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। माननीय अलगूराय शास्त्री जी ने बड़े ही सुसंगत ढंग से, अच्छी शैली और लच्छेदार शब्दों में उन बातों पर परदा डालने की कोशिश की लेकिन वास्तविकता पर परदा नहीं डाला जा सकता। आज यह बात सत्य है जिस प्रकार से यह सरकार गठित हुई है और जो आज इसकी स्थिति है और जिस परिस्थिति में यह शासन चला रही है यह जनवाद के लिये स्पष्ट खतरा है। कहा गया कि कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री अपने दिल पर हाथ रख कर ठंडे दिल और दिमाग से विचार करें कि क्या यह सत्य नहीं है कि आज हमारे प्रदेश में कांग्रेस के एक विशेष गुट की सरकार है और क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस दो विभिन्न दलों में बँटी हुई है, दोनों के दो नेता हैं, दोनों की दो नीतियां हैं, और अपना अपना अनुशासन है। आज यह परिस्थिति है। आज कांग्रेस हाई कमांड के अंकुश के नीचे चाहे वह दबी हुई हो लेकिन प्रदेश की जनता इस वास्तविकता को स्वीकार करती है और स्वीकार करना चाहिये।

यह कहा गया कि जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री का नामांकन काउन्सिल में हुआ वह अनुचित नहीं है। कहा गया कि उस काउन्सिल के सदस्य बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रदेश का नाम लीजिये जिसमें दो बार जनता द्वारा पराजित व्यक्ति प्रदेश का मुख्य मंत्री बना हुआ हो। यह कितनी भयंकर बात है। जिस व्यक्ति को प्रदेश की जनता ने दो बार पराजित किय हो उसको इस पद पर रखना कहां तक उचित है? मैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सेवा और उनके कार्यों के बारे में यहां चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन

[श्री चन्द्रजीत यादव]

वह जिस प्रकार से यहां मुख्य मंत्री बने हुये बैठे हैं, जिस प्रकार से वह आये हैं, और जिस प्रकार से शासन चला रहे हैं वह जनवाद के लिये खतरा है, इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

अभी सदन में राजनारायण जी ने यह आरोप लगाया कि रानीखेत में उनका जो उम्मीदवार है उसे भगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि माननीय मुख्य मंत्री अपने पद का बुरा इस्तेमाल उस क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्र को मजबूत करने वाली बातें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों जनता की बहुत सेवा की है तो उनके लिये यह कितनी ही अच्छी बात होती कि वह अपने पद को रिक्त करके स्वतन्त्र नागरिक की हैसियत से चुनाव के मैदान में उतरें। यह ऐसी बातें हैं जिन पर हम परदा नहीं डाल सकते। मैं उन बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं जिस कारण हमने अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हम चाहते थे कि यह प्रस्ताव आये। इस सरकार की नीतियां कितनी विरोधी रही हैं। पिछले दिनों सरकार ने वायदा किया था कि वह किसानों के हित में कानून बनायेगी, और भूमि-सुधार लागू करेगी। हमारे देश के विशेषज्ञों ने माना है कि इस कृषि प्रधान देश में जब तक किसानों की दशा में सुधार नहीं होगा तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। हमारी तरफ से बराबर यह मांग उठाई जाती रही है कि भूमि सुधार के लिये क्रान्तिकारी कानून लागू होने चाहिये, हदबन्दी होनी चाहिये। छोटी होल्डिन्स के बारे में आंकड़े बनाते हैं कि पूर्वी अंचल में २० प्रतिशत जनता के पास २ एकड़ से कम और ३७ प्रतिशत जनता के पास २ और ५ एकड़ के बीच में भूमि है। तो प्रदेश की उन्नति कैसे हो सकती है? हमने मांग की थी कि जनता में सहकारिता के आधार पर खेती करने की भावना पैदा की जाय और खेतिहर मजदूर को अधिकार दिये जायं। नागपुर के अधिवेशन में वास्तविकता से कांग्रेस पार्टी ने आंखें बन्द नहीं की हैं। उसने स्वीकार किया कि हदबन्दी होनी चाहिये। तो मुख्य मंत्री होने के बाद उन्होंने क्यों नहीं घोषणा की कि हदबन्दी कानून जो पिछली बार बना है उससे गरीब जनता को जमीन मिलने वाली नहीं है और वह उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे कि सही मानों में वह गल्ले के राज्य व्यापार को लागू करना चाहते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि सहकारी आन्दोलन की योजना रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है?

पिछले दिनों में सरकार की पूंजी-परस्त नीति का कितनी बार पर्दाफाश हुआ है? अभी ३, ४ दिन पहले यहीं कहा गया कि कानपुर के मिल मालिकों पर सरकार का २९ लाख रुपया बक़ाया है। उसकी वसूली में सरकार जानबूझ कर ढिलाई बरत रही है। लेकिन इस सरकार के माल मंत्री के अधीनस्त जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा अगर किसानों पर १ रुपया भी लगान का बकाया हो तो डंडे मार कर, वारन्ट निकाल कर, उनके बैल, गाय और खेती के सामान-कर्क करके, वह वसूला जाता है। क्या किसान-हितैषी सरकार का यही चरित्र है?

अभी माल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं-कहीं ओले से १०० फी सदी तक नुकसान हुआ है। लेकिन उन पीड़ित व्यक्तियों की सहायता वह इसलिये नहीं करना चाहते कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसके लिये नहीं लिखा है। यह कैसी बात है?

श्रीमन्, शुगर बेज बोर्ड की रिपोर्ट प्रकाशित हुये २ महीने हो गये हैं। क्या इस सरकार के लिये उचित नहीं था कि वह गन्ना किसानों की उचित मांगों के बारे में सिफारिशों को लागू कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से जोर देती?

इस सरकार की नीति मजदूर विरोधी है और इसके लिये अभी ३ दिन पहले पी०डब्लू० डी० के कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश के, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कुछ स्पष्ट मांगें रखी गई थीं? लेकिन यह सरकार ठीक वही व्यवस्था करती है जो एक ऊंचे दर्जे का निजी व्यक्ति अपने मजदूर के साथ करता है। पूरे प्रदेश के पी० डब्लू० डी० के मजदूरों की सर्विस कंडीशन्स

एक, काम करने का तरीक़ा एक, लेकिन पूरब में उनको ३० रुपये और पश्चिम में ४० रुपये वेतन मिलता है। जब यहां पूछा गया तो सरकार ने कहा कि चूंकि पूरब में सस्ते मजदूर मिलते हैं और पश्चिम में महंगे, इसलिये इधर मजदूरी कम है। एक ऐसी सरकार जो अपने समाजवादी, जनवादी और कल्याणकारी कहने का दावा करती है उसके लिये यह कहां तक उचित है कि वह मजदूरों की गरीबी और बेबसी का इस प्रकार फायदा उठाये और सौदेबाजी करे ? मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दें।

अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक कल ही पास हुआ है। इसमें जो सबसे घोर जनवाद विरोधी काम सरकार ने किया है वह यह है कि इस बिल को दिसम्बर, सन् ६२ तक के लिये इस सदन से पास कराया है। आज से १३ साल पहले इन संस्थाओं का चुनाव हुआ और अब भी यह सरकार जनता को स्वायत्त शासन की स्थापना करने का अधिकार देने के लिये तैयार नहीं है। जनता के शोर मचाने की इस सरकार को तनिक भी परवाह नहीं है चाहे प्रदेश की ७ करोड़ जनता कितना भी शोर मचाती रहे। फिर सरकार कहती है कि उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आता है, उनको काम करने का मौका दिया जाय।

(इस समय २ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

सरकार की शिक्षा की नीति के बारे में जनता में बहुत परेशानी है। हमने देखा कि हाई स्कूल और इन्टर में ३८ और ४० फीसदी बच्चे पास हुये हैं। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये, जिसे सरकार नहीं करती है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय में जिस प्रकार के उपद्रव हुये उनसे प्रदेश की जनता में गहरी चिन्ता व्याप्त थी। सरकार ने घोषणा की कि वह विश्वविद्यालयों के ऐक्ट में परिवर्तन करना चाहती है। एक विश्वविद्यालय कमीशन बैठा हुआ है जो अपनी रिपोर्ट देगा। असल बात तो यह है कि चूंकि पिछली सरकार ने भी एक गुटबन्दी की भावना में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश किया था, यह सरकार भी सुधारों का नकाब पहन कर गुटबाजी की भावना से वहां प्रवेश करना चाहती है। इसका नतीजा यह है कि कमीशन की जांच-पड़ताल जारी है और सरकार एक विधेयक लाना चाहती है। हम तो कहते हैं कि शिक्षा की नीति में मौलिक परिवर्तन होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि किसी व्यक्ति के जी में जब आया तभी उसने जिस प्रकार से चाहा अपने गुट को मजबूत करने के लिये परिवर्तन कर डाला।

इस सरकार की अर्थनीति में कोई सांमजस्य नहीं है। सरकार का समाजवाद और कल्याणकारी का नारा मक्कारी का नारा साबित हो गया है और अनुभव से साबित हुआ है। हमने देखा है कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में जबकि प्रदेश की जनता का स्तर ऊंचा होना चाहिये, जब हमारे राज्य की आय बढ़नी चाहिये थी, सरकार ने जो तीसरी योजना के बारे में डाक्यूमेन्ट्स पेश किये, वह बतलाते हैं कि जब दूसरी योजना में देश की आय १८ प्रतिशत बढ़ी है तो हमारा प्रदेश अपनी जगह पर पड़ा हुआ। लगभग ४ अरब रुपया हमने इन योजनाओं पर खर्च किया लेकिन नतीजा यह है कि अमीर और गरीब जनता की खांई चौड़ी होती जा रही है।

पूर्वी जिलों और पिछड़े इलाकों के लिये, बुन्देलखन्ड और पहाड़ी इलाकों के लिये सरकार कहती है कि उसे उन्हें उठाने की बड़ी चिन्ता है। अशोक मेहता के नेतृत्व में एक कमीशन भारत सरकार ने बनाया है और उससे इन प्रदेशों के पिछड़े होने की छानबीन करने के लिये भी कहा है। माननीय शास्त्री जी ने कहा कि शिक्षा देने का कार्य, शांति व्यवस्था का काम संभाल लिया गया है और अब देश और प्रदेश की जनता सुखी है। लेकिन श्री अशोक महता क्या कहते हैं:—

> "पूर्वी जिलों की ढाई करोड़ जनता जो देहात में रहती है उनकी वार्षिक आय १२५ रुपया है।"

[श्री चन्द्रजीत यादव]

क्या यह किसी सरकार के लिये शोभा की बात है ? ११ रुपया माहवार पर जिस प्रदेश की तिहाई जनता रहती हो उनके बारे में यह कहा जाय कि जनता सुखी है । कितनी शर्मनाक स्थिति है ?

अब शान्ति व्यवस्था के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की शक्ति बढ़ती जा रही है। आज वह निरंकुश ढंग से प्रदेश के ऊपर हावी है। सरकार ने इसके बारे में कुछ कदम उठाये हैं और एकोनामिक मेजर्स वह ले रही है, लेकिन एक-दो पद को तोड़ने और एक दो को पदोन्नति करने से कोई शासन सुधरता नहीं है। सरकार का सारा ढांचा ही कल्याणकारी राज्य और समाजवाद के ढांचे में ढालना होगा।

आज माननीय गृह मन्त्री ने उन्नाव के घटना के बारे में अपना बयान दिया है। जिसमें कुछ आदमियों को पुलिस चौकी से १०० गज की दूरी पर बुरी तरह घायल कर लूट लिया गया था। उन्होंने कहा है कि चूंकि अखबारों में यह समाचार नहीं निकला इसलिये उनको उसकी चिन्ता नहीं है। मैं कहता हूं कि शांति और व्यवस्था के बारे में यह दृष्टिकोण बड़ा घातक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से देश का निर्माण नहीं किया जा सकता।

आखिर में, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि विरोधीदल के लोगों की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से, पूरे प्रदेश के शासन के बारे में जो बातें कही गई हैं उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें अन्यथा आज लोगों की हालत यह है कि जनता के बढ़ते हुये असन्तोष को लेकर प्रतिक्रियावादी शक्तियां पनप रही हैं और ऐसी शक्तियां पनप रही हैं जो समाजवाद के खिलाफ हैं, प्रदेश की प्रगति के खिलाफ हैं, नियोजन के खिलाफ हैं, कल्याण कारी राज्य के खिलाफ हैं। आज कांग्रेस दल इस पर विचार करे, मैं उनको दावत देता हूं और कहता हूं आप जनवाद की रक्षा के लिये, प्रगति की रक्षा के लिये, समाजवाद की रक्षा के लिये, कल्याणकारी राज्य की रक्षा के लिये, ठंडे दिल से विचार करें और गुट से ऊपर उठकर, अपनी पार्टी के स्वार्थ को छोड़ कर पूरे प्रदेश की जनता के हित को सामने रखकर काम करें और ऐसा मार्ग अपनायें कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपना सिर ऊंचा न कर सकें, जो पंचवर्षीय योजनाओं के खिलाफ हैं, क्रांतिकारी भूमिसुधारों के खिलाफ हैं और जो राष्ट्रीय-करण के खिलाफ है। चूंकि यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है इसलिये यह अविश्वास का प्रस्ताव पास होना चाहिये और इस सरकार का पतन होना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अ भारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी ने रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय राजनारायण जी को बड़े गौर से सुना और प्रायः उनको सुनने का मौका मिलता ही रहता है। मैंने प्रजा समाजवादी दल के एक सदस्य का भाषण भी सुना, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता, श्री चन्द्रजीत यादव जी का भाषण सुना। उन सब के भाषणों से केवल यही समझ पाया कि वह अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन और अपनी पार्टी का प्रोपेगैन्डा सदन में कर रहे हैं। आशा तो मैं यह करता था कि उनके द्वारा कोई ऐसी चीज सामने लाई जायगी जिससे यह प्रतीत होता हो कि कांग्रेस पार्टी के राज्य में उनकी कोई आस्था ही बाकी नहीं रह गई है। लेकिन कुछ समझ में तो वही आया जो रोज आया करता है कि इस सदन के अन्दर पार्टी प्रोपेगैन्डा किया जाता है। वैसे कोई खराबी उनको खासतौर से तो समझ में आई नहीं। एक चीज और समझ में आई और वह यह कि कुछ संसदीय परम्परायें हैं, कुछ मान्यतायें हैं और कुछ संसदीय शिष्टाचार भी हैं और उन सब का यहां पर विरोधी दल की तरफ से हनन भी हो रहा है। मैं तो यह समझता था कि विरोधी दल सदैव इस वास्ते सदन में होता है कि शासन में जो पार्टी है उसकी कुछ बातों को बतला कर वह उसे कुछ सजग करे ताकि वह अपने कार्य करने में कुछ अधिक तत्पर और कुशल बने। लेकिन यहां पर जो विरोधी

दल हैं उनका यह काम नहीं है। यहां तो विरोधी दल का काम केवल यह है कि वह अपना पार्टी प्रोपेगेन्डा जैसा कि बाहर करते हैं सदन में भी किया करें। यह विरोधी दल है क्या चीज, मैंने बहुत सुना लेकिन समझ में नहीं आया।

यहां पर संसदीय परम्परा और डेमोक्रेसी के मुताल्लिक बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन मैं यह देखता हूं कि एक तो सोशलिस्ट पार्टी है जो प्रजातंत्र का नारा लगाती है लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि वह पार्टी एक व्यक्ति के कब्जे में है। सोशलिस्ट पार्टी डाक्टर लोहिया के आधार पर ही चलती है, वे जो आदेश करते हैं वैसा ही होता है। दूसरी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाली जो सोशलिस्ट पार्टी है वह राजा सोशलिस्ट पार्टी है तभी तो दूसरी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुई ? एक तीसरी पार्टी है जो अपने आप को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बतलाती है लेकिन वह है क्या—वह एक गुरु के आधार पर चलने वाली चीज है। जहां हमारी भारतीय संस्कृति का सिद्धान्त है 'बसुवैध कुटुम्बकम्' वहां उसके बजाय यह पार्टी दूसरों के प्रति राग, द्वेष और घृणा फैलाती है। एक चौथी पार्टी भी है जो अपने आपको प्रजातंत्र का हामी कहती है और वह कम्युनिस्ट पार्टी है जो पहले तो रूस से आदेश लेती थी लेकिन अब चीन से आदेश लेती है। वह पार्टी भी प्रजातंत्र का नारा लगाती है।

संसदीय परम्परा के अनुसार अपोजीशन का होना बहुत जरूरी चीज है। यहां तक कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के अपोजीशन लीडर को तो तनख्वाह तक दी जाती है और वह इसलिये कि वे उस पार्टी को जो पावर में है उसको यह बतलावें कि वह क्या क्या गलती करती है। लेकिन यहां क्या है ? यहां तो वही कि कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा ---वही कुनबा जोड़ा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शान्ति रखें।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—तो यह अपोजीशन है क्या ? यह तो भानमती का जोड़ा हुआ कुनबा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और इस वक्त इस प्रस्ताव के लिये सब इकट्ठा हो गये हैं।

इस के बाद मैं एक और चीज आपके सामने रखता हूं। यहां पर संसदीय परम्परायें जिन को कि मैं यहां पर समय समय पर देखता हूं कि आप अपने को तो छोड़ कर हमारी पार्टी के अन्दर कोई चीज है तो उसका आप ढोल बजाइये। मैं पूछना चाहता हूं कि कि क्या आज कम्युनिस्ट पार्टी में २ दल नहीं हैं, एक तो वह कि जो चीन का फेवर करती है और एक वह कि जो चीन के विरोध में है और क्या सोशलिस्ट पार्टी में भी इसी तरह के अलग अलग वर्ग नहीं हो गये हैं? वह क्या एक एक कर के अलग नहीं होते जाते हैं, एक सोशलिस्ट दल और दूसरा प्रजासोशलिस्ट दल यह सब क्या है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बार बार बोल रहे हैं यह अनुचित है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—मैं समझता हूं कि अगर किसी पार्टी में आपसी मतभेद हो भी तो उस का जिक्र दूसरी पार्टी करे यह बहुत ही बेजा है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिये जो कदम इस सरकार ने उठाये हैं वह किसी से छिपे नहीं है। क्या कोई इस से इन्कार कर सकता है कि हमारी संस्कृति को उंचा उठाने में, प्रजातन्त्र को पनपाने में और प्रजा को जागृत करने में हम लोगों का कदम आगे नहीं बढ़ा है और हमारी साख संसार में इस के लिये आगे नहीं बढ़ी है ? मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ है इस १२ साल के समय में इस शासक वर्ग या कांग्रेस दल की सरकार द्वारा वह बहुत कुछ हुआ है और एक बहुत बड़ी चीज हुई है। परन्तु इस के साथ ही अगर कोई कमी है तो उसको कौन महसूस नहीं करता ? उनको महसूस कर के ही हम हर प्रकार की प्रगतियों की ओर

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

बढ़ने की इच्छा कर रहे हैं जिससे कि वह कमियां न रहें । अगर वह कमियां पूरी नहीं होती तो उनका कारण क्या ? उन का कारण यह है कि हमें जितना सहयोग अन्य दलों से मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है ।

दूसरे एक चीज की और कमी है जिस की वजह से कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वह यह है कि हमारे यहां व्यक्तित्व का विकास अभी नहीं हुआ है । किसी कल्याणकारी समाज के लिये किसी कल्याणकारी राज्य को आगे बढाने के लिये व्यक्ति का विकास होना अतिआवश्यक है । उस व्यक्ति के विकास के लिये हम को जैसा कि कि मैंने पहले भी कहा था एक योजना बनानी होगी और उसके लिये इधर के बैठने वाले तथा उधर के बैठने वाले सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।

माननीय राजनारायण जी ने सदन में अपने २१ प्वाइंट रखे हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह इस से इन्कार कर सकते हैं कि यहां हर दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है ? क्या वह अपने आइडियलिज्म (Idealism) के अनुसार इस देश को जिस को अंग्रेज गरीब करके हमको नैतिक पतन की चरमसीमा पर पहुंचा कर गये थे –ऐसे देश को १२ साल में पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं? यह काम बहुत बड़ा है, १२ साल का समय किसी देश या जाति के उत्थान के लिये इतना काफी नहीं है कि उसमें वह अपनी पुरानी खामियां मिटा सके । एक बात मैं प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में और कहूंगा हमारा सब का लक्ष्य प्रजातांत्रिक होने का है और वह लक्ष्य हम सब के मिले जुले प्रयत्न से ही पूरा हो सकता है लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये समय की आवश्यकता है । यह प्रजातन्त्रवाद पच्छिम का पनपाया हुआ और लगाया हुआ पौधा है ऐसे देश में जहां साम्राज्यवाद रहा हो, जो देश साम्राज्यवाद के द्वारा गरीब बनाया गया हो, जहां शिक्षा का अभाव हो वहां प्रजातन्त्र का पौधा लगाने में और उसको बढ़ने में कुछ समय अवश्य लगेगा । यदि हम सब मिल कर उस पौधे की रक्षा करेंगे तो वह प्रजातन्त्र का पौधा जरूर हराभरा होगा और फूले फलेगा । और अगर आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे की सहायता नहीं मिलेगी तो वह प्रजातन्त्र का पौधा सूख जायगा ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––श्रीमन्, मैं बहुत देर से चर्चा सुन रहा हूं । यह चीज ग्राम में हुआ करती हैं और उन लोगों में हुआ करती है जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिसे हमारे यहां कहा करते हैं "रांड़ और ऊती की लड़ाई" । यह स्त्रियों की लड़ाई है । तो सदन में मुझे पढे लिखे लोगों ऐसी कोई चीज नहीं मिली । विरोधी किसे कहते हैं? जो सच्चा विरोधी होता है वह एक सरकार का मालिक होता है, अकुंश जो होता है हाथी का चलाने वाला होता है, लगाम घोड़े में डाल दी जाती है, विचलता हुआ घोड़ा चाहे दुलत्ती दे सवार लगाम के जरिये से उसे ठीक रखता है। यही काम विरोधी का होता है । लगाम ही विरोधी होती है । यहां समाजवाद की चर्चा होती है । जो सदन अपने को समाजवादी कहते हैं वे वह समाजवादी हैं जो बहुत भले आदमी हैं। सन् १९४२ में हमारी बगल में छुरी मारी । इनको खयाल नहीं होता है और फिर कहते हैं प्रजातंत्र कहां है ? ४०,००० वर्ग मील जमीन हमारी चीन दबाये बैठा है और उसी की बड़ाई करते हैं। यह हैं समाजवादी देख लेओ इनको, दर्शन कर लेओ आपके भी पाप कट जायं और हम तो इनके दर्शन करने से नरक को चले ही जायंगे । जो भी बातें उहोंने कही उनमें कोई एसी थी जो सरकार की समझ में आयी ? यह विरोधी पार्टी नही है ।

एक चीज कहूंगा श्रीमन्, नोट किया जाय। आप को महात्मा गांधी के सिद्धान्त को मानना है और उस रास्ते पर चलना है तो जो आपकी यूनियनें हैं, मंडल यूनियन, तहसील यूनियन और जिला यूनियन इन में एक मंत्री होता है,

सभापति होता है, एक उप-सभापति होता है । यह यूनियन सब दलाल यूनियन हैं इन को खत्म करदें अगर आप देश का भला चाहते हैं । इन के जरिये से सब काम होते हैं । मंडल यूनियन थानेदार और तहसीलदार की दलाल होती है और जिला यूनियन कप्तान और कलेक्टर की दलाल होती हैं । चाहे कोई पार्टी की हो । यही जड़ है । हम लोगो में और आप लोगों में कुछ फर्क है । आप के हाथ में राज्य सत्ता है और हमारे हाथ कुछ नहीं है इस लिये हम पीछे रह जाते हैं । कहा करते हैं "तेलिन ते का धोबिन घाट, और वाकी मोंगरी वाकी लाट" । कोई कमी नहीं है । यह सब ईश्वर की माया है । यह कम्युनिस्ट और भी डबल हैं इनसे खुदा बचाये । एक चीज और देखी इन्होंने न तो कभी आजादी की जंग को देखा न ४ आने के मेम्बर बने, न देश हित के झूंठे ही पानी का छींटा लगाया । और यहां आ गये, कहने लगे यह यों निकम्मे हैं । इन्हें शर्म नहीं आती है हमारे सामने बात करने में ? "गीदड़ का नहीं किया सामना, बातों से मृग राज पछाड़े" । और आगे श्रीमन्, आपको पता है क्या हुआ ?

स्वतंत्रता संग्राम ने देखा बातों में गढ़ के गढ़ ढारे
चौवन्नी का न बना मेम्बर बढ़ कर डींग धर्म की मारे
गेहुं के खेत जवासे में पानी तोउ सुन के पलकन डारे
ऐसे प्रतिक्रियावादिन को हैजा होउ न बिजली मारे ।

फांसी पर चढ़े हम हड्डियां आज तक सीधी नहीं हुई, लेकिन चले ये यहां आये । श्रीमन्, मेरा जो सुझाव है उसे अच्छी तरह से सुन लेना जो यूनियन है इनको अच्छी तरह से डाटना । निर्वाण हुआ तो किसका हुआ ? बड़े आदमियों का निर्वाण हुआ । छोटे आदमी रह गये । तकावी मिली तो किसको मिली? बड़े आदमियों को । कम्बल बटते हैं तो बड़ों को, गरीब ठंड में ही मरता है । मंत्री तो होते ही रहते हैं । कभी ये होंगे और कभी वह होंगे और ६२ में देखो कौन होता है ।

श्रीमन्, ७ वर्ष से १२ वर्ष तक का विद्यार्थी नेहरू जी को चाचा, चाचा कहता है । १२ वर्ष तक तो नेहरू चाचा की जय बोली लेकिन २० पर जा कर ताऊ भी नहीं कहता । विद्यार्थी १२ वर्ष तक इंक्लाब जिन्दाबाद कहे, महात्मा गांधी की जय कहे लेकिन २० वर्ष का हो कर वह राजनीति में भाग न ले । १९०५ में नेहरू जी इंगलैन्ड पढ़ने गये । १९१२ में में जब पढ़ कर आये तो पटना कांग्रेस में शामिल हुए । राजनीति, जब वह विद्यार्थी थे तो इंग्लैन्ड से ही सीख कर आये थे ।

आप देखे कि स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़े तो विद्यार्थी, मरे तो विद्यार्थी, तार काटे तो विद्यार्थियों ने, बम गिराये तो विद्यार्थियों ने, देश को आजाद किया तो सबसे आगे विद्यार्थी थे । १९२८ में सुभाष बाबू आई० सी० एस० पास करके आये । कलकत्ता में १९२८ में जब मोतीलाल जी नेहरू कांग्रेस के सदर थे तब वे कांग्रेस में शामिल हुए । जो कुछ किया विद्यार्थियों ने किया । मैं कहूंगा कि मेरी बात सरकार मान लेगी तो ठीक रहेगा ।

एक चीज और कह दूं:—

जहां जिन्दी सरकार कहां जहां नौकर लग रहा मनमानी में
नैतिक पतन शान पोजीशन खो बैठा खींचातानी में ।
सच्चे देशभक्त भारत के बिन पेले पिल गये घानी मा,

नौकर थे जो मालिक बन गये ,
मालिक इनकी निगरानी में,
सत्य अहिंसा गांधीजी की,
भूलि गये झूठी कहानी में,
इन अवसरवादिन का खत्म करौ
नहिं गद्दी छोड़ी कै डूबि मरौ चुल्लू भर पानी में ।

[श्री टीकाराम पुजारी]

श्रीमान् यह मेरा बड़ा गहरा सुझाव है । कहा जा रहा है कि कम तनख्वाह कर दो मंत्रियों की । क्या कम किया १ एक हजार होंगे, ग्यारह सौ होंगे, बारह सौ होंगे । मेरा सुझाव है श्रीमन्, आपके द्वारा कि एम० एल० ए० को सौ रुपये महीना में, पांच रुपया भत्ता, थर्ड क्लास का टिकट और ढाई सौ रुपया मंत्रियों के लिये और दस रुपया भत्ता । इसको ये मंजूर करें तो देश में किसान राज्य और जनतंत्र हो जाय । मैं तो सौ रुपये पर आ गया तुम्हारा ढाई सौ में भी पेट नहीं भरेगा ?

श्रीमन् आज देखिये प्रान्त के अन्दर लाखों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है । खरीफ की फसल और रबी की फसल बिल्कुल खत्म हो गयी है । श्रीमन्, आज हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ । वह सब कहना पड़ेगा । सरकार ने कहा था कि जमींदारी खत्म करेंगे और जमींदारी खत्म की तो हमको भी खत्म कर दिया, दसगुना लिया । और दस गुना भी लिया तो मालगुजारी पर नहीं लगान लिया, यानी २२ गुना लिया । जमींदार ४५ देता था और ५५ मुनाफा का होता था । उस ४५ पर दस गुना नहीं लिया ५५ को मिला के हमसे २२ गुना लिया ।

श्रीमान्, दूसरी बात । चकबन्दी में चौधरी चरणसिंह ने बड़ी कृपा की । यह एक जाल अच्छा बनाया । श्रीमन्, इस महकमे में नाम बड़े जबर्दस्त हैं । सी० ओ०, ए० सी० ओ, ई० ओ० । एक तरफ से तो एक किसान को मारा वह हारता चला गया और फिर दूसरा चला तो वह जीतता चला गया । दोनों किसानों को खत्म कर दिया । और फिर ५ रुपया एकड़ फीस । यह फीस काहे की ? क्या किसान के लड़के को पढ़ा रहे हो जो फीस ले रहे हो । धन्य है । अरे, इन पर कृपा करो, आधी तो छोड़ दो ।

अब, श्रीमन्, सहकारिता आ रही है और हमारी सहकारिता को छीन लिया गया । सौ बीघा जमीन में पहले दो बैल हमारे और दो पड़ोसिन के, चार परिवारों का पालन होता था । आज चार बीघा जमीन हम किसी को उठा दें और लेखपाल उसको दर्ज कर दे तो वह चार बीघा जमीन हमारे हाथ से चली गयी । तो वह सहकारिता तो आपने छीन ली, अब यह सहकारिता कौन सी है जो हम पर लादी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—पुजारी जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री टीकाराम पुजारी—समय समाप्त है तो धन्यबाद मेरा आपके लिये भी ।

कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हुई हूं । इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलनेवालों के भाषण मैंने सुने लेकिन इस प्रस्ताव की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आयी । गिनती के आधार पर, हम ३०२ हैं यह स्वीकृत तो हो नहीं सकता फिर भी मैं समझती हूं कि किसी का भी हुकुमत की बागडोर रखने के लिये मारल जस्टीफिकेशन होना चाहिये । मैं इसी भावना को थोड़े शब्दों में बता दूं ।

जहां तक आदर्श राज्य का सम्बन्ध है उसका नक्शा खींचा जा सकता है और यह उचित है कि नक्शा खींचकर सामने रख लिया जाय और उसके कदम बढ़ाये जायं और हम उसको भूल न जायं । मैं निहायत नम्रता के साथ प्रेसीडेंट केनेडी की कही हुई बात को आपके सामने रख देना चाहती हूं :—

"Politics and legislation are not matters for inflexible principles or unattainable ideals. Politics, as John Morely has acutely observed, is a field where action is one long' second best".

मुझे अपनी त्रुटियों को जानते हुये यह कहने में जरा भी झिझक नहीं होती कि हम आदर्श हुकूमत नहीं दे सके और न दे ही सकते हैं परन्तु जनता हुकूमत के बिना नहीं रह सकती इसलिये आदर्श नीचे की ही हुकूमत हो सकती है यानी सेकन्ड बेस्ट और ऐसी हुकूमत जो इन परिस्थितियों में व्यावहारिक हो सकती है हमने दी हुई है।

आज सुबह की विरोधी दलों की आपसी नोंक झोंक को देखते हुये उपस्थित सभी व्यक्तियों को मालूम हो गया होगा कि खुदा न खास्ता अगर इन सामने पचरंगी दलों के हाथ में राज्य दे दिया जाय तो इस सूबे का क्या हाल होगा इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मौन ही उचित है। इनमें से सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और तीसरे कम्युनिस्ट जब कि अहिंसात्मक ढंग से सोशल जस्टिस लाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझ पाती कि इनमें और हम में बुनियादी फर्क क्या है। यदि मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर नजर दौड़ाऊं तो तथ्य क्या है। १९५१ में हमारे कुछ भाइयों की भिन्न विचारधारा न होते हुये भी उनका विश्वास था कि जब तक विरोधीदल न हो तब तक ठीक रूप से राज्य का शासन चल नहीं सकता। इसलिये एक बनावटी विरोधी दल बना लिया गया और वह के० एम० पी० पी० के रूप में यहां चला। उसके बाद यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी और उसमें से फिर एक सोशलिस्ट पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या है और यह आपको मालूम ही है और जब कि अब स्वतंत्र पार्टी बन गयी है जिसकी विचार धारा में फर्क है। तो क्या जरूरत है इन तीनों पार्टियों की? क्यों नहीं ये अपने वास्तविक स्थान पर आकर ठीक रूप से इस देश को और इस प्रदेश को सम्हालने में सहयोग देते।

मैं निहायत नम्रता के साथ इसका कारण बता दूं कि हर राजनीतिक नेता या व्यक्ति के अन्दर एक कमजोरी होती है। वह ऊंचे दर्जे की बहादुरी की कमी है और वह यह है कि कहीं जनता की दृष्टि में अनपापुलर न हो जाऊं जिसने उसको यहां भेजा है। निश्चय ही सत्य का रास्ता अपनाने से, जो unpopularity आये; वह अनपापुलेरिटी थोड़े दिनों में पापुलेरिटी में बदल जाती है। माननीय किदवाई जी ने ऐसी बहादुरी का उदाहरण आपके सामने रखा है और गोविन्द सहाय जी जो आपके सामने बैठे हैं, इस उदाहरण के एक जीते जागते नमूने हैं और हमारी माननीया बहिन जी ने ऐसी ही बहादुरी का सबूत दिया है यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज को उन्होंने सत्य समझा उसी को माना। मैं इसलिये यह चीज आप लोगों के सामने रख रही हूं कि मेरी समझ में नहीं आता है कि अब इन दलों की अलग रहने की क्या आवश्यकता है।

अब सवाल यह है कि इस प्रदेश की गरीब जनता का ४० हजार रुपया दो दिन का खर्चा केवल मितव्ययिता की दोहाई देते हुए खर्च किया जाय और यह जो २१ points हैं यह तो श्री राजनारायण जी कहते ही रहते हैं और इनके उत्तर भी पाते रहते हैं और इसमें कोई खास प्रश्न मेरे सामने नहीं आता है। लेकिन एक point जो हमारी जनता को गलत-फहमी में डाल सकता है वह उनका पांचवां प्वाइंट है। वह इस प्रकार है कि "सोशलिस्ट पार्टी की न्याय युक्त संतुलित दाम नीति को कार्यान्वित न कर सरकार ने जीवनोपयोगी सामग्री को महंगा होने दिया है और इस प्रकार जनता पर संकट बढ़ा।" निश्चय ही जब आप जनता को कहेंगे कि वह संकट में है तो वह ऐसा महसूस करने लगेगी। लेकिन उसके सामने तथ्य रखे जायंगे तो वह उनको समझ कर आपको भी समझाने की कोशिश करेगी।

मैं आपको उनकी संतुलित नीति का नमूना दे दूं। दो रुपये प्रति मन वह गन्ने का दाम रखना चाहते हैं और ३२ रुपये प्रति मन चीनी का दाम बांधना चाहते हैं। गन्ने से केवल लगभग ८ प्रतिशत चीनी बनती है। इस तरह २५ रुपये एक मन चीनी के लिए केवल गन्ने की कीमत पड़ी और दो रुपये कम से कम मिल मालिक को प्रति मन तो दीजिएगा, दो रुपये थोक वाले को, दो रुपये ट्रांजिट चुंगी आदि के व्यय में और क्या दो रुपये परचून बेंचने वाले को नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ३३ रुपये फी मन तो यही हो गये, भाई साहब।

श्री उपाध्यक्ष—यह "भाई साहब" आप राजनारायण जी के लिये कह रही हैं या किसी और के लिये? (हंसी)

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी—जी हां। असल में मेरे मुंह से निकल जाता है। अब मजदूर की मजदूरी, कारीगर की मजदूरी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, income tax, wear tear machinery की पूंजी का सूद इन सब के दाम जोड़ना भूल गये।

एक चीज और सुन लीजिये। दूसरी मनी क्राप्स की ओर भी नजर उठा कर देखिए। उनकी दशा क्या होगी? गन्ना एक एकड़ में लगभग, पांच सौ मन पैदा होता है। तो एक एकड़ में उसका हजार रुपया हुआ। दूसरी मनी क्राप्स जैसे सरसों, तिल कपास या सन है उनको क्या हालत है? किसान ने गन्ने को बढ़ाया और इनको छोड़ दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि बोरे भी महंगे और कपड़े भी महंगे तब भी तेल महंगा और याद रखिये कि किसान को ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं। कांस्टीटुएंसी से तो दो तरह की इच्छाएं हमारे सामने प्रकट की जाती हैं। एक इच्छा यह प्रकट होती है कि हमारे लिए बस चल वाइये। दूसरी तरफ एक्के चलाने वाले अपना रिप्रेजेंटेशन ले आते हैं कि आप ऐसा न करियेगा। हमारी रोजी खत्म हो जायगी। वहां हमको निश्चय करना ही होगा। दोनों को खुदा भी खुश नहीं कर सकता। जब बारिश होती है तो किसान खुश होता है और कुम्हार रोता है। अगर माननीय राजनारायण जी के पास ऐसी दारू हो जो किसान को दो रुपया मन गन्ने की कीमत दे दें और कंज्यूमर को ३२ रुपये मन चीनी दे सकें, यानी गन्ने से चीनी बनाने का कुल कार्य अपनी सेना से श्रमदान से बिना खाये पिये करवा दें, तो सब किसान और चीनी खाने वाले इनके आभारी होंगे।

इसके अलावा अनाज भी सस्ता करने को कहते हैं। सबको अच्छा लगता है कि हमको सस्ता अनाज मिले। लेकिन एक तरफ अनाज सस्ता हो और दूसरी तरफ गन्ना महंगा हो यह कैसे हो सकता है? जब गन्ना महंगा होगा तो अनाज बोयेगा कौन? इसलिए मूल्य निर्धारित करते समय चारों तरफ देखना पड़ता है और एक संतुलित दृष्टि से काम करना पड़ता है।

इन सब तथ्यों को सामने रखते हुए मैं कहना चाहती हूं कि हमने आदेश से सेकेंड वेस्ट गवर्नमेंट दे रखी है, मौजूदा हालत में। यहां पर कोई दल भी इसका साहस नहीं कर सकता कि जिस तरह से यह सरकार चल रही है उस तरह से भी सरकार को चला सकें। इसलिए यह उनका अविश्वास का प्रस्ताव निरर्थक है और उनको भूल में डालने वाला है।

एक चीज और। वह यह कि अगर वह हमको यहां से निकालना चाहते हैं तो वे अपनी रचनात्मक दृष्टि बनाएं। रस्किन ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है कि अगर आदमी संसार में आगे बढ़ना चाहता है और अपने नैतिक स्तर को ऊंचा रखना चाहता है तो वह देखे कि उसका एक एक पैसा कहां से आता है और वह किस तरह से खर्च होता है। यह जितनी बातें थीं वह किसी और समय भी कह सकते थे। जरा ध्यान से सुन लीजिये। रचनात्मक दृष्टि बढ़े कैसे? वह कष्ट से होती है। यहां बैठ जाने से नहीं होती है। वह इस तरह से होती है कि किसान के बीच जाकर बैठिए और देखिए कि किसान को जब कष्ट हो जैसे जिन्सवार का उसका इन्दराज ठीक से लिखा न हो तो आप उसके साथ जाकर ठीक करवा दें, इसी तरह पुलिस में रिपोर्ट देते वक्त दुखिया के साथ जायं और तफतीश में भी उसके साथ खड़े हों और देखें कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे निश्चय है कि इतना कष्ट ये सह नहीं सकते। केवल नुक्ता चीनी कर सकते हैं। निन्दक जो होता है वह हमारे लिए बहुत अच्छा है जैसा कि अलगूराय शास्त्री जी ने कहा क्योंकि हम तो अपनी गलतियां जानते हैं और उनको दूर करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे और साथ में इन लोगों के भी शुक्रगुजार होंगे कि वह हमारी कमियों को सामने लायें। इस प्रस्ताव में दम तो है नहीं, कृपया उसको वापस ले लें। जितना कहना था उतना आपने कह लिया। जनता आपके व्यावहारिक ढंग को देख कर हृदय से हमको कह रही है कि बहादुरों अपनी जगह निर्माण के काम पर बढ़ते जाओ,

जितनी आपत्तियां आयेंगी उनका सामना करने में हम तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए किसी भी चुनाव की चुनौती देना या कहना इस समय कि इस चुनाव में क्या होगा, उचित नहीं होगा। हम तो बहादुरी के साथ काम करना सीखे हुए हैं और बहादुर के लिए हर वक्त, हर समय उठने की गुंजायश हो सकती है।

एक चीज जो भारतीय भाषा के बारे में कही जाती है उसको बता दूं। उसके लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। अगर कांस्टीटयूशन उठा कर पढ़ लेते तो पता लग जाता कि कांस्टीट्यूशन की धारा ३४८ नम्बर १ और २ के अन्तर्गत यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया ह कि जब तक ऊपर से अनुमति न हो या जब तक ऊपर से न चले तब तक इस भाषा को कर नहीं सकते हैं और यह वहीं से सम्बन्ध रखता है। मेरी फिर आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे प्रस्ताव लाकर प्रदेश का समय और पैसा खराब न किया करें और जो भी समुचित चीज रखनी हो वह बड़े ही ढंग से थोड़े समय में रख दी जाया करे। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगी कि इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया जाय।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सरकार की आलोचना या भर्त्सना करने के लिए प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। उस प्रस्ताव की आलोचना करते समय कांग्रेस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि विरोधियों की खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर यह सरकार हट जाय तो वह कोई वैकल्पिक सरकार स्थापित करने में समर्थ हों। मैं इस बात से उनकी सहमत हूं कि जो कांग्रेस के विरोधियों की विभिन्न पार्टियां हैं उनके बीच में न महज मतभेद है बल्कि सैद्धान्तिक आदर्शों में भी मतभेद है और जब तक सैद्धान्तिक आदर्शों में मतभेद रहेंगे उनकी ओट में विशेष रूप से सैद्धान्तिक कारणों में जो मतभेद होंगे उनके कारण वैकल्पिक सरकार की स्थापना की सम्भावना नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विरोधियों में यह क्षमता नहीं है कि वह कांग्रेस को हटा कर के एक समानान्तर सरकार की स्थापना कर सकें, यह बात यह औचित्य प्रदान नहीं करती कि कांग्रेस के इस भ्रष्टाचारी और अनैतिक शासन को कायम रहने दिया जाय। इसलिए कि जनता को जब वैकल्पिक प्रशासन की, एक वैकल्पिक संस्था के निर्माण की आवश्यकता होगी तो उस संस्था के निर्माण में सैकड़ों वर्ष नहीं लगा करते, केवल जनता को आवश्यकता अनुभव करने की जरूरत है और इसके बाद वह वैकल्पिक संस्थायें तो दिनों दिन में और रात-रात में, पहर-पहर में बन जाती हैं। जब यहां विदेशी भ्रष्टाचारी शासन था तो वह भी अपने आपको कायम रखने के लिए एक ही दलील दिया करता था कि हिन्दुस्तान में एक वैकल्पिक और सामाजिक इंस्टीट्यूट नहीं है इसलिये सरकार यहां पर शासन कायम करने का पूर्ण हक रखती है। लेकिन आज किसी भी शासन को कायम रहने के कितने राजनैतिक अधिकार होते हैं वह सम्पूर्ण अधिकार इस कांग्रेस शासन ने खो डाले हैं। इनकी कथनी और है और करनी और है। हमारे प्रदेश में और देश में सभी जगह कांग्रेस के नेता इस बात की घोषणा करते हुये नहीं थकते कि वह देश में समाजवादी आदर्शों की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन जब उन आदर्शों की पूर्ति का प्रश्न आता है तो जितने एक्जिक्यूटिव इंस्टीट्यूशन हैं, जिनके द्वारा वे समाजवादी आदर्श पूरे होने हैं, उन तमाम स्थानों के ऊपर ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को जानबूझ कर रखा जाता है जिनका न तो समाजवादी आदर्शों में विश्वास है और न चाह है। जो समाजवादी आदर्शों के विरुद्ध हैं उन्हीं लोगों के हाथ में प्रशासन की बागडोर देकर यहां कांग्रेस संस्था ने जनता के अन्दर पूर्णरूप से उन आदर्शों के प्रति अविश्वास ही पैदा नहीं किया है अपितु सम्पूर्ण संस्था के प्रति, पार्लियामेंट पद्धति के प्रति, विधान सभाओं के प्रति और जो घोषित कार्यक्रम की नीति होती है, उनके प्रति वह आस्था डिगा दी है और इस प्रकार से जनता में एक अराजकता और अविश्वास की भावना अग्रसर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आचार्य दीपंकर]

इसी प्रकार से मैं यह बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन कायम हुआ तो उस समय राष्ट्रीयता की फूट का बोलबाला था। लोग अलग-अलग रजवाड़ों में, अलग-अलग जाति-बिरादरी में और भिन्न-भिन्न दलों में बंटे हुये थे और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। आज पिछले १४ वर्ष के शासन काल में उसमें दोबारा राक्षसी वृत्ति, जिसने राष्ट्रीय एकता के टूक कर डाले हैं, राष्ट्रीय एकता की भावना को खंडित कर दिया गया है। इन्होंने सब से पातकीय, निन्दनीय और राष्ट्र के अहित में जो काम किया है वह यह कि रोजाना एक गैर-जिम्मेदार आदमियों की तरह से आपस में झगड़ा करते हैं। उनकी लड़ाई का कभी अन्त नहीं होता है, पता नहीं किस वक्त कौन अलग हो जाय और अपनी २।। चावल की खिचड़ी न्यारी पकाने लगे। आपस में एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे-ऐसे गन्दे आरोप लगाते हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर अविश्वास की भावना पैदा होती है। यह कांग्रेस, जिसके झंडे के नीचे खड़े हो कर इस सम्पूर्ण राष्ट्र ने राष्ट्रीय एकता का संग्राम लड़ा था जो कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय एकता का स्वप्न और राष्ट्रीय भावना को पैदा करने वाली संस्था थी, आज उस कांग्रेस के स्वार्थी नेताओं ने उस कांग्रेस को कण-कण करके बिगाड़ दिया है। जिस प्रकार से उसके अन्दर गुटबाजी है और जिस प्रकार से उसके अन्दर दल हैं उसका असर हमारी सम्पूर्ण राष्ट्रीय चेतना में पैदा हो गया है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के अन्दर वह असर पैदा हो गया है।

आज जो विरोधी पक्ष हैं, उनके अन्दर भी वह तमाम दोष हैं जो कांग्रेस के अन्दर हैं। अगर मैं यह बात कहूं कि कांग्रेस संस्था हम सब पार्टियों की मदर इंस्टीट्यूट है और हमारी सम्पूर्ण पार्टियों के अन्दर जितने दोष हैं वह तमाम उन दोषों की मदर संस्था है तो उचित होगा। वह मदर संस्था जब गलत काम करती है और उसकी बागडोर ऐसे आदमियों के हाथ में आती है जो कांग्रेस की घोषित नीति का विरोध करते हैं, उन कर्तव्यों का और कार्य नीति के पालन करने का अधिकार उन लोगों के हाथ में आता है जो इसमें विश्वास नहीं रखते हैं तो उसका असर दूसरी संस्थाओं पर भी पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं सब से अधिक राजनैतिक अपराध इस कांग्रेस संगठन का है जिसने, जो राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रीय एकता बच पाई थी, उसको कुंठित कर दिया है, उसे जरजर कर रही है और सड़ा रही है। उसके अन्दर खुद कोई नैतिकता कायम नहीं करती। कांग्रेस के लोग महज एकता के लिये संघर्ष नहीं करते हैं, इनको अपनी कुर्सियों से प्यार है और आदर्शों से प्यार नहीं है। कांग्रेस के संगठन के अन्दर भी वह करोड़पति, अरबपति धन्नासेठ यह चाहते हैं कि कांग्रेस को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में मींच कर रखें और कांग्रेस इंस्टीटचूशन को वे टूल बनाना चाहते हैं अपनी प्रतिक्रियावादी और जनविरोधी नीतियों का, अपनी बड़ी-बड़ी मुनाफा कमाने वाली नीतियों का। वह कांग्रेस के अन्दर उनको पसन्द नहीं करते कि जो उनकी थोड़ी सी आलोचना करते हैं। वह कांग्रेस के अन्दर ऐसे लोगों को लाना पसन्द करते हैं, उन्हीं को हुकूमत की गद्दियों पर बैठाना पसन्द करते हैं कि जो कांग्रेस की घोषित नीतियों-समाजवाद जैसी नीतियों को दफन कर सकें और पूरे देश का सत्यानाश कर सकें। इस वजह से वह कांग्रेस की नीतियों के भी खिलाफ हैं। मैं स्वागत करता हूं विरोधी पक्ष का जिसका कि यह प्रोग्राम है कि कांग्रेस के अन्दर से यह सब समाप्त हो सके। लेकिन कांग्रेस की गद्दियों पर बैठे हुए लोग, थोड़े से अपवाद लोगों को छोड़ कर ऐसा आचरण कर रहे हैं कि जिससे देश की प्रगति का कार्यक्रम नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा और देश में वह फूट का वातावरण पैदा होगा कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह जायगा। अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया, और आयेगा ही किसी दिन, क्योंकि इस देश के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू जिस दिन न रहेंगे, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि उस दिन यदि शासन की बागडोर कांग्रेस के ऐसे ही नेताओं के हाथ में रही तो इस देश में निश्चय ही सिविल वार होगी, प्रतिक्रिया वाद की ओर यह देश चलेगा और यह देश खंड खंड हो जायगा और इन कांग्रेस नेताओं को, जिनको खुद में विश्वास नहीं है, समाजवाद में विश्वास नहीं है, नेहरू में विश्वास नहीं है, नेहरू के व्यक्तित्व की वजह से जो इस समय एक दिखायी पड़ते हैं, उनके जाने के बाद यह सब खंड खंड हो जायेंगे।

इसलिये ऐसा होने के पहले ही हम लोगों का यह कर्तव्य है कि इन कांग्रेस के फूट परस्त शासन को, जिसने अपने घर में फूट डाली है, राष्ट्र में फूट डाली है, विरोधी पक्ष में फूट डाली है और अगर मैं यह कहूं कि करोड़पति और अरबपति के दलाल भी जिसके अन्दर मौजूद हैं और सम्भव है कि उनके दलाल हमारे विरोधी पक्ष के अन्दर भी मौजूद हों, उसे हमें समाप्त करना चाहिये।

मैं आपके द्वारा सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस की सरकार पर अविश्वास इसलिये नहीं हो रहा है कि वह समाजवाद की बात करती है, वह राष्ट्रीय एकता की बात करती है। जब वे इस प्रकार की बातें करते हैं तब तो हम उनका विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनका पूरा-पूरा आचरण अपनी घोषित नीतियों के खिलाफ, राष्ट्र की एकता के खिलाफ चलता है तो मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को एक दिन के लिये भी राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में यहां पर कायम रहने का अख्तियार नहीं है।

माननीय, इसके अलावा सब से बड़ी बात यह है कि इस देश की जनता का आर्थिक स्तर लगातार विरता जा रहा है। लोगों का आर्थिक जीवन, उनकी आमदनी और उनका रहन-सहन का मयार प्रति दिन गिर रहा है। इसको सरकार भी मानती है और जो उसका साहित्य निकलता है उसमें भी बराबर यह कहा गया है। परन्तु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैक्सों का भारी बोझ जनता पर खास तौर से पिछले ६, ७ वर्षों में लादा गया है और आइन्दा भी, तृतीय पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात होने पर, जिस प्रकार के टैक्सों के लगने की संभावना है, मैं कह सकता हूं कि उसे बर्दाश्त करना हमारे प्रदेश की जनता के लिये मुश्किल हो जायगा। लेकिन हमें इसमें भी एतराज नहीं है कि टैक्स लगने चाहिये। मगर उन टैक्सों का कम से कम आउट पुट तो नजर आये, उनका कुछ लाभ नजर आये, कुछ फायदा तो हो। हम पश्चिम के रहने वाले यह समझते हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है तो बलिया, देवरिया, बनारस में कुछ हो रहा है, पूर्वी जिलों के लिये कुछ हो रहा होगा। लेकिन जब कमबख्ती से कभी वहां चले जाते हैं तो वहां पर भी वही हालत पाते हैं जो ५ या ७ वर्ष पहले थी। उसमें तो कोई विशेष अन्तर नहीं पाते हैं। तो मैं एक बात अवश्य इस सरकार से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज करों के बोझ से जनता इतनी ज्यादा लदी हुई है कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।

दूसरी ओर हमारी सरकार की नीतियां इस प्रकार की हैं जो केवल दिखाने की हैं और जनता को उसमें विश्वास नहीं रह गया है। आज यह सरकार मितव्ययिता की बात तो करती है, हर सरकारी कर्मचारी के दिल और दिमाग में, उसकी जबान पर मितव्ययिता का नाम है, लेकिन यह है कहीं नहीं, वह केवल एक कैच वर्ड ही रह गया है। आज जनता को इस सरकार में अविश्वास होता जा रहा है। आज उसका उपयोग हमारी आर्थिक उन्नति में नहीं हो रहा है।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। आज इस कांग्रेसी सरकार के आपसी झगड़े के कारण रोज उलट फेर के कारण प्रदेश को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। आज इसके कारण जनता का विश्वास इन पर से उठ गया है, राजकीय कर्मचारियों के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और दफ्तरों में बैठने वाले कर्मचारी आज यही देखा करते हैं कि कल कौन-सी सरकार आयेगी? आज उनके अन्दर कार्य क्षमता समाप्त होती जा रही है। साधारण जनता की साधारण फाइलें फाइलों के ढेर में दबी रहती हैं और वह महीनों तक निकल नहीं पाती हैं। आज इस पूरी नीति का नतीजा यह हो रहा है कि उन कर्मचारियों के अन्दर अनुशासन नहीं रह गया है, कोई आस्था नहीं रह गयी है। आज वह अपने कर्तव्यों को भी भुला बैठा है। राजकीय कर्मचारियों को इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा है, कांग्रेस के नेताओं को अपने पर विश्वास नहीं रहा है, उनके साथियों को अपने साथियों पर विश्वास नहीं रह गया है। नतीजा यह हो रहा है कि आज प्रदेश का विकास खंड खंड होकर इधर-उधर बिखर गया है। इसमें हमारे प्रदेश का बहुत अहित हो रहा है। इन बातों से कोई भी आज इन्कार नहीं कर सकता।

इन बातों को कह कर मैं अधिक समय न लेता हुआ केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब किसी सरकार के ऊपर जनता का विश्वास न रहा हो, और यह आपस में कोई वैकल्पिक सरकार न बना पाये हों, उसका ठीक से निर्माण न कर पाये हों, तो यह कैसे पता चल सकेगा कि

[आचार्य दीपंकर]

वह कितने दिन कायम रहेगी और फिर कैसे उस सरकार का काम चल सकता है। इस जनता को विश्वास नहीं रह गया है इस सरकार के ऊपर। इस हाउस को भी विश्वास नहीं रहा है इस सरकार पर। स्वयं कांग्रेस वालों को विश्वास नहीं रह गया है इस सरकार पर। हमारी कमजोरी के ऊपर यह लोग कब तक सरकार चलाते हैं यह देखना है। इसको इतिहास ही बतलायेगा। जनता इन सब बातों को देख रही है और जरूर एक वैकल्पिक सरकार का निर्माण होगा। समाजवाद की कोई भी पार्टी जो सच्चे माने में समाजवादी पार्टी है, वही वैकल्पिक सरकार का स्थान ले सकती है। आज जो विरोधी दल आपस में लड़ते हैं यह भी अश्लील बात है। इन शब्दों को कह कर मैं जो प्रस्ताव है अविश्वास का उसका समर्थन करता हूं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तुत प्रस्ताव पर बहुत से व्याख्यान सुने और व्याख्यान सुनने के बाद मेरे भी दिल में यह बात आई कि मैं भी कुछ अपने विचारों को प्रकट करूं। सब से बड़ा ताज्जुब तो मुझे अपने कम्युनिस्ट दोस्त का भाषण सुन कर हुआ। उन्होंने जनतंत्र की एक परिभाषा दी और अब वे हमको जनतंत्र का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। यह जानकर मुझे आश्चर्य अवश्य होता है और मैं यह सोचता हूं कि वास्तव में जनतंत्र की परिभाषा क्या होनी चाहिये और जनतंत्र की परिभाषा भविष्य में क्या रहेगी। जब मैं उनके मुंह से सुनता हूं कि यह सरकार निकम्मी है, इसे एक दिन भी टिकने की इजाजत नहीं होनी चाहिये और इसका जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उसे उचित नहीं कहा जा सकता तो मुझे याद आता है कि चीन और उसकी विचारधारा के दूसरे मुल्क रूस में क्या पद्धति है,वह कौन सी नकाब अपने चेहरों पर डालकर जनतंत्र की परिभाषाओं का विश्लेषण यहां पर करते हैं, क्या उस जनतन्त्र को यदि हिन्दुस्तान में लागू कर दिया जाय तो उससे इस देश और प्रदेश की जनता का कोई लाभ भी हो सकेगा? श्रीमन्, इसके साथ ही साथ मैंने उनको यह भी कहते सुना कि प्रतिक्रियावादी तत्त्वों की वह मुखालिफत करना चाहते हैं लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रस्ताव के पक्ष में उनका समर्थन है वह प्रस्ताव क्या प्रगतिशीलता की तरफ ले जायगा? उन्होंने स्वयं प्रतिक्रियावादी तत्त्वों से गठबन्धन कर रखा है और दूसरों को प्रगतिशीलता का जामा पहनने का उपदेश देते हैं और इस तरह से जनतन्त्र की परिभाषा करते हैं जिससे मालूम होता है कि जनतंत्र का मूल स्रोत कम्युनिज्म की थ्योरी में ही है जहां पर न तो बोलने की स्वतन्त्रता है, न जनतांत्रिक संस्था बनाने की स्वतन्त्रता है और न अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है। उस थ्योरी के मानने वाले यदि जनतन्त्र की परिभाषा करें तो यही कहना पड़ेगा कि इस प्रदेश में जनतन्त्र जिस अवस्था में है, भले ही उसकी उस अवस्था की जिम्मेदारी किसी पर हो लेकिन वह उनके बताये हुये विचारों से लाख दर्जे अच्छा है और भविष्य में भी अच्छा रहेगा।

आचार्य दीपंकर जी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार इत्यादि के सम्बन्ध में कहा। यह सही है कि भ्रष्टाचार है और यह भी सही है कि बार-बार अविश्वास का प्रस्ताव लाने पर सरकारी कर्मचारियों में और जनता में अविश्वास की भावना बढ़ती है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि यह नाटक और ड्रामा प्रत्येक वर्ष क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है? क्या आपको विश्वास है कि आप इस सरकार को डिगा सकेंगे और अगर विश्वास नहीं है तो फिर यह ड्रामा खेलने और अपना अपना पार्ट अदा करने की आवश्यकता आप क्यों महसूस करते हैं। आप को स्वयं अपने दिल पर हाथ रख कर इस बात को सोचना चाहिये।

जहां तक इस सरकार के बनने का सम्बन्ध है, राजनारायण जी ने बार-बार इसका बड़ा विरोध किया है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति इस प्रदेश में धीरे-धीरे शासन की तरफ से रही या जनता की तरफ से रही या किसी और कारणों से रही और जिस तरफ हम बढ़ते चले जा रहे थे उसको अगर कांग्रेस के भीतर हो कुछ लोगों ने बहादुरी के साथ मोड़ दिया तो क्या वह धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। विरोधी पार्टियों के लोगों को अपने कलेजे पर

हाथ रख कर सोचना चाहिये कि कांग्रेस के भीतरी लोगों ने बहादुरी के साथ शासन के उस मोड़ को बदल दिया जिस मोड़ पर यदि यहां का शासन चलता जाता तो मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज जिस जनतन्त्र की परिभाषा की व्याख्या यहां की जा रही है उसे कहने का अवसर ही न मिलता। इस मंत्रिमंडल का जिस प्रकार से गठन हुआ है उसमें क्या बुराइयां आपको नजर आती हैं। हमारा एक दल है, उस दल के भीतर हमने बहुत से और सर्वसम्मति से अपने दल का एक नेता चुना, मैं नहीं समझता कि इसमें कहां पर जनतन्त्र की हत्या हो गई। सोचना तो यह चाहिये कि कांग्रेस जो कि एक प्रजातांत्रिक जमात है उसके भीतर के लोगों ने यदि बहादुरी का रुख न लिया होता तो जनतन्त्र की व्याख्या करने वालों का पता न लगता। आप मुल्क की परिस्थितियों पर गौर कीजिये कि प्रदेश और देश के भीतर किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। किस तरह की प्रतिक्रियावादी शक्तियां जन्म ले रही हैं। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा और मानना पड़ेगा कि आज के जमाने में कांग्रेस के अतिरिक्त कोई पार्टी ऐसी व्यवस्थित नहीं है जो शासन को संभाल सके। यह कहना तो निरर्थक होगा कि पहले कांग्रेस हट जाय फिर कोई न कोई पार्टी आ ही जायगी। प्रदेश को इस प्रकार कल्पना के आधार पर छोड़ा नहीं जा सकता कि जब एक पार्टी का सत्यानाश हो जायगा तो दूसरी पार्टी कोई न कोई आ ही जायगी और इस प्रकार से जनता को गर्त में नहीं ढकेला जा सकता। अगर आप इस बात को समझते हैं कि वाकई कांग्रेस के अतिरिक्त शासन के स्थान को ग्रहण करने वाला कोई और नहीं है तो बराय मेहरबानी इस गवर्नमेंट को सुझाव देते हुए इस गवर्नमेंट को काम करने का मौका दीजिये। मैं भी इस बात से परिचित हूं और मैं यह नहीं कह सकता कि कोई भी सरकार शासनसूत्र हाथ में लेते ही कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदल देगी। इस अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को जो ४–५ साल में स्थापित हुआ अगर आप चाहते हैं कि उसमें तब्दीली आये तो बराय मेहरबानी पूरा सहयोग इस शासन को आप दीजिये और फिर आप देखेंगे कि स्वस्थ परम्परायें कायम होती हैं या नहीं।

मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि मैं पहले के शासन की आलोचना नहीं करता। जिस तरह से मैं इस शासन के बारे में यह कहने को तैयार नहीं हूं कि आज ही हम यह कर देंगे, उस शासन ने कुछ ऐसी परम्परायें बनायीं जिनका हम तर्क के आधार पर विरोध करते हैं। जो लोग अपने को प्रगतिशील विचारों के कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक आन्दोलन इस प्रदेश में शुरू हुआ जो भुखमरी के आन्दोलन के नाम से विख्यात हुआ। उसके सिलसिले में भिन्न-भिन्न पार्टियों को छोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी जनसंघ दल के नेता ने सरकार से यह कहा कि उनको छोड़ दिया जाय। क्या वजह थी? जब जनसंघ की पार्टी ने मांग नहीं की थी तो उसको क्यों छोड़ा गया। मिर्जापुर की किसी पब्लिक मीटिंग में जनसंघ के किसी भाई ने यह कहा कि आप भी तो माफी मांगने पर छोड़े गये तो उन्होंने कहा कि मैंने इस गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी है। माननीय नेता विरोधीदल को इसलिये छोड़ा गया कि वे अपनी कार्यकारिणी से मिल सकें, कम्युनिस्ट भाइयों को इसलिये छोड़ा गया कि उन्होंने अपना आन्दोलन वापस ले लिया था। सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को इसलिये नहीं छोड़ा गया था कि उन्होंने अपना आन्दोलन वापस नहीं लिया था लेकिन जनसंघ के भाइयों को उस समय जब कि उनका आन्दोलन मृत्यु के करीब था इसलिये छोड़ा गया जिससे कि उनको पुनर्जीवन दिया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय सदस्य की इस बात का इस प्रस्ताव से निकट सम्बन्ध नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी––श्रीमन्, बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में इसी लहजे में कही गयी थीं। मैं विरोधी पार्टियों के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर भिन्न-भिन्न विचारों के होते हुए भी सब लोग एक राय के कैसे हैं। यदि आप एक राय हो सकते हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अपने दल के भीतर हम चाहे जितना संघर्ष करें, हमारी दलगत राजनीति चाहे जो कुछ भी हो आपको यह विश्वास होना ही चाहिये कि हर हालत में आपके मुकाबले में हम सब एक होंगे और जब मौका आयेगा तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि हमारी कांग्रेस की शक्ति अजेय है।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

श्रीमन्, मैं जनतंत्र की उस परिभाषा की तरफ भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह कहा गया कि रानीखेत के चुनाव में उसका फैसला होगा और किसी समय माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि बैक डोर से नहीं आयेंगे, इसका भी जिक्र किया गया। तो मैं बड़ी नम्रता के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कौंसिल कोई बैक डोर नहीं है, कोई चोर दरवाजा नहीं है, इसलिये आप मेहरबानी करके कौंसिल में गये हुए लोगों के लिये बैक डोर से आने और जाने की बात न कहें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आप इस वक्त एलेक्शन न भी लड़ते तो भी कोई जनतंत्र की हत्या नहीं होती। यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जिस शासन को मजबूत बनाने का विचार आचार्य दीपंकर जैसे व्यक्ति ने व्यक्त किया है, यदि आप एलेक्शन न लड़ते तो शासन की तरफ से देखने का आपको अधिक अवसर होता और आप शासन को अ र भी मजबूत बना सकते थे। एलेक्शन लड़े जाने का अवसर तो साल डेढ़ साल में आने ही वाला है, और उस समय मालूम हो जायगा कि सही जनतंत्र की परिभाषा क्या है और उनके जनतंत्र तथा हमारे जनतंत्र में क्या अन्तर है। और जनता किसमें विश्वास करती है, वह तो हम समय-समय पर बताते ही रहे हैं। कहा जाता है कि मुख्य मंत्री जी दो-दो बार हार चुके हैं। लेकिन मैं बतला दूं कि हारने वाले तो मुख्य मंत्री हो चुके लेकिन हराने वाले मेम्बर ही रहे हैं। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे संसदीय पद्धति को नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लें कि कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री नहीं होता है बल्कि दल विशेष का जो नेता होता है वही मुख्य मंत्री होता है। कौन नहीं जानता है कि मध्य प्रदेश के हारे हुए नेता श्री तख्तमल जैन तथा बम्बई के हारे हुए नेता श्री मुरार जी देसाई भी मुख्य मंत्री बनाये गये थे? इसी तरह से यह कहना चाहता हूं कि आप यह न सोचें कि कोई व्यक्ति विशेष या दल विशेष ही शासन करता है। जनतंत्र में बहुमत का ही शासन होता है। अगर आपको जनतंत्र की परिभाषा न मालूम हो तो इसकी परिभाषा इस तरह से करने के बजाय अभी उसको सीखने की कोशिश कीजिये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप एक सुदृढ़ शासन चलाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आपके विचारों में जो मतभेद है उसे दूर कीजिये और यह रोज का नाटकीय प्रदर्शन जो आप अक्सर किया करते हैं इसे बन्द कीजिये तभी प्रदेश का शासन दृढ़ हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं उपस्थित प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष जी वर्तमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। एक मंत्रिमंडल गया और माननीय चन्द्रभानु गुप्त का मंत्रिमंडल आया। उसी दल के दो मंत्रिमंडल बने। माननीय चन्द्रभानु गुप्त के ही शब्दों में बड़ा भाई जाता है तो छोटा भाई आता है। लेकिन इस आने और जाने में जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है, जनता को उस वक्त भी कोई दिलचस्पी नहीं है जब छोटा भाई बड़े भाई की दुर्गति करे। जितनी भी दुर्गति करते बने अपने घर में कर लें उससे हमें या जनता को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब तब है जब जनता की दुर्गति शुरू हो जाती है। जब प्रदेश की दुर्गति शुरू हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि छोटा भाई बड़े भाई की दुर्गति जो करनी है वह तो कर रहा है। लेकिन इस समय सारे प्रदेश और सारे प्रदेश की जनता की भी दुर्गति हो रही है। माननीय सदस्य जो उधर से बोले हैं आंकड़े का खाली उन्होंने जिक्र कर दिया और कह दिया कि वे आंकड़े में नहीं जाना चाहते हैं। मैं तो उनके आंकड़ों द्वारा ही यह बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रशासन में चाहे वह श्री सम्पूर्णानन्द की हुकूमत रही हो या श्री चन्द्र भानु गुप्त की हुकूमत रही हो वह उस प्रदेश के जीवन स्तर को ऊंचा करने और प्रदेश की जनता की जरूरियात को पूरा करने में बिलकुल नाकामयाब रही है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का क्या काम होता है। सूबे की जनता के लिये आवश्यक सामग्री उपस्थित

करना, उनकी जो रोजमर्रा की प्रमुख आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करना, जैसे कपड़ा है, खाना है, शिक्षा है या दवा है, यह सब जरूरी अवश्यकतायें हैं, रोजमर्रा की जिनको पूरा करना चाहिये किसी भी सरकार को अगर वह सरकार कहलाने का दावा करती है। इस सरकार के ही आंकड़ों द्वारा मैं साबित करूंगा ज्यादा तफसील में न जाकर कि चाहे खाने की समस्या को ले, चाहे कपड़े की समस्या को ले चाहे शिक्षा की समस्या को लें या दवा की व्यवस्था को लें, कहीं भी कोई प्रगति नहीं हुई है। खाने की समस्या को जब हम देखते हैं तो हमारा प्रदेश अधिकांश में खेतिहर प्रदेश है और जहां कि ८० प्रतिशत् से भी अधिक जनता खेती पर निर्भर है, किसानों के पास प्रति व्यक्ति काफी जमीन भी नहीं है और गल्ले का प्रबन्ध बाहर से मंगा कर होता है और इस तरह से खाने का ठिकाना प्रदेश की जनता के लिये नहीं है। यह सरकार थोक में गेहूं का भाव १५ रुपया ६० पैसा मुकर्रर करती है और बाजार में गेहूं का भाव थोक भाव १८ रुपया ५० नया पैसा प्रति मन है यानी सरकार द्वारा निश्चित दामों से साढ़े तीन रुपया मन अधिक और खुले बाजार में गेहूं का रिटेल भाव है १९·५० रु० प्रति मन। इस प्रकार देखा जाय कि सरकार के निश्चित मूल्य से २५ प्रतिशत् अधिक मूल्य पर बाजार में गेहूं का भाव है। इसी तरह से चने को देखा जाय चने का निश्चित भाव है १७.५० रु० प्रति मन और खुले बाजार में उसका भाव है १८.५० रु० प्रति मन। जो व्यवस्था सरकार की है उसके अनुसार आज शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ४ छटांक गल्ला दिया जाता है इस व्यवस्था से सारे प्रदेश के भूखे लोगों का काम नहीं चलता बल्कि केवल १५ प्रतिशत आबादी ही इस तरह से गल्ला पाती है और बाकी जनता को उसकी तकदीर पर खुले बाजार से इतने ऊंचे भाव पर गल्ला खरीदने के लिये छोड़ दिया गया है।

अब कपड़े की दशा यह है कि जनता को प्रति व्यक्ति १५ गज सालाना कपड़ा नहीं मिल पाता। इस तरह से यह सरकार इस प्रदेश की जनता को आधा भूखा और आधा नंगा रख रही है।

मकानों की क्या कहें, यह तो सर्वमान्य है कि ग्रामीण जनता अब शहरों की तरफ अधिक बढ़ रही है, नौकरी, पढ़ाई, रोजगार के लिये शहरों में आ रहे हैं।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

उतने ही ग्रामीण जीवन में बसर नहीं होती और वह शहरों में चले आते हैं। शहरों में भी आज मकानों की समस्या यह है कि आज एक परिवार के लिये एक कमरा भी मुयस्सर नहीं है इस सरकार के जमाने में।

सरकार के लिये प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रखना बहुत आवश्यक है। वहां आज क्राइम सिचुएशन (जरायम की दशा) क्या है? मैं इसी सरकार के आंकड़ों द्वारा इतना ही निवेदन करूंगा कि आज यहां प्रति २५ बालिग आदमियों के पीछे एक अपराधी या क्रिमिनल है। यह मैं उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। जो उन की जरामय की रिपोर्ट है यानी चोरी, डकैती, कत्ल और राहजनी वगैरह की उनको देखने से यह मालूम होगा कि वह कम नहीं हुए हैं, बल्कि उनमें दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ोत्तरी हुई है यानी शान्ति व्यवस्था कायम रखने में भी यह सरकार पूर्णतः असफल ही है।

जहां तक दवा का सम्बन्ध है यह आशा की जाती थी कि अगर कोई बीमार पड़े तो उसके लिये उचित दवा का प्रबन्ध होगा, अच्छे अस्पताल होंगे, लेकिन वह भी नहीं हैं मैं एक ही जिले की मिसाल दूंगा कि आजमगढ़ जिले की आबादी साढ़े २३ लाख की है और उसमें कुल १० सरकारी अस्पताल हैं। जरा-सा अपनी पीठ ठोक लें मंत्री जी। किस चीज पर चाहते हैं विश्वास इस प्रदेश की जनता का है?

तीसरी बात यह है कि एक आनेस्ट और ऐफीशियेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री एक काम में बड़े हुशियार हैं और वह है पोपेगंडा। वे जैसे ही मुख्य मंत्री बने उन्होंने कहा कि हमारे मिनिस्टर २०० रुपया कम तनख्वाह लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि मंत्रियों की दो सौ रुपया तनख्वाह काट कर हजार दो हजार रुपया सालाना भले

[श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव]

ही बचा लिया जाय, लेकिन मिनटों में जो लाखों-करोड़ों रुपये की लूट और गबन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है उसको आप कैसे कम कर रहे हैं। आप के सामने केसेज लाये जाते हैं, पेश किये जाते और आप जांच तक नहीं करते। तो हवा बाजी से प्रदेश का काम नहीं चलने वाला है। मितव्ययिता इस तरह से नहीं हो सकती।

मान्यवर, हम भ्रष्टाचार का नाम न लें हमसे ऐसा कहा जाता है, इसलिए कि जितना नाम लेंगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह सरकार निहायत गैर जिम्मेदार है वह व्यक्ति नेहायत गैरजिम्मेदार व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न कर सके और अपनी खराबियों की जिम्मेदारी दूसरे के कन्धों पर डाले। माननीय मुख्य मंत्री जी • अदालतों में जो भ्रष्टाचार है उसको वह खुद दूर करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं उनके पास एफीशियेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जिससे भ्रष्टाचार को दूर करा सकें। । जिम्मेदारी छोड़ते हैं। वकीलों के ऊपर और कहते हैं कि यही लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिये उस मुख्य मंत्री को जिसके पास इतनी सामर्थ्य न हो कि इस प्रदेश में अदालतों के भ्रष्टाचार को अपनी हुकूमत के बदौलत खत्म कर सके। दूसरों पर चार्ज लगाते हैं। सारा दोष वकीलों पर थोपते हैं। क्यों नहीं अपने मुलाजिमों को ठीक करते हैं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री बदनाम थी कि नौकरशाही को बहुत शह देती है। लेकिन मैं कहता हुं कि चन्द्रभानु गुप्त की मिनिस्टरी में नौकरशाही हमारे सर पर बैठी है। पहली मिनिस्ट्री खाली शह देती थी, लेकिन चन्द्रभानु गुप्त जी की मिनिस्ट्री ने तो नौकरशाही को अपने सर पर बैठा लिया है और इस प्रदेश का शत्यानाश हो रहा है। मुख्य मंत्री नौकरशाही की शिकायत नहीं सुन सकते।

मुझे याद आ गया श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी जब नियुक्त हुये तो आजमगढ़ के पत्रकारों ने निमंत्रण दिया और वह उसमें पहुंचे, मैं भी वहां उपस्थित था। वहां के पत्रकारों ने जिला अधिकारियों के विरुद्ध निश्चित आरोप आप के सामने रखें कि जिलाधिकारियों ने षडयंत्र करके पत्रकारों को पिटवाया था, षडयंत्र करके राजनीतिक व्यक्तियों को गलत मुकदमों में फंसाया था। मुख्य मंत्री पत्रकारों के ऊपर आग बबूला हो गये और कहते हैं कलेक्टर मेरा मातहत है मैं इस तरह की बात नहीं सुनना चाहता। मुझे श्रीमन् आश्चर्य हुआ मैं वहां मौजूद था। मैं पहले भी सुन चुका हूं माननीय मुख्य मंत्री जी के विषय में। कोई फर्क नहीं है। केवल बड़े भाई की जगह छोटा भाई आया है। उन्हें टैक्स लगाना है जनता के ऊपर उसके कल्याण के लिये, निर्माण के लिये। तो मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्य मंत्री जो अपने मातहतों के खिलाफ कोई चीज सुन नहीं सकते और न करने का साहस ही है और न करेंगे यह मेरा पूर्ण विश्वास है।

कुछ बातें और कही गईं। शिक्षा की तरफ माननीय अलगूराय शास्त्री जी ने कहा कि संविधान में केवल लक्ष्य निर्धारित किया है, समय निर्धारित नहीं किया है। मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से संविधान पढ़ देना चाहता हूं। यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल है। संविधान का अनुच्छेद ४५ इस प्रकार से है:

"The State shall endeavour within a period of ten years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years."

अनुच्छेद ४५ की यह मंशा है कि इस संविधान के आरम्भ के १० वर्ष के अन्दर १४ वर्ष के नीचे के बच्चों के लिये प्रदेशीय सरकार निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा प्रदान करेगी। क्या समय का निर्धारण नहीं हुआ? १९४९ में यह कांटीट्यूशन लागू हुआ और १९५९ तक १४ वर्ष के नीचे के बच्चों के लिये प्राइमरी शिक्षा मुफ्त प्रदान कर देना इस प्रदेशीय सरकार का कर्तव्य था। लेकिन माननीय अलगूराय शास्त्री ने आंकड़े नहीं बतलाये। हमारे प्रदेश के अन्दर १ करोड़ बच्चे हैं जिनकी अवस्था १४ साल से नीचे की है जिनको निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा आज तक प्रदान होनी

चाहिये थी। उस १ करोड़ में केवल ३५,२१,०८५ बच्चे इस कांग्रेस की सरकार ने अभी तक स्कूल में भेजे हैं और इसी पर वह अपनी पीठ ठोंके और शाबाशी दे कि वह इस देश का कल्याण कर रही है, उत्थान कर रही है जब कि प्राइमरी शिक्षा की यहां यह दशा है।

क्या-क्या बतलाऊं, श्रीमन्। मंत्रिगण आधारित करते हैं अपनी नीति, अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पी के ऊपर, उनकी रुचि क्या है, कौन व्यक्ति उनकी पसन्द का है, कौन पसन्द का नहीं है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह सचिवालय के संगठन का क्षेत्र हो। शिक्षा विभाग में इकोनामी का नारा लगाकर एडीशनल सेक्रेटरी हटा दिया गया और एडीशनल डायरेक्टर हटा दिया गया। लेकिन पुलिस विभाग में कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि एडीशनल आई० जी० बनाया जा रहा है।

सारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों का वातावरण दूषित किया जा रह है। यह चार्ज है इस मौजूदा मिनिस्ट्री पर क्योंकि आपकी पसन्द का गुट विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया या आपकी पसन्द के लोग अमुक विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर न हो सके इसलिये सारी यूनिवर्सिटीज का कानून बदल दिया जायगा। ऐसी शहनशाहियत मैंने दुनिया में नहीं देखी और जहां इस बात की मिसाल नहीं मिलेगी कि दो बार का हारा हुआ व्यक्ति मुख्य मंत्री बन जाय वहां इस बात की भी मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई मुख्य मंत्री एक वाइस-चांसलर को हटाने के लिये उस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दूषित आन्दोलन का समर्थन करे, उसे प्रोत्साहन दे। मैं यह साधार कहता हूं और अगर हिम्मत होगी मुख्य मंत्री जी की तो अपनी गवर्नमेंट की खुफिया पुलिस की रिपोर्ट को सामने रखकर मेरी बात का प्रतिपादन करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अलगूराय शास्त्री ने कहा कि वे एम० एल० सी० हैं, मर्यादित सदन के सदस्य हैं और वे मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि मिनिस्टर जो होगा वह लोअर हाउस का सदस्य होगा। प्रजातांत्रिक पद्धति की बात आप कहते हैं और ग्रेट ब्रिटेन जिसे आप प्रजातंत्र की मां कहते हैं वहां क्या हो रहा है हाउस आफ कामन्स के लोग ही मिनिस्टर होते हैं। कभी कभी ऐसे मौके आये हैं जब एक आध मिनिस्टर हो गया होगा अपर हाउस का। यहां तो आधे के आधे भरे हुये हैं। कोई स्पेशल सर्कमस्टांस हो तो भी समझ में आये, लेकिन मान्यवर, यहां कौन-सा स्पेशल सर्कमस्टांस है। बहुत डींग हांकते हैं कि हमारी सरकार है सारा विरोधी दल मिल जाय तब भी हमको परास्त नहीं कर सकता। लेकिन यह प्रजातंत्र का हनन क्यों हो रहा है? आपके अन्दर ऐसे लोग भी हैं जो सीधे चुनकर आये हैं, जिनको जनता का विश्वास प्राप्त है, उनको आप मंत्री और मुख्य मंत्री बनाइये। हमारा जब बहुमत होगा तो इस तरह की बात हम नहीं करेंगे और कोई हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं, जनता खुद हमको यह मौका देगी कि हम वहां पर बैठें। हमारे माननीय सदस्य, श्री गोबिन्दनारायण तिवारी जी ने कहा था और आपकी आज्ञा से मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना नहीं मिली कि जो व्यक्ति जीता हुआ हो वह विरोधी दल का नेता हो और जो व्यक्ति हारा हुआ हो वह मुख्य मंत्री बना बैठा हो।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, संसदीय पद्धति में अविश्वास का शस्त्र एक बहुत अमूल्य शस्त्र समझा जाता है जिसका प्रयोग खास स्थितियों में किया जाता है। जब किसी सरकार के विरुद्ध अपोजीशन के लोगों के सब साधन खत्म हो जाते हैं तब वह अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। मेरा यह खयाल है कि इस प्रदेश में जिस वक्त यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है न तो हालात ही वैसे थे और न उसकी दिमागी तैयारी ही थी क्योंकि जिस हल्की तबीयत से खड़े हो के और काफी दिल में मलाल रख के इसका समर्थन किया गया है उससे पता चलता है कि रिवाजन इस काम को इस साल पूरा किया गया है और जब किसी अच्छे हथियार का गलत इस्तेमाल होने लगता है तो उसकी ताकत जाया होने लगती है, जबान से जो बात कहनी चाहिये वह नहीं निकला करती है। बहरहाल, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर मेरा खयाल है खुद अपोजीशन के मेम्बरों से अगर यह पूछा जाय कि क्या वास्तव में वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो

[श्री गोविन्द सहाय]

कानूनी ढंग से यह इजाजत दे कि सिविल नाफरमानी के जरिये उसको हटाया जा सके---आप गौर करें कि आप जिस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं उसके इम्प्लीकेशन्स क्या हैं---इसलिये इस साल का यह टूर्नामेंट बड़ा फीका टूर्नामेंट है जिसमें कोई ज्यादा जान नहीं है।

बहरहाल, जहां तक राजनारायण साहब का ताल्लुक है मुझमें ताकत नहीं है उनका मुकाबला करने की क्योंकि उनका यह दिमागी विश्वास है कि जो वे जानते हैं वह अखंड सत्य है और वही समाजवाद है। इसलिये उनकी किसी भी बात का, उनके किसी भी प्वाइंट का विरोध करना काफ़ी अपने ऊपर जहमत बुलाना है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों की चर्चा करूंगा।

राजनारायण जी की बातों के साथ-साथ कुछ और मित्रों ने भी बातें कहीं। कुछ बातें अपनी जगह ठीक हैं सिर्फ कन्क्लुजन्स में हमारा मतभेद है। जैसे यह बात अपनी जगह पर ठीक है कि आज हमारे देश में राष्ट्रीयता की ताकतों के मुकाबले में अर्राष्ट्रीयता, जातीयता और तंगदिली की ताकतें जोर पकड़ रही हैं। यह ठीक है अपनी जगह कि आज भी हमारे प्रदेश में भूख है, गरीबी है, बेकारी है और जिस मात्रा में ये चीजें खत्म होनी चाहिये थीं वह अभी हम नहीं कर पाये। बताया हमें यह जाता है कि उसका एक कारण तो यह है कि आपका उस समाजवाद में विश्वास ही नहीं है जिसकी आप चर्चा करते हैं। मैं अपने समाजवादी दोस्तों को इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वैसे तो समाजवाद और डेमोक्रेसी ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आज हर एक अपनी अपनी व्याख्या दे सकता है, लेकिन मोटे तौर पर जिन देशों में समाजवाद है और उन्होंने उसके लाने का बाकायदा प्रयत्न किया है उनके नेताओं का यह कहना है और उनको सब साधन उपलब्ध थे, हमारे मुकाबले में उनको ज्यादा सुविधायें थीं, मिसाल के तौर पर सोवियत रूस अपने को सोशलिस्ट देश कहता है, वह कम्युनिस्ट देश नहीं है सोशलिस्ट देश है उसको सोशलिस्ट बनने में रूस के लीडर्स का कहना है कि हमको अपने देश में समाजवाद को लाने में ४० साल लगे हैं और इस ४० साल के घोर प्रयत्न के बाद जब कि जनता और पार्टी सबने मिल जुलकर काम किया है तब उसके बाद वे कह सकते हैं कि उनका सोशलिस्ट देश है। ठीक इसी तरह से चीन के नेताओं का कहना है, हालांकि उनकी पद्धति दूसरी है.....

श्री राजनारायण---आपको भी उनसे उन्सियत हो गयी है क्या ?

श्री गोविन्द सहाय---यह अनडिमोक्रेटिक माइन्ड की पहचान है कि हमने अभी अपनी बात भी नहीं कही और आप चौंक पड़े। जिस माइन्ड का आप इजहार कर रहे हैं उससे यह साबित होता है कि आप अभी मानसिक विकास की पहली लाइन में हैं। इतने इश्तिआल में आने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले भी आपसे माफी मांग ली है।

श्री राजनारायण---पहले अपने दिमाग को ठीक करो।

श्री गोविन्द सहाय---आपको काफी मौका होगा। मैंने तो अपने को आपसे डरने की बात पहले कह दी, इसलिये ख्वाम-ख्वाह के लिये ऐसी बातें न कहें जिससे मुझे वह सारी बातें कहनी पड़ें जो मैं नहीं कहना चाहता।

बहरहाल, मेरा ख्याल है कि सोशलिज्म को लाने में उन देशों को भी जिनके यहां एक पार्टी का रूल है काफी वक्त लगा है जब कि क्रान्ति के बाद उन्होंने अपने काम को चालू किया है। हमारे देश में अगर यह चीज बतायी जाती कि तुम्हारा यह कदम ठीक नहीं है या सोशलिज्म के उसूलों के खिलाफ है इसलिये हम तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं तब तो बात समझ में आती। मिसाल के लिये देश ने कुछ कदम उठाये हैं जमीन की दिशा में, लैंडलार्डिज्म को खत्म करने की तरफ, पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने का, कोआपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने का। यह सब वह कदम हैं जिन कदमों के जरिये से सोशलिज्म का ट्रांसफार्मेशन होता है। इसलिये यह कहना कि यहां पर कुछ नहीं हुआ और सोशलिज्म की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं यह ठीक नहीं है। कुछ मात्रा में बढ़े हैं,

कुछ क्षेत्रों में बढ़े हैं, कुछ में नहीं बढ़ पाये हैं। जैसे एकानामिक फील्ड में आगे बढ़े हैं, लेकिन आइडिओलोजीकल या मानसिक विचारों के जगत में अभी तक सोशलिस्ट विचारधारा को नहीं फैला पाये हैं। यह मैं मानता हूं। अभी दीपंकर जी ने कहा है कि आज राष्ट्रीयता की ताकतें कमजोर हुई हैं और उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है इसलिये कि कांग्रेस का वातावरण दूषित है यह उनका खयाल है। मेरा बड़े अदब से कहना है कि इसको वैज्ञानिक तरीके से देखें तो अंग्रेजी जमाने में जिस राष्ट्रीयता का विकास हुआ वह तो दो तत्त्वों पर था। एक तो देश प्रेम और दूसरी अंग्रेजों से नफरत। यह दो उसके जुज थे। अंग्रेजों के जाने के बाद तो एक तत्व निकल गया तो राष्ट्रीयता का जो पुराना ढंग था वह थोड़ा सा खंडित किया हुआ और जब वह खंडित होता है तो बहुत ही फीलिंग्स ऐसी, ऐसे जजबात, बहुत से छोटे-छोटे तंगनजरी को सतह पर आ जाते हैं। यह समस्या आज देश में है और इसका मुकाबिला करने के लिये एक जबरदस्त आइडिआलोजिकल ओरियेंटेशन (Idealogical orientation) पर हमें बढ़ना पड़ेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

दूसरे उन्होंने कहा कि जितनी भी आज खराबियां और बेजाब्तियां हो रही हैं इन सबका सूत्र कांग्रेस ही है। मैं इसका जवाब इस तरह से नहीं दूंगा कि हम बुरे नहीं हैं तुम बुरे हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि अपनी बुराई को दबाकर कोई केस इस्टेब्लिश नहीं होता इसलिये मैं उस बात को नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात दीपंकरजी से कहना चाहता हूं कि आज हम जिस युग से गुजर रहे हैं वह मशीन की दुनिया है और इसमें केवल इतना ही काफी नहीं है कि हम ठीक काम करें, हमारे हमसाया भी ठीक काम करें, हमारे पड़ोस के मुल्क भी ठीक काम करें तो एक कंडीशन अच्छी पैदा होती है। महज़ हमारे ठीक काम करने पर यह मुनहसिर नहीं है, बल्कि मुनहसिर है मुल्क के सारे नेताओं के जो व्यवहार हैं, जो उनके ऐप्रोच हैं उनके ऊपर और यह जरूर हमको सीनियर पार्टनर के कहा जा सकता है और मैं तो बहैसियत कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के नाते कह सकता हूं कि कांग्रेस में ऐसे लोग बहुत काफी तादाद में हैं जो इन बढ़ती हुई बीमारियों से बहुत अच्छी तरह से आगाह हैं और हमारी सबकी यह दिली ख्वाहिश है कि उनके खिलाफ जद्दोजहद की जाय। जब हम उनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं जैसे मान लीजिये कि हम अपने गरीबी से लड़ते हैं, बेकारी से लड़ते हैं तो आप हमको डाइवर्ट कर देते हैं कि आप गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी तक गरीबी बाकी है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक दिन में यह काम नहीं हो सकता है। जब चौतरफा लड़ाई होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्या असर पड़ता है। जमीन से पैदावार बढ़ाना, नहरों को बढ़ाना, बिजली बढ़ाना आदि ऐसे काम हैं यदि इनकी ओर हमारा कदम न उठा होता और इधर प्रयत्न न हुआ होता तो आज क्या होता? इसलिये मैं समझता हूं कि यह कहना कि इस ओर हमारे यहां कुछ काम नहीं हुआ है ज्यादा इंसाफ की बात नहीं है। हां, इस बात को मैं अवश्य मानता हूं कि हमारे देश में जो स्थिति है उससे हमको और आप सबको अवश्य आगाह रहना चाहिये, हमारी आंखें उसकी तरफ से खुली रहनी चाहिये। एक बात मैं और श्रीमन्, आपके द्वारा अर्ज कर दूं कि हम सबको मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने देश की समस्याओं पर हावी हो सकेंगे।

श्रीमन्, यह तो इतिहास बतायेगा कि आया हमने जो प्रणाली अपनाई है वह समाजवाद की तरक्की में कहां तक सफल होगी। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि कभी-कभी मुझे यह विश्वास होने लगता है कि इस प्रणाली में फिजूल की बात बहुत ज्यादा होती है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा जाया होता है और सारा समय चुनाव में ही चला जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी का इधर कुछ खयाल नहीं है बल्कि हमारे यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन एक बात है और वह यह कि अगर आप इस सिस्टम को अपने देश में या अपने सूबे में कायम रखना चाहते हैं तो उसके ट्रेडीशन्स को भी बनाये रखना पड़ेगा।

श्रीमन्, अब मैं माननीय राजनारायण जी के दो चार प्वाइंट्स के बारे में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इस सरकार का विस्तार

[श्री गोविन्द सहाय]

जो हो गया है वह बहुत ही भयानक हो गया है। इसके कारण जनता का बहुत-सा रुपया खर्च होता है। आपकी शिकायत यह है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी ऐसा विस्तार कहां हुआ है।

श्री राजनारायण—आज नहीं तो कल हो जायगा।

श्री गोविन्द सहाय—आप बात तो आज की कर रहे हैं, कल की नहीं कर रहे हैं। इस समय प्रदेश की जो सरकार है उसमें केवल २२ आदमी हैं तो गवर्नमेंट में आज ऐसी पोजीशन नहीं है जिसके लिये यह कहा जाता है। फैक्चुअल बात बता रहा हूं। इससे मालूम होता है कि आप ज्यादा सीरियस नहीं हैं।

श्री राजनारायण—१९३७ में कितने थे ?

श्री गोविन्द सहाय—तो क्या १९३७ में जो समस्यायें थीं वही आज भी हैं ? आप १९३७ के समय में और आजकल के समय में कोई फर्क नहीं समझते हैं ? आप जानते हैं कि आज से १५ साल पहले मुल्क में बंगाल में लाखों आदमी फेमिन में मर गये थे, लेकिन एक भी आवाज उसके विरुद्ध नहीं उठी थी। आपके खयाल में जब से लेकर अभी तक कोई काम नहीं बढ़ा, सरकार का फैलाव नहीं हुआ। आप इतनी ज्यादती न करें। वैसे आपको अख्तियार है। लेकिन वाकयात की बिना पर मैं कह सकता हूं कि सन् १९३७ के मुकाबले में अब फैलाव बहुत जबर्दस्त हुआ है। इसकी मिसाल भी मैं दे सकता हूं। अगर आप और सनों की बात लें तो मैं यह कहता हूं कि इस प्रदेश के बारे में बहुत से लोगों का तो यह खयाल है कि इसमें काफी किफायतशारी बरती जाती है और यह भी है कि ज्यों-ज्यों सोशलिस्ट स्टेट फैलती है त्यों-त्यों गवर्नमेंट का भी फैलाव होता है।

श्रीमन्, तीसरी बात जो उन्होंने जिक्र किया वह यह है कि यह सरकार जो उनकी संतुलित दाम नीति है उसको नहीं कर पा रही है। श्रीमन्, मैं उनको बताऊं कि यह ऐक्सपेरीमेंट चीन में किया गया था जहां कि टोटेलेटेरियन सिस्टम आफ इकोनामी था, लेकिन वह भी इसको नहीं कर पाये। यह एक दिन का काम नहीं है। हमारे राजनारायण जी चाहते हैं कि दुनिया भर की अच्छी बातों को कह दें चाहे कोई बात अपनाई जाय या नहीं। टोटेलेटेरियन सिस्टम आफ इकोनामी में जब संतुलित दाम नीति को अपनाने में दिक्कत पड़ती है तो हमारे यहां तो और भी मुश्किल है। मान लीजिये आज सरकार कोई व्यापार लेती है तो रिट के जरिये हाईकोर्ट से उसको खत्म कर दिया जाता है। उसमें संतुलित दाम नीति नहीं आ सकती।

उन्होंने एक जिक्र और किया है कि यह सरकार विदेशी जासूसों को रोकने में नाकामयाब रही है। फिफ्थ कालमिस्ट कई तरह के होते हैं —एक बाहर के फिफ्थ कालमिस्ट होते हैं और दूसरे अन्दरूनी फिफ्थ कालमिस्ट होते हैं, जो मालूम होते हैं कि नैशनलिस्ट हैं लेकिन फिफ्थ कालमिस्ट का काम करते हैं यानी जो मुल्क के मारेल को गिराते हैं। मान लीजिये कि यह कहा जाय कि हम बड़े कमजोर हैं, हमारे यहां बड़ा भ्रष्टाचार है, तो उन्हें पता नहीं है कि इससे जो वातावरण पैदा होता है, वह मुल्क के मारेल को सैबोटेज करता है। वह भी फिफ्थ कालमिस्ट में जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर उन्हें इस बारे में जानकारी है तो पूरी कोशिश होनी चाहिए।

उन्होंने सवाज्ञा आंदोलन का भी जिक्र किया है। मैं ज्यादा इस सम्बन्ध में नहीं कहता। मैं सिर्फ अपोजीशन के नेता श्री त्रिलोकी सिंह से, जन संघ के नेता, कम्युनिस्ट साथियों से और स्वतंत्र पार्टी के नेता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो अवैधानिक तरीके से सरकार को हटा सके, अगर आपको स्वीकार हो तो कह दीजियेगा।

आखिर में एक फिकरा और कहा गया कि यह सरकार डेमोक्रैटिक तरीके पर आयी या नहीं। मैं कोई माननीय मुख्य मंत्री का वकील नहीं हूं। उन्होंने अच्छी तरह से इन बातों

का जबाव दिया है और दे सकते हैं। लेकिन एक बात बड़े अफसोस से कही गयी। एक मित्र ने कहा कि क्या गजब है, दो इंसान एक ही कांस्टीटुएंसी से लड़े, एक मुख्य मंत्री हो गया और एक इधर बैठा रहा। बहरहाल, पार्लियामेंटरी डेमोक्रैसी में पार्टी का रूल होता है, वह भी कहते हैं कि पार्टी का रूल है, पार्टी गवर्नमेंट है। पार्टी गवर्नमेंट के मतलब हैं कि पार्टी जिसको तय कर देती है वह उसकी तरफ से नेता होता है। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि मेरे खयाल में इस प्रदेश के दो नेताओं ने डेमोक्रैसी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके रखा है—डाक्टर सम्पूर्णानन्द और वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने वहां तक डेमोक्रैसी को बढ़ाया है कि अगर कांग्रेस का एलेक्शन हार जायेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस के अन्दर यह ट्रेडीशंस हैं कि हममें से लोग जो बात कहते हैं वह करते हैं, यह डेमोक्रैटिक कैरेक्टर है। इसी तरह से मुख्य मंत्री जी हैं। उन्हें कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। वह लीडर चुने गये हैं तो वह रह सकते थे। लेकिन उन्होंने डेमोक्रैटिक ट्रेडीशंस की इज्जत कहिए या कांग्रेस की ट्रेनिंग कहिए उसके मुताबिक जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया, आपको उसकी कद्र करनी चाहिए। इस लिए जो यह चार्ज लगाया गया कि गवर्नमेंट अनडेमोक्रैटिक तरीके से आयी वह पार्लियामेंटरी डेमोक्रैसी के स्टैंडर्ड से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता है।

आखिर में मैं यह कह कर खत्म करता हूं कि जहां तक आपका प्रस्ताव है उसमें तो आप बहुत कुछ सीरियस हैं नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बातें आप कहते हैं हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन में से काफी बातों को महसूस करते हैं। अगर वह बातें कही जाती हैं तो लाभ भी होता है। मुझे निहायत खुशी होती अगर आज के डिबेट में पालिसी के बारे में कुछ कहा जाता कि आपने यह पालिसी बरती इसमें यह खामियां रहीं। वह चर्चा कम हुई। अगर पालिसी पर चर्चा होती तो वक्त और रुपये का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता। बड़ी चर्चा डेमोक्रैसी और कांग्रेस पार्टी पर रही। कांग्रेस की तरफ से हर बात का जवाब देने का यह प्लैटफार्म नहीं है, लेकिन मैं इतनी आशा करता हूं कि चाहे हम इधर बैठें या उधर बैठें देश एक नाजुक दौर से इस माने में गुजर रहा है कि देश के चारों तरफ जितने देश है उनमें पार्लियामेंटरी पद्धति पछाड़ खा रही है, गिर गयी है, टोटेलेटेरियन सिस्टम जोर पकड़ रहे हैं। थाइलैंड लिया जाय, लाऊस में गड़बड़ी हो रही है, बरमा में थोड़ी सी बची है, इंडोनेशिया में भी एक किस्म की डिक्टेटरशिप है, इधर पाकिस्तान है और उसके आस-पास के मुल्क हैं। एक एक्सपेरीमेंट इस मुल्क में हो रहा है। उसकी कामयाबी के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं। पहली बात यह है कि ख्वा-म-ख्वाह नीयतों पर हमला नहीं करना चाहिए कि आपकी नीयत में यह है, आप सोशलिज्म नहीं मानते। अगर कांग्रेस सोशलिज्म को नहीं मानती तो उस का जो इतिहास है, जिस दल ने राजनीतिक आजादी दिलाई उसके लिए लाजमी हो जाता है कि वह सोशल और इकानामिक आजादी भी दिलाये। हम नहीं कहते हैं कि आपको सोशलिस्ट कहने का हक नहीं है, आप में ट्रैडीशंस नहीं हैं। आपको सोशलिस्ट बनने का हक है। लेकिन रोज रोज ऐसी हवा पैदा करने से लोग संसदीय पद्धति को हल्की समझने लगते हैं, कि नान सीरियस लोग हैं, ऐसी बहस करते हैं। ऐसे ट्रैडीशंस से नुकसान होगा।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहने से पहले माननीय गोविन्द सहाय जी को उनके बेंट और भाषण पर, चाहे उनकी बात ठीक हो या नहीं, बधाई दूंगा। उन्होंने सुन्दर ढंग से अपनी बात रखी। अभी उन्होंने डेमोक्रैसी की परिभाषा की। अनेक परिभाषाएं गणतन्त्र की सुनता आ रहा हूं। देखने और सुनने में भी यही आता है कि गणतन्त्र की पूर्ण परिभाषा नहीं है क्योंकि गणतंत्र केवल नियम ही नहीं परम्पराएं भी होती हैं। यह हो सकता है कि अपने पक्ष की बात कहने में जो ट्रेडीशंस या नियम हमारे पक्ष में हों तो उनकी बात कह दी जाये। लेकिन दोनों बातें अधूरी हैं। गणतंत्र की इस एकांगी परिभाषा द्वारा अगर गणतंत्र की कल्पना होती रही, तो इस देश के गणतंत्र का भविष्य अंधकारमय रहेगा।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

गोविन्द सहाय जी ने एक सही बात कही कि आज विश्व के अन्दर और अपने देश के चारों ओर यह दृश्य दिख रहा है कि जनतंत्र प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। उन देशों का चित्र सामने आया जहां पर जनतंत्र का नारा लगा, लेकिन व्यवहार जनतन्त्र का हुआ नहीं। जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की या विरोधी दलों में किसी की, उसको जनमत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जो भी उसके कदम हों, उन कदमों को उठाने की दृष्टि से, जनता का सम्बल प्राप्त होना चाहिये। परन्तु आज वास्तव में देखा जाय तो जब दलों के अन्दर आन्तरिक संघर्ष खड़ा हो जाता है जो छिपी बात नहीं है कि आज शासक दल में आन्तरिक संघर्ष है और जब उसमें मुठभेड़ हुई तो यह कह कर हुई कि संगठन को मुख्यता होनी चाहिए, शासन का अधिकार संगठन पर नहीं होना चाहिए। जब संघर्ष हुआ तो एक गुट के लोगों ने यह कहा कि मुख्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि हमारे संगठन के मामले में अपनी बात लादें। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि पोलिटिकल पावर से संगठन उच्चतर है। यह सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि जनसंघ का बराबर मत है कि जनतंत्र के लिए आवश्यक है कि संगठन का महत्व होना चाहिए, शासन का दबाव उस पर नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने यह बात सुनी और कम से कम समाचार-पत्रों में देखा मैंने तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम जो एक गड़बड़ी देश में चल रही थी जिसके कारण डेमोक्रैसी के माने होने लगे थे केवल कुर्सी पकड़ना और कुर्सी पर बैठ कर अधिकार का उपयोग या दुरुपयोग करना, उसके विरुद्ध कम से कम कुछ लोगों ने विचार तो किया, उन लोगों ने जो आज सत्ता में हैं। लेकिन दुख इस बात से हुआ कि संगठन का अधिकार पाते ही कुर्सी के लिए दौड़ने लगे।

आज इस व्यवहार से जनता के अन्दर क्या भावना खड़ी हो रही है, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी का इसमें दोष है या किसका दोष है। लेकिन आज देश में कांग्रेस पार्टी ही सीनियर मोस्ट है इस बात को छिपाया नहीं जा सकता और जिस प्रकार आज आप परम्परा डालेंगे और जिस प्रकार के पदचिन्ह रखेंगे उसका प्रभाव बराबर पड़ेगा, उसके परिणाम-स्वरूप जनतंत्र पर घात भी हो सकता है। तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि परम्परा का निर्माण करते समय विचार करें। नियम बनाते हैं तो नियम के व्यवहार पर भी वह विचार करें। बड़ा स्वाभाविक मनुष्य का टेम्पटेशन होता है कि कानून का कोई छिद्र निकालकर के उसके द्वारा वह अपनी स्वार्थ सिद्धि करे। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं। मंत्रियों को दौरा करने का अधिकार है। दौरे के समय उन्हें भत्ता मिलता है, सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन एलेक्शन के समय दौरा किया जाय और फिर उस नियम की दुहाई दी जाय, तो यह गलत है और उसका परिणाम बुरा होता है। इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर ने श्रीमन्, जिस समय इलेक्शन आया अलग एक छोटी गाड़ी खरीदी। उसकी स्त्री ने ड्राइवर का काम किया और इस तरह उसने एलेक्शन का सारा काम किया। श्रीमन्, मुझे यही आशा यहां भी थी। लेकिन अगर यही नियम का दुरुपयोग करेंगे, नियम को टिग्रवस्ट करेंगे और गलत परम्परा डालेंगे तो लोगों के मन में जो आज यह भावना खड़ी हो रही है कि जनतंत्र के माने क्या हैं? अधिकार और फिर अधिकार का अर्थ क्या है, अधिकार के माने हमारे स्वार्थ की सिद्धि है। 'सर्वे सुखिनाः सन्तु' की भावना अधिकार का अर्थ नहीं होरहा है, हम देश को सर्वांगीण उन्नति की ओर ले जायं, यह अर्थ नहीं है, उसका अर्थ अपनी स्वार्थ सिद्धि हो रहा है। इसका परिणाम हो रहा है श्रीमन्, कि लोगों के मन में आज गणतन्त्र की पद्धति के खिलाफ एक अविश्वास पैदा होता जा रहा है।

यह अविश्वास आप देखें कि जिन-जिन देशों में हुआ, लेबनान से लेकर लाओस तक तथा चीन से लेकर पैसिफिक के देशों तक, वहां वहां तानाशाही खड़ी है। आज इस सरकार के कृत्यों से यह अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार कोई अलग है उस सरकार से। कांग्रेसी सरकार है, एक गुट की हो या दूसरे गुट की। तो अगर सरकार के कृत्य, इस प्रकार का अविश्वास, इस प्रकार की गलत भावना, ऐसी गलत परम्परा खड़ी करेंगे तो उसका अन्तिम परिणाम क्या होगा? इसका डर नहीं है कि आज के बाद कल क्या होगा।

वास्तविक राजनीतिज्ञ दूरदर्शी होता है उसको तो विचार करना चाहिए कि हमारे इस कृत्य का अन्तिम परिणाम क्या होगा। इससे समाज का हित होगा या अहित होगा। हो सकता है कि देखने में हित हो, लेकिन अन्त में अहित होने वाला हो। परन्तु यहां इस गुण का अभाव है और जनता के अन्दर अविश्वास खड़ा करने का अर्थ यह होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता हूं केवल उसकी ओर इशारा कर देना चाहता हूं, एक दिन परिणाम यह होगा कि यह सारा गणतंत्र आपका समाप्त हो जायगा और इसकी समाप्ति की जिम्मेदारी फिर सबसे बड़े दल के ऊपर होगी। आप आज इस समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उसके कारण हमें अविश्वास है।

मैं यह नहीं कहने को तैयार हूं जैसा कि अन्यान्य मित्रों ने कहा कि कृत्यों में कमियां बताओ, लेकिन कृत्यों में कमियां तो हम रोज बताते हैं। आज अविश्वास तो इस बात में होना चाहिए था कि मूलतः आपके कदम ठीक हैं या नहीं। विश्वास और अविश्वास श्रीमन्, इस बात से नहीं होता कि हमने कुछ बड़े मोहक शब्दों की बिडम्बना में कुछ बड़े मोहक चित्र खड़े कर दिए। विश्वास और अविश्वास इस बात से होता है कि आपके कृत्यों से हुआ क्या? चिराग से घर में अंधेरा भी दूर होता है, लेकिन अगर उसी चिराग को ठीक से नहीं रखेंगे तो वह घर भी फूंक देता है। तो श्रीमन्, इस ओर देखने की जरूरत है कि आज जिस जनतंत्र को चिराग कहा जा रहा है राजनीतिक जीवन का जो कि 'सर्वे सुखिनाः सन्तु' की भावना लाता है, उसका जो प्रकाश है वह डेमोक्रैसी के द्वारा ही हो सकता है। तो यह घर भी फूंक दता है। आज आपके कृत्यों से घर फूंकने की स्थिति खड़ी हो रही है। इस सिद्धान्त को आप हर पहलू से देखें कि जनतंत्र में सबसे बड़ा सिद्धान्त यही हुआ करता है कि प्रशासन और अधिकार को अलग रहना चाहिये और पार्टी को अलग रहना चाहिये। क्या इस ओर कदम उठाया गया?

मैं एक उदाहरण देता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि हांडी का एक चावल देखा जाता है कि हांडी के चावल पक्के हैं या कच्चे। ३१ तारीख के अखबार "संडे स्टैंडर्ड" में सूचना विभाग के अधिकारी ने खुद अपने नाम से लिखित एक लेख दिया है माननीय मुख्य मन्त्री जी की जीवनी के सम्बन्ध में। मुझे इससे आपत्ति नहीं है वह कुछ भी लिखें, लेकिन क्या सूचना विभाग का अधिकारी हमारे मुख्य मन्त्री की जीवनी के ऊपर प्रचारार्थ लेख लिखे? यह कहां तक उचित है। क्या इसके पीछे यह भावना खड़ी नहीं की जा रही है कि आज जो मुख्य मंत्री की प्रशंसा की गई है, कल दल की प्रशंसा होगी? परसों वह अधिकारी दल की प्रशंसा करेगा। वह अगर अधिकारी पुरस्कृत होता है तो दूसरे अधिकारियों के मन में यह इच्छा खड़ी होगी और इस प्रकार से एक सिलसिला खड़ा होगा। तब जनतन्त्र नहीं चलेगा और जनतन्त्र की हत्या होगी। अगर कोई भी प्रयास करके अधिकारीगण के अन्दर यह भाव खड़ा कर दिया जाय कि उनकी पदोन्नति, उनका संरक्षण इसी से होगा कि वह व्यक्तिगत प्रशंसा करते घूमें या दलगत प्रशंसा करते घूमें तो यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है और सूचना विभाग का दुरुपयोग है। मैं समझता हूं कि सूचना विभाग की तरफ से यह होना चाहिये था कि राजकीय कार्यक्रम या कर्त्तव्यों का प्रकाश समाज में आये न कि दल विशेष या व्यक्ति विशेष की बिडम्बना या प्रशंसा। प्रशंसा सब को अच्छी लगती है और हर आदमी उससे खुश होता है, लेकिन वहां पर चरित्र की जरूरत है। समष्टि के भाव से जो कार्य होगा उससे जनता का लाभ होगा। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी को सोचना है।

मुझे मुख्य मंत्री जी से कोई दुर्भावना नहीं है। मुख्य मंत्री जी विद्वान् हैं मुझे इसमें शंका नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री जी की ओर से इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। यह छोटी-सी बात है, लेकिन छोटी-सी बात से भी भीषण परिणाम हो सकता है। प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्योर (prevention is better than cure)। रोग प्रारम्भ होने से पहले उसका दमन कर दिया जाय तो अच्छा है। रोग बढ़ गया तो फिर दवा करने से लाभ नहीं है।

एक दूसरा उदाहरण और लेता हूं। किसी की नीयत पर आक्रमण नहीं करता। जो विश्वास जम गया है उसके आधार पर यह निवेदन करता हूं। यह जो अधिकारियों का इधर

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

उधर हेरफेर हुआ है उसके पीछे दलगत पृष्ठभूमि का भाव निहित है । अभी आपके सामने बहुत से नाम लिये गये । मैं किसी का नाम नहीं लेता बहुत से उदाहरण दिये गये । लेकिन मैं यह कहूंगा कि एक जगह यदि कोई बात गलत है तो उसको आप बदलें, दूसरी जगह उसी तरह से बदलने की क्या जरूरत है ? लोगों के मन में यहां तक भाव खड़ा हो रहा है कि जिस अधिकारी ने हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, उस पर हमारा विश्वास नहीं है और वह हमारे दल का नहीं है, उसको यहां से हटाया गया । चाहे वह कितना ही काबिल रहा हो, कितना भी वह शासन में दक्ष रहा हो उसको फिर भी शासन से हटाया गया । अगर इस प्रकार का भाव आपने अपने कृत्यों से अधिकारियों के मन में खड़ा किया तो आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यही होगा कि शासन नहीं चलेगा । आपका प्रशासन डूब जायगा । उस ओर बराबर संकेत हो रहा है और चौधरी साहब भी जानते हैं कि अगर प्रशासन में गुटबन्दी होगी तो प्रशासन डूब जायगा ।

श्री चरणसिंह---मैं आपके इस सेन्टेन्स पर दस्तखत करने के लिये तैयार हूं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यदि एलेक्शन के समय इस बात को स्मरण रखा जाय तो उचित है । मैं यह कह रहा था कि अधिकारियों को इस प्रकार से प्रशासन में लाना अनुचित है ।

मैं आपका ध्यान जुगुल किशोर जी आचार्य के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने इस सदन में अविश्वास के प्रस्ताव पर दिया था । उस समय उन्होंने अधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं कि इन कारणों से उनको अविश्वास है । हमको तो अविश्वास था ही । मैं आपकी आज्ञा से वह आपके सामने रखूं कि जिस प्रजातन्त्र में राज्य सरकार पर एक माप दंड से अविश्वास हो तो क्या वही मापदंड इसके लिये भी नहीं होना चाहिये क्योंकि उस मापदंड से वह खाली एतराज नहीं था तो क्या यह भी उस मापदंड से खाली एतराज है ? आपकी आज्ञा से, मैं कुल नहीं पढ़ूंगा, केवल एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं । "आम जनता व साधारण कांग्रेस जन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है ।" पहला प्रश्न यह है कि अनुरूप का अर्थ क्या है ? आम जनता और कांग्रेस जन में फर्क क्या है ? क्या कांग्रेस जन आम जनता से अलग हैं ? या कोई नवीन मानव की सृष्टि हुई है डारविन की थ्योरी के अनुसार । (व्यवधान होने पर) आप शान्त रहें । अब क्या कहूं श्रीमन्, घोड़ों के नाल ठुकती है तो मेंढकी भी टांग बढ़ाती है । तो कांग्रेस जन के अनुरूप हो इसका अर्थ क्या ? खैर, हम अगर यह ले लें कि जनता के अनुरूप होनी चाहिये तो जनता की आकांक्षा क्या है ? उसकी आकांक्षा है केवल यह कि उसको सिक्योरिटी मिले, खाना, कपड़ा और शिक्षा का इंतजाम हो । इनमें आप ने क्या किया है ? आपने एक कदम भी क्या उठाया है इस बारे में ? प्राइस फिक्शेसन आदि के बारे में कई भाषण हुए, किन्तु मैं तो व्यावहारिक बात पूछता हूं कि गल्ले की कीमत घटाने की दृष्टि से, जनता को सही कीमत पर गल्ला मिल सके इसके लिये आपने क्या किया है ? इस देश में एक आश्चर्यजनक चित्र खड़ा हो रहा है कि हर बार कहा जाता है कि एक तरफ आमदनी बढ़ रही है, कहा जाता है कि देश में उद्योग बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में गरीबी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है । आखिर बढ़ी हुई आमदनी गयी कहां ? इसका किसी को पता नहीं । इस ओर कि जीवन की आवश्यकतायें सस्ती हो सकें, मनुष्य का जीवन स्तर एक हो सके, इस ओर क्या एक कदम भी सरकार ने बढ़ाया है । कहा जायगा कि अभी तीन, चार महीने ही हुए हैं, लेकिन कुछ तो होना ही चाहिये था । किन्तु इस ओर कोई प्रयास नहीं किया गया ।

सुरक्षा की ओर देखिये । मैं मानता हूं कि चौधरी साहब बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि पुलिस विभाग को सही किया जाय, लेकिन स्वतंत्र भारत में बराबर एक न्यूज चली आती है कई दिन

से कि इस नगर में हीनियस क्राइम बढ़ रहे हैं। कभी ३ लड़कियां गायब हो गयीं, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ। अभी अलगू राय जी ने कहा कि बिहार से हमारे यहां क्राइम्स की तादाद कम है, बंगाल से कम है। यह कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं है। एक ने कहा कि उसकी नाक दो अंगुल कटी है और हमारी डेढ़ अंगुल ही, इसलिये हम सुन्दर हैं, यह कोई सुन्दरता की परिभाषा नहीं है। सिक्योरिटी के हिसाब से गांव में लोगों का जीवन दूभर होता जा रहा है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दे दें तो बड़ी कृपा होगी। सिक्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक है ग्राम का जीवन सुरक्षित हो। वह कहां है? आज सुबह ही प्रश्न हुए कि १०० गज के फासले पर पुलिस चौकी है और लोग वहां मारे जाते हैं, उनका सामान लूट लिया जाता है। तो वहां भी सुरक्षा की आज आवश्यकता है।

शिक्षा की ओर आप देखिये। मैं अपने मतलब की बात नहीं करता। इसी सदन में इसी कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा की गयी थी कि दर्जा ८ तक हम फीस माफी करेंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे। क्या हुई वह घोषणा? बड़ी सुन्दर घोषणा हुई थी, लेकिन क्या वह पूरी हुई आज तक? यह तो वही बात हुई कि ऊंची दूकान और सड़े फीके पकवान। यही बात इस घोषणा पर चरितार्थ हुई। डैमोक्रैसी को चलाने के लिये आवश्यक है कि घोषणाओं का उचित सम्मान किया जाय। यदि वह पूरी नहीं की जाती, केवल पापुलैरिटी गेन करने के लिये घोषणा की जाती है, तो वह डेमोक्रेसी की कब्र खोदती है और इस प्रकार से आप डेमोक्रेसी की कब्र खोद रहे हैं।

जनतंत्र के अन्दर आवश्यक यह है कि ज्यादा लोगों के हित का ध्यान रखा जाय। मैं इसी सरकार से पूछता हूं कि और जानना चाहता हूं रिहन्द बांध के बारे में, वहां की बिजली के बारे में। बिरला जी को किस रेट पर बिजली दी गयी है? वह निश्चय ही सस्ते दर पर दी गयी है और उस बिजली को देने का अर्थ यह हुआ कि इस सूबे के किसान उस बिजली से अगर छोटे-छोटे उद्योग धंधे खड़े करना चाहते तो वे उस से वंचित रह गये हैं। आज देश के इतने बड़े पूंजीपति को सस्ते दर पर बिजली दी गयी और कामन मैन को जो बिजली दी जायेगी वह उससे अधिक रेट पर दी जायेगी। ऐसा क्यों है? दूसरी ओर भिलाई प्लान्ट के लिये जो बिजली दी गयी वह महंगे रेट पर दी गयी। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार को उस पर विचार करना चाहिये और उसके रेट को भी बढ़ाना चाहिये। कोई कारण नहीं है कि उसको सस्ते रेट पर बिजली दी जाय और कामन जनता को मंहगे रेट पर बिजली दी जाय। आज सरकार उत्तर प्रदेश में सोशलिज्म का नाम लेती है, सोशलिज्म का नारा लगाती है, क्या यही सरकार का सोशलिज्म है? हम कैसे इस सरकार पर विश्वास करें? मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे इस निवेदन पर ध्यान देगी और उस रेट को रिवाइज करने की कृपा करेगी।

एक और उदाहरण देना चाहता हूं। इकोनामी का बड़ा भारी नारा इस सरकार द्वारा लगाया गया। इकोनामी होनी चाहिये, यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इकोनामी के मानी क्या हैं? अगर किसी का वेतन १०० रुपये से घटाकर ५० रुपये कर दिया जाय तो यह तो कोई इकोनामी की बात नहीं हुई। इकोनामी तो आप जो एमिनीटीज देते हैं उनमें करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि वेतन तो अगर आप एक-एक रुपया भी कर दें और एमिनीटीज सब दी जायं तो लोग एक रुपये में भी कार्य करने को तैयार हो जायेंगे। आज जो फिजूल घुमाई की जाती है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। उसको रोकना चाहिये। एक मंत्री ९ बजे यहां से ट्रेन में चलते हैं, २ बजे पहुंचते हैं और फिर ८ बजे तक फिर वापस आ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या माला पहनने के लिये जाते हैं? क्या अपने पैसे से जाते हैं या जनता के पैसे से? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिये टूर किया जाता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। अगर इकोनामी करना है तो कृपया इसे रोकिये। अगर मैं गलत हूं तो माननीय मंत्री जी मुझे गलत साबित करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जो इकोनामी का नारा लगाते हैं वह केवल इसलिये कि वे नये बजट में कुछ नए कर लगाने वाले हैं। अगर यह गलत

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

हो तो वे बताएं। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर और कर लगाये गये, तो जनता जो अभी तक करों के भार से लदी हुई थी, करों के भार से उसकी कमर टूटी हुई थी, उसकी कमर और टूट जायेगी और वह करों को बरदाश्त नहीं कर पायेगी।

श्रीमन्, डेमोक्रेसी का एक और अर्थ होता है और वह है देश की सुरक्षा। अगर कोई सरकार अपने यहां सुरक्षा कायम नहीं रख सकी, तो निस्सन्देह वह डेमोक्रेसी खतरे में है और उसका भविष्य चल नहीं सकता।

साम्प्रदायिकता का जिक्र किया गया। आज साम्प्रदायिकता को कौन भड़का रहा है? केरल का उदाहरण श्रीमन्, आपके सामने है। वहां पर इलैक्शन जीतने के लिये मुस्लिम लीग से किसने गठबन्धन किया? एक वह संस्था जो मर चुकी थी, उसको फिर से किसने जगाया? आज साम्प्रदायिकता कौन खड़ा कर रहा है?

हिन्दी राष्ट्रभाषा का जिक्र आया। यह कहा गया कि हिन्दी का विस्तार होगा तो केरल गड़बड़ करेगा, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में उसको अगर आप लागू करेंगे तो कौन आपत्ति करेगा, क्या गड़बड़ होगा? इधर-उधर की बात कह कर तो इसे टालने की ही नीति है और कोई कारण नजर नहीं आता।

जहां तक यूनिवर्सिटियों का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि उसकी स्वतंत्रता में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते लेकिन Standards एक हों इसलिये जरूरी है कि सरकार को कानूनन अधिकार हो। मैं कहना चाहता हूं विश्व में जो और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, हरवर्ड, कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड आदि वहां काम कैसे चलता है? और बिना सरकारी अधिकार के वे कैसे अपने Standards एक रखते हैं? क्या वहां का स्टैन्डर्ड गिरा हुआ है? मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

एक बात मैं अंत में और कहना चाहता हूं। गृह मंत्री जी का ध्यान सूबे की सुरक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। आज गृह युद्ध की आग भड़काने के लिये विदेशी तथा चीनी Communist Government हथियार हमारी सरहद में फेंकने की और इस इच्छा से कि लोग उन हथियारों का प्रयोग करें, कोशिश में हैं। मैं कुछ ज्यादा इस ओर कहने की जरूरत नहीं समझता, मैं केवल ध्यान ही दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सुरक्षा खतरे में हुई, किसी भी प्रकार से, अगर गुटबाजी के आधार पर हम सुरक्षा कायम करने में असमर्थ रहे, तो जनतंत्र का गला घुट जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन में पेश है मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, यह कोई नया प्रस्ताव हमारे सामने नहीं आया है, इस तरह के बहुत से प्रस्ताव खासतौर से १९५७ के बाद हमारे इस हाउस में कई बार आ चुके हैं। मैं इस बात को मानता हूं और यह एक बड़ी स्वस्थ संसदीय परम्परा है कि विरोधी पक्ष को इस बात का अधिकार है बल्कि प्रिविलेज है कि वह अविश्वास का प्रस्ताव लाकर वर्तमान सरकार को हटाने की चेष्टा करे। मगर मान्यवर, जहां यह संसदीय परम्परा है जहां उसके पीछे कुछ पाबंदियां भी हैं कि इस अधिकार और इस प्रिविलेज का इस्तेमाल बहुत ही संजीदगी के साथ किया जाता है। मेरा मतलब यह है कि जब भी कोई अविश्वास का प्रस्ताव आये तो उसके पीछे कोई पर्पज होना चाहये। एक ध्येय यह हो सकता है कि विरोधी पक्ष अविश्वास का प्रस्ताव पास करा कर सरकार को हटा दे और उसका स्थान स्वयं ले ले। इस सम्बन्ध में मेरे मित्र दीपंकर जी ने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया, उन्होंने स्वयं इस बात को माना कि विरोधी पक्ष इस स्थिति में नहीं है कि वह सरकार की जगह ले सके और मैं यहां तक कह सकता हूं कि निकट भविष्य में भी ऐसी कोई आशा नहीं है। मेरा संकेत केवल संख्या के ऊपर ही नहीं है। जैसा कि हम दिनरात देख रहे हैं विरोधी पक्ष के अन्दर जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्दर या और पार्लियामेंटरी सिस्टम में होता है आमतौर से एक दृढ़ जनतंत्र के लिये टू पार्टी सिस्टम की बात होती

है। हमारे देश में जनतंत्र उस स्थिति में नहीं है। आज जो विरोधी पक्ष है वह किसी एक पार्टी का नहीं है संख्या की मैं बात नहीं कहता--उसमें बहुत से दल हैं और दलों के अन्दर बहुत से दल हैं, जो परस्पर विरोधी हैं।

मान्यवर, मैं सुन रहा था जब जनतंत्र की बात कही गई, समाजवाद की भी बात कही गई और सभी दलों ने कही, लेकिन मैं सोचता हूं कि वह जनतंत्र और समाजवाद प्रजासमाजवादी पार्टी का है या समाजवादी पार्टी का है, कम्युनिस्ट पार्टी का है, जनसंघ पार्टी का है या स्वतंत्र पार्टी का है। अगर कांग्रेस इस बात को मान ले और उस पर यह चार्ज साबित हो जाय कि वह इस बात की गुनहगार है कि उसने जनतंत्र स्थापित नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से जनतंत्र की रूपरेखा हमारे सामने है, कौन से समाजवाद की रूपरेखा है और वह कौन-सी पार्टी का जनतंत्र या समाजवाद है जिसे हम और कांग्रेस पार्टी इस देश और प्रदेश में स्थापित नहीं कर पाई। कभी-कभी जनसंघ के मुंह से समाजवाद तथा कम्युनिस्ट पार्टी के मुंह से जनतंत्र की बात अजीब सी लगती है।

मान्यवर, एक और बात हो सकती है कि विरोधी पक्ष इस बात को जानता भी हो कि वह सरकार को हटा नहीं सकते फिर भी अगर प्रदेश में कोई गम्भीर स्थिति हो, कोई ऐसी सीरियसनेस हो तो वह वोट आफ सेन्सर लाकर और सरकार की आलोचना करके उसको सचेत करे। लेकिन मैं देखता हूं कि जो इस प्रस्ताव में प्वाइंट्स दिये गये हैं २१। उनमें न कोई सीरियसनेस है न कोई नई बात है सिर्फ एक प्वाइंट को छोड़कर कि सरकार का जो संगठन हुआ है वह डेमोक्रेटिक नहीं है। इस प्वाइंट को छोड़कर और कोई भी ऐसा प्वाइंट नहीं है जो ९ सालों के अन्दर दस बीस दफा इस हाउस के अन्दर न आ चुका हो। तो आप देखेंगे कि कोई इमरजेंसी नहीं थी जिसके लिये यह प्रस्ताव लाया जाता। अगर केवल आलोचना की ही बात थी तो वह तो तीन दिन पहले गवर्नर महोदय के प्रस्ताव पर काफी डिबेट हो चुकी है और ७-८ दिनों के बाद बजट आयेगा जिस पर महीना डेढ़ महीना डिबेट चलेगी। इसलिये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर इस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करने में गैरसन्जीदगी बरती गई है और उसको मखौल बनाया गया है।

मान्यवर, मुझे बड़ी परेशानी हुई जिस समय मेरे दोस्त समाजवादी दल के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार को इसलिये हट जाना चाहिये क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ फोड़ की कार्यवाही पर यह सरकार नियंत्रण नहीं कर सकी। कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तरी सीमा पर, देवरिया, गोरखपुर और जो दूसरे मिले हुये जिले हैं, उनमें जो हरकतें हैं, उसका जो प्रोपेगेंडा है उसको सरकार ने रोका नहीं। मान्यवर, बेबसी की हालत यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी उस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करती है जिसमें हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया जाता है तो सरकार क्या करे और क्या न करे, किसकी बात माने और किसकी बात न माने।

मैं एक बात देखता हूं, मान्यवर, और हमारे साथी इत्तफाक करेंगे कि जिस दिन से यह मंत्रिमंडल बना है या पहले जब यह बना भी नहीं था, तभी से एक विशेष दल की, जो विरोधी पक्ष में बहुमत में है, यह कोशिश रही कि वर्तमान मंत्रिमंडल न बनने पावे। मैं आपकी आज्ञा से उस पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। जिस समय सत्ताधारी दल में उथल-पुथल आई और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के चुनाव सम्पन्न हुये, तो यह आशंका हुई, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी, कि इस बात का शक हुआ कि उस समय का मंत्रिमंडल हटे और दूसरा मंत्रिमंडल उसकी जगह आवे। नेता विरोधी दल ने उस समय हमारे प्रेसीडेंट को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप संविधान के सैक्शन ९३ इनवोक करके प्रदेश में प्रेसीडेंट्स रूल स्थापित कीजिये। यह उन्होंने पहला नमूना पेश किया था इस प्रदेश में जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का। जब उसमें वह कामयाब नहीं हुये और कांग्रेस पार्टी ने एक मत से अपना एक नेता चुना जिसके लिये कहा जाता है वह २ बार के हारे हुये हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा, तो गवर्नर महोदय से कहा गया कि इनको आप मंत्रिमंडल बनाने के लिये आमंत्रित न कीजिये चूंकि वह इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं। अब वह बात भी खत्म हुई, जब यह कोशिश की गई कि गवर्नर महोदय के एड्रेस का बाईकाट किया जाय। सिद्धांतः से वह इत्तफाक करते

[श्री नवल किशोर]

है कि यह संसदीय परम्परा है कि अगर कोई शख्स लखनऊ में हो तो उसे गवर्नर के एड्रेस के समय मौजूद रहना चाहिये। फिर एक स्टेटमेन्ट दिया गया कि चूंकि आधे से ज्यादा सदस्य गैर हाजिर थे इसलिये इस सरकार के अन्दर अविश्वास हो गया और उसे इस्तीफा दे देना चाहिये। इसके पहले यह भी कहा गया कि ६ तारीख के लिये मुख्य मंत्री इस हाउस में नहीं बैठ सकते हैं, वैधानिक आपत्ति है। ऐसा है, या नहीं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। जब काउन्सिल में उनकी नामज़दगी हो गई जोकि अनुच्छेद १७१ के बिलकुल अनुकूल तथा अनुरूप है, तब कहा जाता है कि जनतंत्र की हत्या हो गई। जब ये सब बातें नहीं चल पाईं तो हमारे सामने यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है। यह दूसरी बात है कि वह नेता विरोधी दल ने पेश नहीं किया उसमें कुछ दिक्कतें पेश आईं, वरना नीयत उनकी भी यही थी। तो मैंने एक पृष्ठभूमि बतलाई कि दिलचस्पी थी उस दल विशेष की, चाहे वह दल के नाते हो या व्यक्तिगत हो, वह यहां तक उतारू था कि चाहे कुछ भी जाय, प्रेसीडेंट का रूल हो जाय, मगर मौजूदा मंत्रिमंडल इस प्रदेश में स्थापित न हो सके।

हमारे माननीय सदस्य पद्माकर लाल जी ने यहां तक कहा कि गुटबन्दी के आधार पर वाइस-चांसलर को हटाने के लिये यह सरकार एक संशोधन बिल लाना चाहती है। यदि मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है तो मुझे याद पड़ता है कि उसी दल के एक दूसरे साथी गौरीशंकर राय जी ने इसी हाउस में कहा था कि जिस वाइस-चांसलर की तरफ संकेत किया है उनकी नियुक्ति पब्लिक ओपीनियन की डिफायंस करके की गई थी। बड़ी परेशानी होती है कि आज अगर कोई विधेयक आता है। गोकि उसका वह ध्येय नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिये हम मान भी लें, कि अगर कोई इंसान गलत बन गया है और उसे हटाया जाय, तो हमारे ऊपर यह लांछन है कि हम यूनिवर्सिटी की आटोनामी का गला घोंटते हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है।

कहा गया कि २ बार के डिफीटेड व्यक्ति चीफ मिनिस्टर हैं, वह यहां कुर्सी पर आकर कैसे बैठ गये। मुझे भी थोड़ा बहुत संविधान पढ़ने का इत्तफाक हुआ है। उसके अनुसार गवर्नर को कोई आल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके कि वह बहुमत के नेता को दावत दे कि तुम अपना मंत्रिमंडल बनाओ। मैं जानता हूं, इस बात की कोशिश की गयी कि वर्तमान मुख्य मंत्री कांग्रेस दल के नेता न बनें। यह बात कांग्रेस दल के सोचने की थी कि वह किसको नेता चुने या न चुने, लेकिन जब कांग्रेसदल ने उनको सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया और गवर्नर ने उनको बुला कर मंत्रिमंडल की दावत दी तो मैं नहीं समझ पाया कि इसमें गवर्नर महोदय ने कौन-सी अनडैमोक्रेटिक बात की और मैं यह भी न समझ पाया कि हमारे आपसी झगड़ों में दिलचस्पी लेना कहां तक संसदीय और जनतांत्रिक परम्परा है। इस पर भी शिकायत की जाती है कि हमारी वजह से जनवाद या प्रजातंत्र खतरे में है।

बड़ी मखौल एकोनामी की उड़ायी गयी। दोस्तों ने कहा कि करोड़ों रुपया बरबाद किया जा रहा है और इधर १०-२० हजार की बचत करना चाहते हैं। मैंने बराबर इस बात की हमेशा मांग की है कि जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये की बचत की जाय उसकी बरबादी नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर कहीं ४ करोड़ की बरबादी होती है और सरकार ने आज कोई कदम उठाया है जिससे ५-१० लाख रुपये की बचत हो रही है तो आपको यह कहने का अधिकार तो है कि इतनी बचत से काम नहीं चलेगा, यह कदम तो आपने सही उठाया है उसका स्वागत है लेकिन ऐसा कदम और उठाइये। न कि यह कि उस बचत का, चाहे वह कितनी ही थोड़ी हो, मजाक उड़ाया जाय।

जनसंघ के नेता ने यह बात कही कि साहब फिजूलखर्ची बहुत ज्यादा की जा रही है, सरकारी अधिकारियों को बहुत सी एमीनिटीज़ दी जा रही हैं। मैं उनका इस बात में साथ देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वे सरकार को बतायें कि फिजूलखर्ची कहां-कहां हो रही है। अगर किसी अफसर को बेकायदे एमीनिटीज़ मिली हुई हैं तो उनमें कटौती होनी चाहिये। लेकिन

जितना जो कुछ किया गया है उसके लिये उनका यह कर्त्तव्य था कि वे उसका खैर मकदम करते। यही उनके लिये उचित था ।

माननीय दीपंकर जी ने फरमाया कि यह कांग्रेस की गवर्नमेन्ट नहीं है, यह गुट विशेष की गवर्नमेन्ट है । एक बात मान्यवर, मैंने और देखी । इस प्रस्ताव के प्वाइंट्स तो इतने पुराने हैं कि उनमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उन को यह एक बहाना और बात मिल गया कुछ न कुछ कहने को । मान्यवर, मैं नहीं जानता कि कोई गुट है या नहीं, लेकिन जनतंत्र में होता यह है कि जो बहुमतदल होता है वह अपना एक नेता सर्वसम्मति या बहुमत से चुनता है और वही मंत्रिमंडल बनाता है । अब कुछ व्यक्ति ऐसे तो अवश्य होंगे जो उसके खिलाफ हों। यह चीज़ तो जनतंत्र की इनहैरेंट है, चाहे उसको गुट मान लीजिये, चाहे मेजोरिटी और माइनोरिटी कह लीजिये । जब वे इस बात को जानते हैं तो इस तरह गुटबंदी का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस के ऊपर यह ऐतिहासिक और नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह देश में स्वस्थ परम्पराओं को जन्म दे । इसके साथ ही साथ जब हम इतनी दुहाई जनतंत्र की देते हैं तो मुझे एक चीज़ अखरती है और वह यह कि आज तक एक दिमाग का, वेल निट, वैल आर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिण्ड कोई एक विरोधी दल नहीं बन पाया, जोकि मजबूत जनतंत्र के लिये अत्यन्त आवश्यक है । आज इतनी गैर-जिम्मेदार अपोजीशन पार्टीज हिन्दुस्तान के अन्दर हैं और जिस तरह से बिखरी हुई और टुकड़े-टुकड़े हैं वह देश के लिये बड़ी परेशानी की बात है और वह जनतंत्र की कमजोरी का एक विशेष कारण है ।

जहां तक हमें एकता का उपदेश दिया गया, आपका उपदेश हमारे सिर आंखों पर है और मैं तो आपके उपदेश को अपने लिये व अपनी पार्टी के लिये एक चेतावनी और चुनौती समझता हूं और इस कमजोरी को दूर करने की भरसक चेष्टा करेंगे । लेकिन मैं इतना बतला दूं कि जहां जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिये कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और उसमें एकता की आवश्यकता आपने बतलायी वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि आप अपनी जगह पर भी मजबूत हों और एक हों । यह जो २१ मांगें हैं यह पुरानी हो चुकी हैं, अव्यवहारिक हैं और बहुत सी फेन्टास्टिक (Fantastic) है, इसलिये श्रीमन् स्वयं मैं नहीं जाऊंगा एक दो लूंगा इसमें । एक प्वाइंट है कि सरकार ने उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी को हटा कर राष्ट्रभाषा हिन्दी को कार्यान्वित नहीं किया । श्रीमन्, मुझे तो इस सम्बन्ध में ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई सबक याद या हिब्ज करा दिया जाता है तो वह बराबर मौका या गैर मौका उसी को लिख कर दे देता है उसी तरह से समाजवादी दल के नेता भी चाहे कोई आन्दोलन हो या कोई भी और बात हो, जो उनके २०–२१ प्वाइंट हैं, बराबर लिख कर दे दिया करते हैं, चाहे वह अपनी जगह पर फिट हों या न हों। मेरा कहना यह है कि जो यह प्वाइंट हैं वह अनप्रैक्टिकेबिल हैं क्योंकि कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद ३४८ में जो दिया हुआ है उसके बाहर हम जा भी नहीं सकते हैं । उस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि जितनी डिग्री होंगी या जितने उसके कारोबार होंगे वे सब अंग्रेजी भाषा में होंगे । लेकिन उसके अन्दर एक प्रतिबन्ध अवश्य है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रेसीडेंट की अनुमति से यह कर सकती है कि उसकी प्रोसीडिंग हिन्दी में हो । मान्यवर, प्रोसीडिंग्स क्या कांस्टीट्यूट करेगी यह भी सोचने की बात है, फिर भी यह प्रश्न विचाराधीन है । लेकिन यह कि इस बुनियाद पर सरकार को हटाने के लिये अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय, यह मेरे दिमाग में आने वाली बात नहीं है ।

सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक बात यह कही गयी है कि न्याययुक्त संतुलित दाम नीति को सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया । अगर उनका मतलब यह है कि किसानों को उनके अनाज का दाम कम मिले तब यह गलत बात है और वह कह भी नहीं सकते हैं पर यदि उनका मंशा है कि संतुलित दाम पर चीजें नहीं मिलती हैं तब तो दूसरी बात है । वरना अगर उनका यह खयाल हो कि किसानों को उनकी चीजों का संतुलित दाम दिया जाय और अन्य वस्तुओं की कीमत के साथ उसका समन्वय हो तो वह जब तक देश के अन्दर केन्द्रीय सरकार कंट्रोल एकोनामी भी न

[श्री नवल किशोर]

लागू करे तब तक प्रदेशीय सरकार इस चीज को कर ही नहीं सकती यह इसके दायरे के बाहर है। लिहाजा यह चीज चाहे कितनी ही अच्छी हो, प्रैक्टिकैबिल नहीं है।

श्रीमन्, एक बात का और जिक्र किया गया कि सरकार को जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग कर देना चाहिये। मुझे याद है कि १९४९ में इस प्रदेश की सरकार ने फैसला किया था कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया जाय और इसका एक्सपेरीमेंट करने के लिये सरकार ने ८ जिलों में इस चीज को किया था। और आज स्थिति यह है कि सन् ६१ में पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ कर कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग-अलग न हो गयी हो।

इसी प्रकार से मान्यवर, उत्तराखंड का जिक्र किया गया। राज्यपाल महोदय के सम्भाषण में बतलाया गया था कि तीसरे प्लान में वहां के विकास के लिये २८ करोड़ रुपये की योजना की गयी है।

इसी तरह से शिक्षा के सम्बन्ध में जो कहा गया, उस बारे में श्री अलगूराम शास्त्री ने अपने भाषण में बतलाया था कि तीसरे प्लान में ऐसे कस्बे जिनकी आबादी १५ हजार से ऊपर होगी वहां बालिकाओं के लिये आठवें तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कर दिया जायगा।

अन्त में मैं आपके द्वारा केवल यह दरख्वास्त करता हूं कि न मालूम कैसे यह पेशीनगोई की गयी कि भगवान न करे---पंडित जवाहर लाल नेहरू अगर न रहे तो हमारे देश के अन्दर सिविल वार होगा, कयास होगा और अनार्की होगी। मैं नहीं जानता कि यह भविष्यवाणी किसके दिमाग से निकली। मैं बहुत अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हम अपने देश के अन्दर जनतंत्र का एक एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं और जनतांत्रिक प्रणाली से सारे देश में नियोजन कर रहे हैं जोकि हमारे देश के लिये एक नयी चीज है, एक नया अनुसंधान है! आज दुनिया की आंखें इस देश पर लगी हुई हैं कि यदि हम जनतंत्र के ढांचे में, जनतांत्रिक ढंग से मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा कर पाये तो यह एक्सपेरीमेंट यहां भी सफल होगा और दूसरों को पथ-प्रदर्शन करेगा और जनतंत्र के प्रति एक नई आस्था चारों तरफ पैदा करेगा। मगर इसकी जिम्मेदारी जहां हम पर है वहां विरोधी दल के लोगों पर भी है। उनके सहयोग की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि वह इसमें अपना सहयोग देंगे और साथ ही अपने उत्तरदायित्व को भी निभायेंगे।

श्री अध्यक्ष---अब माननीया राजेन्द्र कुमारी जी अपना कुछ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हैं क्योंकि उनका नाम श्री राजनारायण जी ने अपने भाषण में लिया था।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह समय दे दिया इसके लिये मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मेरा इस समय बोलने का कोई विचार नहीं था, लेकिन सुबह आप के सामने ही २ बार श्री राज नारायण जी की ओर से मौदहा चुनाव का जिक्र आया। जब मेरा चुनाव हो रहा था मुझे यह बात आजतक पता नहीं थी कि उस चुनाव में मेरी जीत माननीय लोहिया जी या माननीय राजनारायण जी के नाम से हुई है। यह तो मुझे आज ही मालूम हुआ जब कि उन्होंने कहा कि उन के कारण मेरी जीत वहां हुई है। यह सुनकर मुझे जरा दुख और परेशानी भी हुई। मैं तो उनको बड़े आदर की निगाह से देखती हूं और माननीय सदस्य भी स्वयं चुनाव में गये थे, मैं तो उस समय केवल पैदल यात्रा करती थी। वह जानते होंगे कि मेरा चुनाव चिन्ह झोपड़ी था बरगद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ऐसी बात कही तो मुझे दुख और परेशानी हुई। मैं उनको बताना चाहती थी आप के द्वारा कि मैं कौन सी पार्टी में हूं, सोशलिस्ट पार्टी में हूं या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हूं और इसलिये मुझे आप से स्पष्टीकरण की आज्ञा मांगनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष---मैंने आप को भाषण के लिये इजाजत नहीं दी है, स्पष्टीकरण हो गया अब आप बैठें।

श्री राजनारायण—क्या मुझे समय नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—नहीं मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(श्री गौरी शंकर राय के कुछ कहने पर)

श्री राजनारायण—मैं नहीं समझता कि मेरे खड़े होने पर उन के पेट पर चूहे क्यों कूदते हैं । श्रीमन्, मुझे थोड़ा-सा मौका दिया जाय । मैं केवल यही कहना चाहता था कि उन्होंने जो कुछ अभी कहा है वह गलत कहा है, भ्रमपूर्ण कहा और आगे जवाब उन को मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जांय, अब श्री अवधेश कुमार सिनहा का भाषण होगा, २ मिनट आप कह लें, बाकी कल आप का भाषण जारी रहेगा ।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता राज नारायण जी के अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आप की आज्ञा से सदन के सम्मुख....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब आप कल ही भाषण दें, क्योंकि भाषण में तारतम्य टूटने पर फिर से जोड़ना पड़ेगा ।

केसा, कानपुर के बिजली घर के बारे में जो आधे घंटे की बहस ५ बजे होने वाली थी उसको मैंने सोमवार के लिये मुल्तवी कर दिया है ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२३ फरवरी, १९६१ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले कुछ क्षेत्रों के व्यय की तालिका

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित धनराशि		व्यय		अनुमानित व्यय	टिप्पणी
					१९५६–६१	
	मूल* (Original)	संशोधित† (Revised)	१९५६–६० (वास्तविक)	१९६०–६१ (अनुमानित)		
१—कृषि उत्पादन	३५.५३	४६.२२	३०.३५	११.४६	४१.८१	बागबानी, गन्ना, जूट तथा कपास भी सम्मिलित है।
२—शिक्षा ..	२६.५४	२०.५६	१३.९६	४.५४	१८.५०	
३—उद्योग ..	१६.४३	१३.१२	९.२७	२.५९	११.८६	
४—पशु पालन ..	५.५१	३.२०	१.६६	०.५३	२.१९	
५—समाज कल्याण	१.२५	०.५०	०.२२	०.०९	०.३१	
६—हरिजनोत्थान	४.७५	६.००	४.२३	१.१९	५.४२	
७—गृह निर्माण..	१०.४५	१०.४५	६.८५	१.६२	८.४७	
योग ..	१००.४६	१००.०५	६६.५४	२२.०२	८८.५६	

* नियोजन आयोग द्वारा १९५६ में स्वीकृत।

† मई सन् १९५९ में संशोधित।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

विधान सभा के तीसरे गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या १२ से संबंधित अनुसूची

जिला उन्नाव, तहसील सफीपुर के उन ग्रामों की अनुसूची जिनमें इस वर्ष बाढ़ एवं अति वर्षा से फसलों को हानि पहुंची है—

क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम

१—तख्तैया कमरुद्दीनपुर
२—रुस्तमपुर
३—जाजामऊ गैर इहतीमाली
४—सहरिया सलीमपुर इस्तिमरारी
५—दबोलिस
६—इसमाइलपुर
७—गढ़ई
८—अर्जुनपुर
९—बरधई
१०—जाजामऊ इहतीमाली
११—कट्री तुर्रा इस्तिमरारी
१२—कट्री तुर्रा गैर इस्तिमरारी
१३—हिन्दुपुर
१४—भदेरा
१५—मझरिया कलां
१६—सुसूमऊ
१७—सरहा सकतपुर
१८—खानपुर खरौली
१९—अबदुल्लापुर
२०—शाहनगर
२१—हुसैनपुर मौफी
२२—हयसपुर
२३—ददलहा
२४—रबड़ी चंदेला
२५—रामपुर
२६—रामपुर चंदेला गैर इहतीमाली
२७—रामपुर चंदेला इहतीमाली
२८—राइपुर
२९—औरंगाबाद इस्तिमरारी
३०—गूढ़ा
३१—महरापुर
३२—रायांमऊ
३३—जमुनिहा कच
३४—पहलेपुर
३५—मेला आलमशाह इहतीमाली
३६—खैरउद्दीनपुर
३७—कंट्री महगवां
३८—बेहलीलपुर कट्टार
३९—कट्री अकबरपुर
४०—परसरामपुर इहतीमाली
४१—लौरिया वादेपुर
४२—उमरिया भगवन्तपुर
४३—नेकपुर
४४—फरीदपुर कट्टार
४५—कट्री गदनपुर अहर
४६—इस्लामाबाद देवली
४७—रोशानाबाद
४८—मदरनगर
४९—लतीफपुर
५०—रावड़ी
५१—बांगरामऊ
५२—नेवल
५३—अर्गूपूर
५४—तमूरिया बुजुर्ग
५५—देवरिया
५६—तातियापुर
५७—कुशराजपुर
५८—चूढ़ा
५९—बिराइचमऊ
६०—चितेपुर
६१—लोनारी
६२—लोदपुर
६३—झकरा
६४—सुधापुर
६५—बेहटा कच
६६—बल्लापुर
६७—फतेहपुर हमजा
६८—भिकारीपुर पतस्यागैर इहतिमाली
६९—भिकारीपुर मतस्या इहतिमाली
७०—गौंरिया कलां
७१—झेंझरपुर
७२—सिकधरपुर इहतिमाली
७३—सिकधरपुर गैर इहतिमाली

७४—बहलोपुर मुतसिल
७५—गोल्हापुर
७६—हसनपुर सभौदा
७७—जगतापुर
७८—तक कदौली
७९—फतेहपुर खालसा
८०—जलेपुर
८१—चान्दपुर
८२—खेंड़ा
८३—देवरबरी
८४—अलमऊ सराइ
८५—रसूलपुर मंजरिया
८६—महाराजपुर
८७—जसरापुर
८८—सैनपुर सगोड़ा
८९—मैलाराम कुंवर
९०—मेला आलमशाह गैर इहतिमाली
९१—नहरापुर
९२—दौलतयारपुर
९३—कटियामऊ
९४—निविगढ़
९५—खानपुर
९६—हमजापुर
९७—इतवारपुर
९८—इब्राहीमपुर
९९—जुगरपुर
१००—छुही
१०१—शाहपुर
१०२—गोलेमऊ
१०३—ढोलवा
१०४—कुरसत
१०५—रोशननगर
१०६—लोनियाहर
१०७—गहोली
१०८—मुरादपुर
१०९—जमालनगर इहतिमाली
११०—जमालनगर गैर इहतिमाली
१११—फिरोजपुर कलां
११२—भदनो
११३—वरभौलां
११४—चकलवांसी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

सूती मिल क्षेत्र---इस क्षेत्र में सूती कपड़े का उत्पादन १९५९ की अपेक्षा १९६० में ४.१ प्रतिशत अधिक था।

ऊनी मिल क्षेत्र---इस क्षेत्र में १९५९ में उत्पादित ऊनी कपड़े के मुकाबिले में १९६० में उत्पादन १८.५५ प्रतिशत कम रहा।

अम्बर चर्खा योजना---इस योजना के अन्तर्गत वर्ष जनवरी, १९६० तक उत्पादित सूती कपड़े की अपेक्षा इस वर्ष जनवरी, १९६१ तक उत्पादन ५१.३ प्रतिशत अधिक था।

हिल ऊल योजना (Hill Wool)---इस योजना के अन्तर्गत १९५९ में उत्पादित ऊनी कपड़े की अपेक्षा १९६० में उत्पादन २४.१ प्रतिशत बढ़ा है।

हस्त कर्घा उद्योग---इस उद्योग से संबंधित सूती कपड़े का उत्पादन १९५९-६० की अपेक्षा १९६०-६१ (जनवरी, १९६१ तक) में ३३.१ प्रतिशत बढ़ा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८९ पर)

तालिका

तालिका जिसमें १९६०–६१ सीजन में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित और अभ्यर्थित (assigned) क्षेत्रों में जो गन्ना उत्पन्न होने का जिले वार अनुमान है उसका विवरण दिया हुआ है—

क्रम-संख्या	जिले का नाम	१९६०–६१ सीजन में गन्ने की उपज का अनुमान (करोड़ मन में)
१	२	३
१	—देहरादून	०.५०
२	—सहारनपुर	९.६०
३	—मुजफ्फरनगर	१०.९८
४	—मेरठ	१३.०२
५	—बुलन्दशहर	३.३६
६	—नैनीताल	५.०४
७	—बदायूं	०.८०
८	—एटा	०.८९
९	—मुरादाबाद	७.४२
१०	—बरेली	३.७३
११	—पीलीभीत	३.२६
१२	—बिजनौर	९.१७
१३	—शाहजहांपुर	१.६४
१४	—रामपुर	२.८५
१५	—बाराबंकी	२.००
१६	—लखनऊ	०.१४
१७	—कानपुर	०.०१
१८	—हरदोई	१.१८
१९	—फैजाबाद	२.८३
२०	—जौनपुर	
२१	—सीतापुर	४.२३
२२	—खीरी	९.१०
२३	—बस्ती	४.०५
२४	—गोंडा	२.२७
२५	—बहराइच	०.५२
२६	—देवरिया	९.२०
२७	—गोरखपुर	३.६०
	योग ..	१११.३९

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

श्री भीखालाल, एम० एल० ए० द्वारा पूछे गये विधान सभा के प्रथम सत्र १६६२ के तृतीय गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ८० से संबंधित आवश्यक सूचना

क्रम-संख्या	पद नाम	३१-८-६० को काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या	पिछड़ी जातियों के अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या	निर्धारित अनिवार्य शिक्षा योग्यता
१	२	३	४	५	६
१	चकबन्दी अधिकारी	१७६	२	४	चकबन्दी अधिकारी के पद पर सहायक चकबन्दी अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है अतएव इस पद के लिये विशेष रूप से अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
२	सहायक चकबन्दी अधिकारी	८३७	१०	२२	इस पद पर केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिये कृषि, अर्थशास्त्र या भूगोल में बी० ए० पास होना अथवा एल० एल० बी० परीक्षा पास होना या समाज सेवा का डिप्लोमा प्राप्त होना आवश्यक है।
३	चकबन्दी कर्ता	१६१०	२५	६३	यह पद केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिये इंटरमीडियेट अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है।
४	लिपिक व पेशकार	१५०२	६४	१८	इस पद पर नियुक्ति के लिये हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है।
५	चपरासी व मिरवछा	३८०७	३६८	६०३	इस पद के लिये कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

मालगुजारी वसूलने के लिये भिन्न-भिन्न पदों पर ३१ अगस्त, १९६० को कार्य करने वाले कर्मचारियों व उनमें से प्रत्येक पद पर अनुसूचित व पिछड़े जाति के कर्मचारियों की संख्या तथा प्रत्येक पद के लिये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण

पद का नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या जो ३१ अगस्त, १९६० को कलेक्शन विभाग में कार्य कर रहे थे	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रत्येक पद के लिये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता
१—कलेक्शन नायब तहसीलदार	५६६	३६	२३	इन्टरमीडियेट सार्टिफिकेट ।
२—अमीन ..	६,६७८	३२१	५३९	वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल सार्टिफिकेट ।
३—लिपिक ..	१,५३३	७६	१०६	हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा ।
४—चपरासी ..	१०,३१८	१,४१४	१,६०५	इनके लिये कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८३ एल० ए०—१९६१—८४५ ।